शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 10 अंक : 2 1 सितम्बर, 2017

(भाद्रपद-आश्विन, विक्रम संवत् 2074)

संस्थापक — **स्व. मुकुन्द राव कुलकर्णी** संरक्षक — **के.नरहरि**

❖

परामर्श

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक

सन्तोष पाण्डेय

❖

सह सम्पादक

विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी ❑ भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल

प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
डॉ. नाथू लाल सुमन
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी

बसन्त जिन्दल ❑ नौरंग सहाय भारतीय

कार्यालय प्रभारी

आलोक चतुर्वेदी : 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय

82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राज.) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :

शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/- वार्षिक शुल्क 200/-
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

राजस्थान में उच्चशिक्षा : एक सिंहावलोकन ❑ प्रो. मधुर मोहन रंगा

उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE, Dec 23, 2015) के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय (64) हैं परंतु सकल विद्यार्थी अनुपात (GER) सिर्फ 19.7 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान देश के 10 निचले पायदान वाले राज्यों में स्थिति बनाए हुए है। यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है जबकि राष्ट्रीय औसत सकल विद्यार्थी अनुपात 23.6 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में सिर्फ 58 विश्वविद्यालय हैं व वहाँ 44.8 प्रतिशत सकल विद्यार्थी अनुपात की उत्तम स्थिति है। इस (GER) अनुपात की गणना 18-23 वर्ष के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के नामांकन के आधार पर की जाती है।

25

अनुक्रम

4.	राजस्थान में शिक्षा का विस्तार व गुणवत्ता	- सन्तोष पाण्डेय
6.	राजस्थान में शिक्षा	
28.	Role of Technical Education in ...	- M.K. Shrimali
30.	राजस्थान के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम	- प्रहलाद शर्मा
35.	उद्योगोन्मुखी शिक्षा : विकास का आधार	- डॉ. रेखा भट्ट
38.	राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था : एक समीक्षा	- डॉ. इन्दुबाला अग्रवाल
40.	राजस्थान में बालिका शिक्षा	- डॉ. ऋतु सारस्वत
42.	स्वतन्त्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य	- दीप्ति चतुर्वेदी
44.	अविवेकपूर्ण निर्णय की वापसी	- जगमोहन सिंह राजपूत
46.	तोड़ती नहीं जोड़ती है हिन्दी	- हृदयनारायण दीक्षित
48.	भारत में अंग्रेजी प्रसार की असलियत	- डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल
50.	हिन्दी को जन-जन की भाषा बनायें	- संतोष पाण्डेय
52.	क्या संस्कृत पढ़ने से अर्थार्जन नहीं हो सकता?	- श्रीश देवपुजारी
54.	गतिविधि	

राजस्थान में शिक्षा - कुछ विचारणीय प्रश्न

❑ विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी

राजस्थान के शिक्षा प्रशासन ने, राज्य की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के बजाय, बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कराने को ही अपना लक्ष्य समझ लिया है। इसका उच्च शिक्षा में दबाव के कारण राजस्थान का पाठ्यक्रम आम-विद्यार्थी के काम का नहीं रहा है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के स्थान पर जानकारियों पर अधिक जोर है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो सके। केवल पाँच प्रतिशत के लाभ के लिए 95 की उपेक्षा की जाती रही है। राजस्थान में पाठ्यचर्या व पाठयपुस्तकों का सम्बन्ध बच्चों की आवश्यकताओं से नहीं जुड़ कर राजनैतिक दलों के साथ जुड़ गया है। सरकार बदलने के साथ पाठ्यकम व पाठ्यपुस्तकें बदली जाने लगी है।

33

राजस्थान में शिक्षा का विस्तार व गुणवत्ता

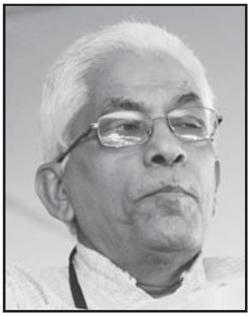

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के बावजूद अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है। सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बढ़ी हुई सुविधाओं के अनुरूप शिक्षकों का चयन व नियुक्ति नहीं हो पाती है। शिक्षा को अभी भी स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, राज्य में उपलब्ध आर्थिक संभावनाओं को वास्तविक रूप में उपयोग में लाने में सफल नहीं हो सकी है। इससे विकास व समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध होता है। निजी उद्यम के प्रवेश के साथ ही शिक्षा में छल-कपट व आर्थिक दुराचारों में वृद्धि हो रही है। निजी विश्वविद्यालय जन साधरण का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनका निराकरण एक निष्पक्ष व स्वतंत्र शैक्षिक नियामक तंत्र द्वारा ही संपन्न हो सकता है।

❑ सन्तोष पाण्डेय

संपादकीय

राजस्थान देश के ऐसे राज्यों में प्रमुख है, जहाँ शिक्षा के विकास व विस्तार में राजकीय शिक्षण संस्थानों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद देशी रियासतों एवं सामंती प्रभाव के कारण, यह अभी भी देश के गरीब व पिछड़े राज्यों शामिल है। स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी औद्योगिक रूप से यह पिछड़ा व गरीब राज्य है। इन स्थितियों ने यहाँ शिक्षा के विकास व विस्तार को बहुत सीमा तक रोका है। देशी रियासतों व धनिक वर्ग ने स्वतंत्रता आन्दोलन के समय से ही स्कूली व महाविद्यालयी शिक्षा की आधार शिला रखी। महिला शिक्षा की दिशा में भी प्रयास हुये। परन्तु ये सभी राज्य की जनसंख्या को समुचित शैक्षिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नितान्त अपर्याप्त थे। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् राज्य के पुनर्गठन के बाद ही शिक्षा का विस्तार गति पकड़ सका। मुख्यत: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था व गरीबी के कारण राज्य सरकार को ही शिक्षा, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा व सामाजिक विकास के लिये पहल करनी पड़ी। देश के आर्थिक उदारवाद की ओर अग्रसर होने व शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम की भूमिका के विस्तार के साथ ही राज्य में शिक्षा व विस्तार तथा विविधीकरण तेजी से आगे बढ़ा है। गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये प्रयोगों ने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। अनेक नये नवाचारों एवं शिक्षा की गुणवत्ता के लिये किये गये प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की नई पहचान बनी है। ऐसे-ऐसे नवाचार हुये हैं कि अन्य राज्य भी इनसे प्रेरणा लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

देश में यह आम धारणा है कि निजी शिक्षण संस्थान ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। यह धारणा तब और पुष्ट हो जाती है, जब आँकड़ों से प्रकट होता है कि देश में निजी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रतिशत अनवरत बढ़कर लगभग सरकारी शिक्षण संस्थानों के समान होने वाला है। यह माना जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र के वैयक्तिक विकास एवं श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम निजी शिक्षण संस्थान ही उपलब्ध करा सकते हैं। राजस्थान ने गत तीन वर्षों में शिक्षा में अभिनव प्रयोगों व प्रेरणा से उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परीक्षा परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि राजकीय विद्यालयों के परिणाम में व्यापक सुधार हुआ है तथा इन विद्यालयों के छात्रों ने योग्यता सूची में स्थान बनाया है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी की दृष्टि से परिणामों में सुधार आया है। राजकीय स्कूलों व प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार जनसहयोग व स्थानीय लोगों की स्कूलों में भागीदारी से राजकीय विद्यालयों में प्रवेशार्थियों की संख्या अनेक वर्षों से कम हो रही थी, उसमें न केवल सुधार हुआ है, वरन् अब संख्या बढ़ने लगी है। सुधार की यह प्रवृत्ति निजी शिक्षण संस्थाओं को भी स्वस्थ प्रतियोगिता के लिये प्रेरित कर रही है, जो स्वागत योग्य है। इस सुधार का ही परिणाम है कि राज्य के छात्र सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं व प्रोफेशनल परीक्षाओं में बड़ी संख्या में सफल हो रहे हैं और योग्यता सूची में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आईआईटी की परीक्षा में राजस्थान के एक छात्र द्वारा शत प्रतिशत अंक प्राप्त करना एक अनुकरणीय एवं प्रेरणास्पद उदाहरण है। कुछ समय पूर्व तक दक्षिण भारत के राज्य व महाराष्ट्र विविध प्रकार की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र थे। अब राज्य में ही इस प्रकार की सुविधायें बड़ी संख्या में उपलब्ध होने लगी है।

गत तीन वर्षों में राज्य की विद्यालयी शिक्षा में अनेक अभिनव प्रयोग किये गये हैं। शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत राजस्थान अग्रणी राज्य बना

जिसने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' का विरोध ही नहीं किया वरन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में पाँचवी के लिए प्रस्ताव व आठवीं कक्षा में परीक्षा को पुन: प्रारंभ किया। यह स्वागत योग्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में अब इस पहल को देश भर में लागू कर राज्यों को इस नीति में छूट प्रदान की गई है। शिक्षा में सुधार के लिये सबसे पहले प्राथमिक शालाओं और विद्यालयों में शिक्षण के लिये आवश्यक भौतिक सुविधाओं में वृद्धि कर आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया गया है और रख-रखाव की ओर ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों के गणवेश में परिवर्तन किया गया है। विद्यालयों के सामान्य व शैक्षिक प्रशासन को मजबूत कर जवाब देह बनाया गया है। राज्य में संसाधनों की कमी के कारण इन संस्थाओं के विकास, विस्तार व आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर स्थानीय जनों का सहयोग लिया जा रहा है एवं संचालन में भूमिका बढ़ाई जा रही है। कम्पनियों की सामाजिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को शिक्षा की ओर मोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में सम्पन्न वर्ग का सहयोग लेने के लिये प्रारंभ की गई भामाशाह योजना एक अभिनव प्रयोग है जिसका अनुलेखा अन्य राज्यों द्वारा किया जाना है। विद्यालयों से संबंधित सभी जानकारी जनसाधारण को उपलब्ध कराने की दृष्टि से शालादर्पण व शालादर्शन नामक पोर्टल प्रारम्भ किये गये हैं जो शिक्षा में इलैक्ट्रोनिक माध्यम के प्रयोग के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा समन्वित विद्यालय योजना के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले आदर्श विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण के नये-नये कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं। शिक्षकों पदस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था

प्रारम्भ की गई है, जिसके स्वस्थ परिणाम आ रहे हैं। पाठ्यक्रम सुधारों के अन्तर्गत नैतिक व शाश्वत मूल्यों, राष्ट्रीय गौरव एवं वास्तविक भारतीय इतिहास को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय आदर्शों के चिह्नों प्रतीकों, व्यक्तियों, मनीषियों से छात्रों को परिचित कराया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में राज्य सरकार ने व्यापक निजी क्षेत्र के लिये संभावना प्रस्तुत की है। तीव्र गति से राजकीय विश्वविद्यालय ही प्रारंभ नहीं किये गये हैं, वरन निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गई है। राज्य में अकादमिक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विशिष्ट ज्ञान व क्षेत्र से संबंधित यथा कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वस्थ्य विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ हुये हैं। पेट्रोलियम, कौशल विकास व खेल विश्वविद्यालय खोलने के प्रयास हो रहे हैं? राजकीय महाविद्यालयों के आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान से प्राप्त सुविधाओं का व्यापक उपयोग हो रहा है। पाठ्यक्रमों में व्यापक सुधार किये जा रहे हैं। कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है। परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली को अधिकाधिक रूप से योग्यता का मापक बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रयास है कि उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाय। सभी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। शोध को प्रेरित करने के प्रयास भी जारी हैं। इन सभी के परिणाम रूप में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के सभी के सचेत प्रयास जारी हैं। प्रत्येक 1 लाख का जनसंख्या पर एक महाविद्यालय स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। महिला शिक्षा के प्रसार हेतु अधिकाधिक कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के बावजूद अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है। सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बढ़ी हुई सुविधाओं के अनुरूप शिक्षकों का चयन व नियुक्ति नहीं हो पाती है। शिक्षा को अभी भी स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, राज्य में उपलब्ध आर्थिक संभावनाओं को वास्तविक रूप में उपयोग में लाने में सफल नहीं हो सकी है। इससे विकास व समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध होता है। निजी उद्यम के प्रवेश के साथ ही शिक्षा में छल-कपट व आर्थिक दुराचारों में वृद्धि हो रही है। निजी विश्वविद्यालय जन साधरण का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनका निराकरण एक निष्पक्ष व स्वतंत्र शैक्षिक नियामक तंत्र द्वारा ही संपन्न हो सकता है और निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा की ऊँची लागत फीस के रूप में वसूलने से रोका जा सकता है। ❑

राजस्थान में शिक्षा

राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में चल रही पूर्ववर्ति अनेक योजनाओं, नवाचारों को बदलाव के साथ उतारने के प्रयास के साथ बहुत सी नवीन योजनाएँ व नवाचार भी किये हैं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार एवं बदलाव दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन 70 वर्षों के कालखण्ड में जनसंख्या के अनुपात में होने वाली शैक्षिक संस्थाओं की कमी आज भी अखरती है। अत: भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के आधार पर आवश्यक स्थानों पर अभी और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं विकास की आवश्यकता है। साक्षरता की दर बढे लेकिन इससे अधिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा उन्नयन के सघन प्रयास अपेक्षित है। जिससे शिक्षा इमारत की नींव को मजबूत कर उस पर भव्य महल का निर्माण किया जा सके।

शिक्षा व्यक्ति निर्माण के साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति की संवाहिका भी रही है, इस नाते शैक्षिक क्षेत्र में जब भी कोई परिवर्तन की बात सोची जाती है तो दो प्रकार के विचार सामने आते हैं। एक विचार के पक्षधरों का मानना है कि 'शिक्षा में एक साथ अत्यधिक परिवर्तन व प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है।' जबकि दूसरे मत के लोगों का विचार है कि 'शिक्षा को देशकाल की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के अनुरूप ढाला जाना चाहिए ताकि वह समय की आवश्यकता के अनुरूप परिवेश को गढ़ सकें।' वस्तुत: उक्त दोनों ही विचारों का अपना-अपना महत्त्व है किन्तु इस विषय पर मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 'अतीत के स्वर्णिम अनुभवों की नींव पर भविष्य का महल यदि आकार लेगा तो उसमें अनुभूत योग से बहुत सी आशंकाओं का निदान स्वमेव हो जाएगा।' अस्तु दोनों विचारों के समन्वय के साथ शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन ही हो अनावश्यक प्रयोग व परिवर्तन शिक्षा के स्तर व गति को बाधित करते हैं जिससे राष्ट्रीय विकास की गति व धारा अवरुद्ध हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद देश की शिक्षा की गति में अपेक्षित प्रवाह नहीं रहा क्योंकि अंग्रेजी मनोमस्तिष्क की भावभूमि से उतरी मैकालयी शिक्षा प्रणाली भारतीय भावभूमि पर चल तो पायी लेकिन लंगड़ाती या लड़खड़ाती। इस शिक्षा प्रणाली में कहीं भी भारतीय मेधा का परिष्कार, स्वावलम्बन अथवा कौशल का विशेष प्रकटीकरण नहीं रहा। इस शिक्षा व्यवस्था से देश में धीरे-धीरे साक्षर बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा वर्ग पनप रहा था जो स्नातक, अधिस्नातक जैसी उपाधियों को प्राप्त कर भी राष्ट्रीय विकास की धारा में सम्मिलित नहीं होने से असंतुष्ट हो रहा था। इस वर्ग को छोटे-मोटे काम करने में शर्म आती थी। यही शर्म इस तथाकथित शिक्षित पीढ़ी को स्वावलम्बी बनाने के मार्ग की बाधा थी। छ: दशकों तक लड़खड़ाती इस शिक्षा व्यवस्था में 2008 का साल सर्वाधिक विनाशकारी रहा, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि 'मैकालयी शिक्षा पद्धति ने भारतीय प्रतिभा का जितना नुकसान किया उससे अधिक हानि 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुई। केन्द्र सरकार के मंत्री ने नयी शिक्षा प्रणाली के नाम पर मानवाधिकार की आड़ में एक ऐसा प्रतिगामी निर्णय लिया, जिसके दुष्परिणामों से उबरने में देश को आगामी दो-तीन दशक लग जाएँगे। यह प्रतिगामी कदम था- 'किसी भी बालक को कक्षा 1 से 8 तक अनुत्तीर्ण नहीं करना।'

इस निर्णय ने देश की शिक्षा व्यवस्था को पूर्णत: चौपट कर दिया। जिसकी चपेट में राजस्थान राज्य भी आ गया तथा देश के मानक विकास पैमाने में राजस्थान को बिमारू राज्य की श्रेणी से अभिघोषित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसे देशव्यापी विड़म्बना ही माना जाना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समितियाँ, आयोग एवं नयी शिक्षा नीति जैसी अनेक इकाइयों की अनुशंसाओं के बाद भी शिक्षा के बुनियादी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गये तथा 2008 के बाद तो यह गर्त में ही जा धँसे लेकिन इसी समय परिवर्तन की एक देशव्यापी लहर ने जनमानस में नूतन आशाओं का संचार किया। राजस्थान में राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही केन्द्र में भी राष्ट्रवादी विचारों की राजनैतिक सत्ता का सूत्रपात हुआ किन्तु इस दौरान बिमारू राज्य राजस्थान सहित देश भर में कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की साजिश के दुष्परिणाम आने

लगे। वस्तुत: उस स्थिति में न विद्यार्थी पढ़ते न शिक्षक पढ़ाते, ऐसे में कक्षा स्तर के ज्ञान से वंचित विद्यार्थी क्रमोन्नत होकर आगे की कक्षाओं में बढ़ तो रहे थे लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में खोखले थे। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों में शैक्षिक अराजकता उत्पन्न हो गयी जिस पर परिवर्तित केन्द्र एवं राज्यों के राजनैतिक नेतृत्व ने अंकुश लगाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक कदम उठाए। आज हम इस आलेख में राजस्थान की समग्र शिक्षा के सन्दर्भ में वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ अभूतपूर्व कार्य किए हैं उनका उल्लेख प्रस्तुत है।

पहले स्कूल शिक्षा

शिक्षा में सांस्कृतिक समावेश – पूर्व में पढ़ाये जा रहे छद्म इतिहास के स्थान पर परिवर्तित स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, हेमू कालानी, वीर दुर्गादास सरीखे स्वाभिमानी देशभक्तों के साथ चाणक्य, पाराशर, कणाद जैसी गुरु परम्परा को आत्मसात करते हुए वर्तमान युग के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. होमी जहाँगीर भाभा, डॉ. अब्दुल कलाम सदृश राष्ट्रीय मानबिन्दुओं का समावेश किया गया है। इसके साथ ही योग व सूर्य नमस्कार को प्रार्थना सभा में जोड़कर शिक्षा के साथ सुस्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने का स्तुत्य प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को 'विश्व योग दिवस' के रूप में सम्पूर्ण विश्व में भारतीय योग का परचम वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की देन है, जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। देश भी इस अनूठे कार्यक्रम का 21 जून को हिस्सा बनता है। प्रतिदिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने के लिए 'वन्दे मातरम्' के साथ 'प्रेरक प्रसंग' एवं शनिवार को 'बाल सभा' के तहत बालक की मौलिक प्रतिभा

शिक्षा की आत्मा भारतीय हो

शिक्षा राजस्थान ही नहीं देश में भी कभी भी प्राथमिकता नहीं पा सकी चाहे वह स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा। इसके लिये कुछ सीमा तक शिक्षक भी उत्तरदायी है, सरकारें तो हैं ही। शिक्षा को कभी भी नैतिक शिक्षा से नहीं जोड़ा गया, अत: शिक्षण संस्थानों में छात्र अराजकता, शिक्षक-असंतोष परिणामत: देखा जाता है, परन्तु शिक्षक संगठन की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसका निर्वाह किया जाना चाहिये।

पाठ्यक्रम निर्माण सरकार का विषय नहीं है यह शिक्षकों का विषय है, इसी प्रकार भारतीय प्राथमिक विद्वानों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये। अर्थ शास्त्र में कौटिल्य, शुक्रनीति आदि से शुरू न करके एडमस्मिथ सें शुरू किया जाता है, राजनीति विज्ञान सुकरात व अरस्तु से शुरू करते हैं जबकि बृहस्पति व विदुरनीति भी प्रभावी रही है, उनका उल्लेख नहीं करते। विज्ञान के विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का महत्त्व समझाना चाहिये। भौतिक शास्त्र पर सिद्धान्त समझाते समय कण के नाम से कणाद नहीं पढ़ाते हुये डाल्टन से ही शुरू करते हैं। चिकित्सा में सुश्रुत आदि विद्वानों को पढाना चाहिये। मनोविज्ञान में श्री कृष्ण जैसा मनोवैज्ञानिक दूसरा नहीं है। इसलिये प्राचीन शास्त्रों को आधार मानकर पाठ्यक्रम निर्माण में सरकार मुखापेक्षी नहीं होना चाहिये। आज वर्तमान एज्यूकेशन इण्डस्ट्री में शिक्षा से संस्कार नहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का महत्त्व और सहयोग चाहते हैं यदि वह मिलेगा तभी ये पनपेंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की स्थिति – समाज को लाभ जब तक नहीं मिले, अनुसंधान निरर्थक ही है। आज जो अनुसंधान हो रहे हैं वे समाज को दिशा नहीं दे रहे हैं। राजस्थान फ्लोराइड पानी की कमी, गौवंश की समृद्धि के लिये अनुसंधान होने चाहिये। ऐसे में पेटेन्ट भी प्राप्त करने चाहिये। शोधों की नकल हो रही है तो सार्थकता कैसे आयेगी।

शिक्षा व्यवस्था – 1975 से 80 तक प्रतिवर्ष व्यवस्था के पद विज्ञाप्ति होते थे, पद खाली नहीं रहते थे, सरकार के द्वारा बजट में घोषणा कर देने पर भी आज तक पद नहीं भरे गये। अत: पदों पर नियुक्तियाँ होनी चाहिये, शिक्षक ही नहीं है तो विद्यार्थी प्रवेश कैसे लेंगे। राजस्थान में आज महाविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि खेल के मैदान नहीं हैं, बहुत से विद्यार्थियों को प्रयोग साथ-साथ करने पड़ते हैं। पुस्तकें खरीदी नहीं जाती। हम गुणवत्ता की भी बात करते हैं, शिक्षकों से मूल कार्य छीनकर अन्य कार्य करवा रहे हैं, शिक्षा में नैतिकता , अध्यात्म, संस्कार का समावेश करना चाहिये।

प्रदेश की आदर्श शिक्षा व्यवस्था – शिक्षा आदर्श होगी तभी परिणाम देगी, आज विद्यालय में विद्यार्थी जाता है पर उसे वातावरण नहीं मिलता, समाज के लिये उत्तरदायी कैसे बने इसके लिये वातावरण देना पड़ेगा।

– डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

शिक्षा – चुनौतियाँ एवं नवाचार

शिक्षा आदि काल से ही व्यक्ति के समग्र विकास का वाहक रही है। सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है, यही वह गुण है जो व्यक्ति को अन्य प्राणियों से भिन्न करता है। सभ्यता, संस्कृति एवं मूल्यों का विकास शिक्षा से ही संभव हैं। सत्य और असत्य, नीति और अनीति, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, समानता और विषमता तथा स्वतंत्रता और पराधीनता में अन्तर शिक्षा के कारण ही किया जाना संभव है। शिक्षा ने समाज को अधिकार, कर्तव्य तथा परिवार समाज और राष्ट्र के प्रति चेतना प्रदान की है। प्राचीन काल से ही शिक्षा के प्रसार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी राजतंत्र और लोकतंत्र की नीतियों के कारण तो कभी समाजवादी, उदारवादी, फासीवादी, और अधिनायकवादी विचारधाराओं की नीतियों के चलते शिक्षा को अपना स्वरूप तय करने के लिये, पाठ्यक्रम के लिये, भाषाई माध्यम से लिये, क्षेत्रीय मुद्दों के लिये और समसामयिक मुद्धों के लिये भिन्न-भिन्न मतों के चलते चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

राजस्थान में वर्तमान सरकार नें गठन के साथ ही प्रमुख लक्ष्य शैक्षिक सुधारों का रखा, शैक्षिक उन्नयन राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक नवाचारों के चलते शिक्षा विभाग ने एक विशेष छाप छोड़ी हैं। इन नवाचारों में महत्त्वपूर्ण हैं –

विद्यालय क्रमोन्नति और समन्वयन इस सरकार की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। कक्षा 01 से 10 और 01 से 12 तक के विद्यालयों का संचालन का प्रावधान रखा गया है, ताकि एक ही विद्यालय शिक्षा के लिये जिम्मेदारी के साथ बालक का सर्वांगीण विकास करें। आज राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अवस्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्टाफिंग पैटर्न और समानीकरण भी राज्य सरकार का प्रमुख नवाचार हैं जिससे शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात को नियंत्रित किया गया हैं। शिक्षार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षक-शिक्षार्थी संवाद में प्रगति हुई हैं, और बालक के विकास पर भली-भांति नजर रखी जाने लगी है।

वर्षों से अवरुद्ध पदोन्नतियाँ राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण नवाचार रहा है। जिसमें शिक्षक को उसके कार्य और वरिष्ठता का प्रतिफल मिला, गरिमा बढ़ी, आत्म सम्मान बढ़ा, और शिक्षक ज्यादा जोश और उत्साह से कार्य करने लगा है। आज पदोन्नतियों के कारण द्वितीय वेतन शृंखला, से लेकर संस्थाप्रधान, एवं उच्चाधिकारियों के समस्त पदों को भर दिया गया हैं, जिससे नियंत्रण और निर्देशन में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की जा सकी है।

शिक्षा की गुणात्मकता सुनिश्चित करने हेतु कक्षा 01 से 05 तक बाल केन्द्रित सक्रियता से ओत-प्रोत सतत व्यापक शिक्षा प्रणाली S.I.Q.E. लागू की गई है तथा No detention Policy के आधार पर पंचम व अष्टम कक्षा में बोर्ड परीक्षा किये जाने से परीक्षा परिणामों की गुणात्मकता एवं प्रामाणिकता बढ़ी है।

नैतिकता संस्कार और मूल्यों को प्रमुख स्थान दिये जाने के लिये प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रमों को आकर्षक और प्रभावी बनाया गया है। जिसमें ध्यान, योग, सूर्य नमस्कार और व्यायाम इत्यादि जोड़कर बालकों के लिये प्रार्थना सभा को सुरुचिपूर्ण बनाया गया है साथ ही पाठ्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों यथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महाप्रतापी राजा सूरजमल तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि को जोड़कर बालकों को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा गया है।

कई वर्षों से उपेक्षित की स्थिति में रही देव भाषा संस्कृत के लिये भी सरकार नें 6,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हैं जिससे मूल भाषा से साथ-साथ बालकों में संस्कारों का भी निर्माण हो सकेगा।

जनसहभागिता के लिए निरन्तर SMC एवं SDMC की प्रतिमाह अमावस्या को होने वाली बैठक तथा तिमाही अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक से लाखों अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने का मौका मिला हैं, जिससे उनकी सोच और समझ राजकीय विद्यालयों के प्रति बदली है और सकारात्मक सोच के कारण नामांकन में भारी अभिवृद्धि होने के साथ-साथ बोर्ड परीक्षा परिणाम भी शानदार रहे हैं।

पदस्थापन की काउसंलिग की पारदर्शी व्यवस्था नें शिक्षक समाज को सकारात्मक क्रांतिकारी संदेश दिया है। इससे विभाग के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण में सम्मान तो बढ़ा ही है साथ ही इधर-उधर के प्रयास समाप्त होने से उनका शिक्षण के प्रति रुझान बढ़ा है।

शिक्षा को कम्प्यूटरीकृत करने के निमित शाला दर्शन, शाला दर्पण, ई-ज्ञान पोर्टल, निजी विद्यालयों का पोर्टल एवं आन लाइन मान्यता का पोर्टल शुरू किया गया है। साथ ही सबके साथ विद्यालयों के विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री विद्यादान कोष एवं अक्षय पेटिका जैसे कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं।

इन सभी नवाचारों ने प्रदेश की शिक्षा को सर्व सुलभ व असामनता रहित बनाया है। इन्हीं प्रयासों से राजकीय विद्यालयों का स्तर उन्नत हुआ हैं, निश्चित ही आने वाले समय में राजकीय विद्यालयों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ण सकारात्मक और प्रभावी रहा है, और शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी ऐसा माना जाने लगा है।

प्रो. वासुदेव देवनानी
शिक्षा राज्यमंत्री

के प्रकटीकरण का अवसर प्रदान करवाना मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक समावेश की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य के समस्त 3061 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पुस्तकालयों में एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्पूर्ण वाङ्मय को उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानन्द, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, वीर सावरकर, महाराणा दाहरसेन, खुदीराम बोस, हेमू कालानी, नाना जी देशमुख जैसे प्रतिभा सम्पन्न महापुरुषों की जीवनियाँ राज्य के सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध करवायी गयी। प्रदेश के समस्त 13 हजार से अधिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज संस्कार प्रदान करने वाला साहित्य उपलब्ध है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता के भाव भरने में सक्षम है।

वन बन्धुओं को शिक्षा से जोड़ने की प्रभावी पहल – इस प्रकल्प के तहत वनवासी अंचल में पूर्व से चल रहे विद्यालयों के लिए नियमों में संशोधन कर वनवासी बन्धुओं की शिक्षा के संचालन में प्रभावी कदम उठाया। इससे पूर्व इस क्षेत्र के विद्यालयों में मान्यता के लिए प्रति विद्यालय 50 हजार रुपये की एफ.डी.आर. कराने की बाध्यता थी, जिसको वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। इस संशोधन का प्रभाव यह पड़ा कि किसी समय में 500 की संख्या में चलने वाले वनवासी अंचल के विद्यालयों की संख्या एफडीआर की बाध्यता के कारण 139 के आँकड़ों तक सिमट गई किन्तु जैसे ही यह प्रतिबन्ध हटा तो मृत प्राय होते उन विद्यालयों को संजीवनी मिली और उनकी संख्या 139 से 340 तक बढ़ गयी तथा आगे भी बढ़ने की संभावना जारी है।

मॉडल स्कूल अब विवेकानन्द केन्द्र – इस अभिकरण के तहत प्रदेश के सभी मॉडल स्कूलों का नामकरण विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानन्द के नाम से जाने जाएँगे। इन केन्द्रों में स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा लगाई जाएगी जिसके नीचे 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्' का ध्येय वाक्य विद्यार्थियों के बालमन को जाग्रत कर सकेगा। वर्तमान राजस्थान में इनकी संख्या 132 हैं तथा इन्हें सीबीएसई से जोड़कर अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा देना भी प्रारम्भ कर दिया। वर्तमान में ये केन्द्र राज्य के नामचीन निजी विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं।

देशभाषा संस्कृत को मिली महत्ता – संस्कृत को विशेष महत्त्व देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय का पद स्वीकृत किया है। जिस पर अन्य विषयों के विषय अध्यापक की तहत संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम में भी संस्कृत को 'तृतीय भाषा' के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अनौपचारिक शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थी संस्कृत का ज्ञानार्जन कर सकेंगे।

एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार – पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा देय गार्गी पुरस्कार के अतिरिक्त इस सरकार ने स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के राज्य एवं जिला स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले बालक व बालिका को क्रमशः 'एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार' दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में गुणवत्ता बढ़ाने की प्रेरणा दे सकेगा जो औपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जाकर नियमित अध्ययन करने के स्थान पर घर पर रुक कर रोजगार के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अब से राजस्थान राज्य स्टेट ओपन स्कूल का भवन एकलव्य भवन कहलाएगा। इस नामकरण के पीछे बालकों में स्वयं की साधना से एकलव्य की भाँति लक्ष्य प्राप्ति का भाव भरना है।

ढाँचागत संरचना में सुधार – सरकार ने पहली बार विद्यालयों की ढाँचागत संरचना में सुधार करने के निमित्त विद्यालयों की ढाँचागत संरचना को दो स्वरूपों में ही रखने का कदम उठाया। जिसके तहत अब आगे प्रदेश के विद्यालय 1 से 10 व 1 से 12 के रूप में ही संचालित होंगे। इस हेतु 13,900 उच्च प्राथमिक विद्यालय/ प्राथमिक विद्यालय को उनके नजदीक स्थित 11,730 उ.प्रा.वि./प्रा.वि.विद्यालय में समन्वित कर माध्यमिक शिक्षा के अधीन 13,304 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना की गई। 2382 प्रा.वि/उ.प्रा.वि. को भी उनके नजदीक के 1251 प्रा.वि./उ.प्रा.वि. में समन्वित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 12 तक के आदर्श विद्यालय की संकल्पना को साकार किया। गुणात्मक पहल, सघन निगरानी व नियंत्रण की व्यवस्था के चलते राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों से अच्छे रहे जिससे सरकारी विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि हुई।

आदर्श विद्यालय योजना– माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन चरणों में 13,895 विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के रूप में समन्वित कर आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया। इन विद्यालयों में शिक्षकों के साथ अन्य सहयोगी व्यवस्था के पदों को भरने संस्था प्रधान के 16 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण तथा नामांकन हेतु जिला व खण्ड केन्द्रों के अधिकारियों को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया।

उत्कृष्ट विद्यालय योजना – प्राथमिक शिक्षा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 9670 विद्यालयों को कक्षा 1 से 5/8 के रूप में समन्वित कर उसी ग्राम के आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित हो तथा आगामी तीन वर्षों के लिए नामांकन वृद्धि व परीक्षा परिणाम में भी अपेक्षित सफलता मिले। साथ ही गुणात्मक सुधार हेतु सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की क्रियान्विति सुनिश्चित की।

विवेकानन्द केन्द्रों का स्वरूप– नवाचार की इस पहल के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में सीबीएससी से सम्बद्ध अंग्रेजी माध्यम के 132 विद्यालयों का संचालन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इन विद्यालयों में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्यूटर लैब, के–यान प्रोजेक्टर के अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान, संगीत वादन, योग आर्ट एवं क्राफ्ट आदि के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का चयन एक विशेष चयन प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। यहाँ कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए अतिरिक्त समयावधि एवं विशिष्ट गणवेश तय किया गया है। उक्त विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 55 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। आने वाले समय में यह विद्यालय अपनी कार्य योजना एवं गुणवत्ता के कारण जाने जा सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा – वर्तमान शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के कौशल विकास योजना की भावना के अनुरूप रोजगार से जोड़ने के लिए विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो सम्बन्धित क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षित व दीक्षित कर रोजगारक्षम बना सकेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय आवश्यकता के रोजगार की पहचान कर विभिन्न ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। नवाचार के इस प्रकल्प के अन्तर्गत राज्य के 670 विद्यालयों में 10 ट्रेड्स के अन्तर्गत 50 हजार 500 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

नामांकन के अनुसार स्टाफ निर्धारण (स्टाफिंग पैटर्न)– वर्तमान सरकार ने मानव संसाधन का समुचित उपयोग हो इसके लिए विभिन्न श्रेणी के शिक्षक को, लिपिक वर्ग, प्रयोगशाला सहायक वर्ग तथा अन्य अनेक संवर्गों का नामांकन के आधार पर आनुपातिक पद निर्धारित किए गए। जिसके तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. के नियमों के अनुसार शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया गया। इस व्यवस्था में कक्षा 6 से 8 तक विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की गयी तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

बाल केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा

शिक्षा व्यवस्था में युगानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन शैक्षिक वैशिष्ट्य होता है। इससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरल एवं सुखद होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए विद्यालयों का समानीकरण किया गया है। इससे न केवल शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग को भी राहत मिलेगी। एस.आई.क्यू.ई. योजना के तहत शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि भी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किए जा रहे उसमें –

- भौतिक संसाधनों में वृद्धि।
- विभिन्न मदों से विद्यालयों में निर्माण कार्य कराऐ जा रहे हैं जैसे खेल के मैदानों का मनरेगा जैसी योजनाओं द्वारा समतलीकरण एवं दीवार बनवाना तथा प्रत्येक जिले में अधिकतम विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर विवेकानन्द मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा उन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

विद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण में छात्रों को अपनी शैक्षिक अभिरुचि एवं कुशलता अभिवृद्धि के लिए शैक्षिक पर्यावरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का निर्माण होता है।

बालक केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों में भौतिक चिंतन एवं सृजनात्मकता को बढ़ाने परीक्षा का भय समाप्त करने, विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियों के छात्रों के रुझान को विकसित करने इत्यादि प्रवृत्तियों में विद्यालयों द्वारा समुचित प्रयत्न किए जा रहे हैं।

– पी.सी. किशन
निदेशक प्रा. शिक्षा

विद्यालयों में नामांकन के साथ विद्यालयों में संचालित संकाय के आधार पर शिक्षकों के पदों का निर्धारण किया गया।

शिक्षकों का समानीकरण – राज्य सरकार ने राज्य के सभी 13527 राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक तथा 51569 प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के आधार पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार शिक्षकों का समानीकरण किया गया जिसके चलते शहर या कस्बों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की उपलब्धता को बेहतरीन उपयोग के लिए शहरी ठहराव को आधार मान कर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र अथवा मरुस्थलीय क्षेत्रों में सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे इन क्षेत्रों का शैक्षिक वातावरण संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से सुधर सके।

परामर्श द्वारा पदस्थापन – राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई इस अनुठी पहल की चर्चा को पूरे देश भर में हो रही है तथा केन्द्र सहित अन्य राज्यों ने इसे सराहा है। यह एक ऐसी अनूठी योजना है, जिसके तहत एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी पद्धति के द्वारा दिव्यांगों, असाध्य रोगियों, विधवा/ परित्यकता एवं महिला को प्राथमिकता के आधार पर तथा शेष शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में उपलब्ध स्थानों पर उनकी इच्छा के अनुरूप पद स्थापित किया गया, जिसके चलते शिक्षकों के स्थानान्तरण का अनावश्यक बोझ कम हो गया।

विद्यालय हुए ऑनलाइन – नवाचार की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य के समस्त विद्यालयों को शाला दर्पण/ शाला दर्शन पोर्टल के अन्तर्गत माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के विद्यार्थियों, भौतिक संसाधनों, कर्मचारियों एवं समस्त सुविधाओं को अपलोड किया गया ताकि एक क्लिक पर ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। राज ई-ज्ञान पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के हिन्दी व अंग्रेजी विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी गयी है, जिसका संबंधित कक्षा के विद्यार्थी ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से 1.50 लाख शिक्षकों को कम्प्यूटर का शिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि वो भी आधुनिक तकनीक से परिचित हो सकें। राज्य के 7125 विद्यालयों में आईसीटी लैब्स की स्थापना की जा चुकी हैं तथा 303 विद्यालयों को और चिह्नित किया गया है। जिनमें इन लैब्स की स्थापना की जानी हैं। उत्तम शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर प्रदेश के 2000 विद्यालयों में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के लिए सेटेलाइट के माध्यम से विषय वस्तु का प्रसारण किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी सीधे लाभान्वित हो सकें। स्कूली शिक्षा के स्तर पर आधुनिक तकनीक से जानकारी करने के लिए राज्य के 12 स्थानों पर डिजिटल तकनीक से अद्यतन हो सकेंगे। सरकारी विद्यालयों की भाँति प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी ऑनलाइन करने की योजना चल रही है, जिसका दूरगामी प्रभाव फर्जी टी.सी. व आरटीई के तहत फर्जी नामांकन को रोकने में मद्‌दगार हो सकेगा। नवाचार के इस प्रकल्प के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा समाधान पोर्टल भी बनाया गया है, जहाँ पर वे अपनी समस्या दर्ज करवाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक नया क्रांतिकारी कदम यह भी उठाया गया है कि प्रदेश के सभी चयनित छात्र-छात्राओं को उनके संवर्ग से सम्बन्धित छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से उनके संबंधित खातों में जमा करवाई जाएगी। जिसका उपयोग संबंधित वांछित वर्ग का बालक-बालिका अपने आगे के अध्ययन के लिए कर सकेगा। यह प्रक्रिया अपनाए जाने से छात्रवृत्ति वितरण में होने वाला अनावश्यक विलम्ब एवं फर्जीवाड़ा दोनों पर अंकुश लगा है।

प्रारम्भिक गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास – प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता हेतु एसआईक्यूई परियोजना के तहत राज्य के 65 हजार विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुनिश्चित कर बाल केन्द्रित गतिविधियों पर आधारित शिक्षण तथा किये गये शिक्षण का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाकर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया हेतु संबंधित कक्षा स्तर के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को एसआईक्यूई परियोजना पर आधारित सघन व समेकित प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे वे विद्यार्थियों में कक्षा स्तर के अनुरूप शिक्षण प्रदान कर सकें। परीक्षा की उपादेयता एवं कक्षास्तर के अपेक्षित ज्ञान स्तर को ध्यान में रखकर आगामी सत्र में कक्षा 5 व 8 दोनों की परीक्षा, डाइट केन्द्रों के माध्यम से करवाए जाने का विचार किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम को अत्यंत उन्नत करने की दृष्टि से कुछ नए मानदंड तय किए गए हैं जिसमें श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का दायरा 80 प्रतिशत या उससे अधिक रखा गया है। इससे पूर्व यह दायरा 75 प्रतिशत या उससे अधिक था। इसी प्रकार न्यून परीक्षा प्रणाली का दायरा भी 12वीं कक्षा के लिए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत या उससे कम तथा 10वीं कक्षा के लिए यह दायरा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत या उससे कम रखा गया है। इसी कड़ी में संस्था प्रधानों के लिए निर्धारित परीक्षा परिणाम का दायरा 12वीं में 50 प्रतिशत व 10 वीं में 40 प्रतिशत

अथवा उससे कम रहने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

बी एड इन्टर्नशिप कार्यक्रम – इस योजना के तहत बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षण अनुभव के लिए सरकारी विद्यालयों से जोड़ा गया है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एक माह के लिए तथा द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थी 4 माह के लिए आवश्यकता के अनुसार उन विद्यालयों में जा कर अध्यापन कार्य में सहयोग करेंगे, जहाँ शिक्षकों की कमी है। इस योजना के दो लाभ हैं, पहला बीएड प्रशिक्षणार्थियों को अध्यापन का अनुभव होगा तथा दूसरा सम्बन्धित विद्यालय के छात्र शिक्षण द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे।

बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री राजश्री योजना – इस योजना के तहत राजस्थान की मुख्यमंत्री ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले से प्रथम दो स्थान प्राप्त मेधावी बालिकाओं को व बीपीएल परिवार की बालिकाओं को वित्तीय सहायता देना तय किया है। इस योजना के तहत गत दो सत्रों में 198 बालिकाएँ लाभान्वित हुई। इन बालिकाओं की कक्षा 11 व 12 में 15000 से 1 लाख तक की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ नाम से किया गया।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राजस्थान की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए एक दूरगामी योजना का निर्माण किया गया जिसके तहत 1 जून 2016 से किसी भी बालिका के जन्म के समय 2500, प्रथम जन्म दिवस वर्षगाँठ पर 2500, राजकीय विद्यालय में प्रवेश के समय 4000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5000, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11000 तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। इस प्रकार एक बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेने तक कुल 50,000 की राशि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत दी जाएगी। जो बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन का एक दूरगामी सार्थक कदम है।

विद्यालय सौंदर्यीकरण – (रंग रोगन) की प्रक्रिया में 9895 आदर्श विद्यालयों में से 8315 आदर्श विद्यालय में रंग रोगन का कार्य किया जा चुका है। शेष में प्रक्रियाधीन है। अभी हाल ही में हुए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का स्थान देश में तीसरा रहा है जो अपने आप में उल्लेखनीय कदम कहा जा सकता है। राजस्थान के समस्त सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान की उपलब्धता आँकड़ा कुछ इस प्रकार है– कुल 13552 विद्यालयों में से 9670 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध है तथा 9895 आदर्श विद्यालयों में से 7362 आदर्श विद्यालयों में खेल मैदान की उपलब्धता है। इन समस्त विद्यालयों के खेल मैदान का विकास/ समतलीकरण (मनरेगा के तहत) किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 9895 आदर्श विद्यालयों में से 3757 विद्यालयों मनरेगा के अन्तर्गत खेल मैदान हेतु स्वीकृति हो चुकी है तथा 524 विद्यालयों में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना के तहत 919 स्वीकृत कार्यों में से 200 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 443 प्रगतिरत हैं। 234 में कार्य प्रारम्भ होना शेष है। इस योजना के अन्तर्गत 27.50 करोड़ की राशि स्वीकृत है। जिसमें 5.80 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों को इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की पहुँच बनाने के लिए कुल 13552 विद्यालयों में से आईसीटी के अन्तर्गत 6624 कम्प्यूटर तथा आईसीटी के अतिरिक्त 5782 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं तथा 2777 विद्यालयों में कम्प्यूटर की अनुपलब्धता है साथ ही 7844 विद्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है तथा आदर्श विद्यालयों में 5408 विद्यालयों में इन्टरनेट की उपलब्धता है।

वर्तमान सरकार ने एक और दूरगामी कदम के तहत मा.वि./ उ.मा.वि. ने विद्यालयों का 80जी रजिस्ट्रेशन का किया है, जिसके अन्तर्गत 1753 विद्यालयों में पैन कार्य के लिए आवेदन किया है। जिनमें से 590 विद्यालयों को पैन कार्ड आवंटित हो चुका है। 96 विद्यालयों ने 80जी के लिए आवेदन किया है। 02 विद्यालयों को 80जी का प्रमाण–पत्र जारी हो चुका है। इस योजना के तहत मिलने वाली जनसहयोग राशि को आयकर से मुक्त रखा गया है।

क्लिक योजना हेतु वर्ष 2017–18 में राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी ज्ञान विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु 'क्लिक' योजना लागू की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी न्यूनतम राशि में कम्प्यूटर का अध्ययन कर सकेंगे।

अध्ययनरत बालिकाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता हेतु 3870 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ कक्षा 9 से 12 में बालिकाओं का नामांकन 100 से ज्यादा है। ऐसे 869 विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर/ इनसीरेटर लगाये जा चुके हैं।

राज्य सरकार के 7025 विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब स्थापित की जा चुकी है। 2000 विद्यालयों में सैटेलाइट के माध्यम से अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर विषय के शिक्षण का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। 625 विद्यालयों व 11 डाइट्स में स्मार्ट वर्चुअल कक्षा-कक्ष स्थापित कर दिये गये हैं, 125 विद्यालयों में स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य में डिजीटल लिटरेसी कार्यक्रम के तहत RKCL के द्वारा चलाये जा रहे RSCIT कोर्स हेतु 1,61,412 शिक्षकों का पंजीकरण व इनमें से 1,30,839 शिक्षकों ने कोर्स पूर्ण कर लिया है। आईसीटी तृतीय चरण अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर लैब की परफोरमेंस रिपोर्ट ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

मॉडल स्कूल नामांकन एवं परिमाण - 134 मॉडल स्कूलों में 53,680 के विरुद्ध अब तक 43,472 विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं। शेष नामांकन प्रक्रियाधीन है। 66 मॉडल स्कूलों में सत्र 2016-17 का परिणाम निम्नानुसार है- 56 मॉडल स्कूलों में शत प्रतिशत परिणाम रहा। कुल परिणाम 98.83 प्रतिशत। 112 विद्यार्थियों ने 10CGPA प्राप्त की।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्व में संचालित छात्रावासों हेतु 100 छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित कर इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिलों को दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये। सभी बालिका छात्रावास के नोडल विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पर बालिका छात्रावास एवं छात्राओं से सूचना फीड किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये। शारदे बालिका छात्रावासों में राजकीय वार्डनों के चयन हेतु प्रथम चरण (फरवरी माह) में 29 वार्डनों का चयन किया गया। रामाशिप के अधीन संचालित बालिका छात्रावासों में छात्रावासों पर विभिन्न मदों में होने वाले व्यय हेतु आवर्ती मद में सत्र 2016-17 में माह अप्रैल से सितम्बर, 2016 (6 माह) तक छात्रावासों में छात्राओं की संख्या के आधार पर जिलों को कुल तेरह करोड़ पैंसठ लाख छः हजार तीन सौ मात्र राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा अक्टूबर 2016 से मार्च, 2017 (6 माह) आवर्ती मद में 84141000/- राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। बालिका शिक्षा फाउण्डेशन से प्राप्त राशि 5452500/- से शारदे बालिका छात्रावासों में बिस्तर क्रय करने के लिए छात्रावासों को उपलब्ध करवायी गयी। शारदे बालिका छात्रावासों में भौतिक उन्नयन हेतु समस्त छात्रावों में सैनेट्री पैड डिसपेन्सर एवं इन्सीनरेटर, जिला अजमेर के 7 छात्रावासों में वॉशिंग मशीन, जिला करौली के चार छात्रावासों में टीवी एवं जिला जयपुर के चार नवीन छात्रावासों में फ्रीज, टीवी एवं वॉशिंग मशीन क्रय करने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन से प्राप्त 4006000/- राशि की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की

परिलक्षित होने लगे सुधार के प्रयास

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में शिक्षा में सुधार पर भाजपानीत एनडीए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा- 'अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था, किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।' पाठ्य सामग्री को राष्ट्रहित की कसौटी के अनुरूप ढालने और परखने की बड़ी चुनौती के बीच शिक्षा में सुधार साफ तौर पर परिलक्षित होने लगे हैं, लेकिन मानसिकता में बदलाव बिना शिक्षा से संस्कार निर्माण का काम प्रभावी ढँग से पूर्ण नहीं हो पाएगा। मसलन, आधुनिक सूचना तकनीक से स्कूल शिक्षा को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ई-पाठशाला मोबाइल एप लॉन्च किया है। सरकार का यह एप नियमित रूप से अपडेट भी हो रहा है और यह ज्ञानवर्द्धक भी है, लेकिन स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के चलते यह विद्यार्थियों की पहुँच से दूर है। किसी भी बदलाव के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव तथा बदलाव के अनुरूप वातावरण निर्माण जरूरी है।

सीबीएसई में फिर से बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य करने का फैसला शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से निश्चित रूप से अहम है। कोचिंग के लिए केंद्र की छात्रवृत्ति स्कीम से स्कूल शिक्षा के कोचिंग के कुचक्र में उलझ जाने का खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ सरकार ट्यूशन की दुष्प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोचिंग के प्रोत्साहन से विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ उसके प्रभावों को भी समय-समय पर विश्लेषण किया जाना जरूरी है।

- डॉ. हनुमान गालवा

- डिप्टी न्यूज एडिटर, राजस्थान पत्रिका समूह, जयपुर

शिक्षा में समग्रता होनी चाहिए

वर्तमान में यदि शिक्षा की बात करें तो कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ चुनौतियाँ हैं, स्टूडेन्ट रेसो बढ़ा है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है इसके बाद भी शिक्षा के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं –

शिक्षा की पहुँच – अभी भी हमारे देश में शिक्षा की पहुँच सब जगह नहीं है, गाँव, शहर सभी जगह शिक्षा की उपलब्धता पूर्ण होनी चाहिए।

सक्षमता –निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के कारण शिक्षा महँगी हो गयी है अत: प्रत्येक विद्यार्थी उसको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

गुणात्मकता – शिक्षा की जिस प्रकार की गुणात्मकता होनी चाहिये उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है।

गवर्नेन्स (नियंत्रण) – यह ठीक नहीं है अत: एक चुनौती है।

भारतीय दृष्टिकोण का अभाव– शिक्षा में मैकाले दृष्टिकोण पहले थोपा गया था वह दूर नहीं हुआ है। इसमें भारतीय दृष्टिकोण का अभाव है।

समग्रता का अभाव – शिक्षा में खण्डता है यह प्राथमिक–माध्यमिक–उच्च इनमें सबमें एक प्राण (समग्रता की आवश्यकता है) जो कि प्रवाहयुक्त होकर सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व का विकास करे।

सरकार ने गम्भीर प्रयास किये हैं एवं सफलतायें भी मिली है, नामांकन बढ़ा है, कॉलेज मण्डल तक पहुँचे हैं, वर्ल्डक्लास यूनिवर्सिटी की बात है, नवोदय विद्यालय चलता है, स्कूल और कॉलेज अधिकांश जगह पहुँच रहे हैं, स्कूल और कॉलेजों में नवाचार हो रहे हैं लेकिन हमारा सपना पुन: विश्वगुरु का है उसके लिये सार्थक प्रयास अपेक्षित है।

जो हम खण्ड–खण्ड शिक्षा दे रहे हैं उसमें समग्रता आनी चाहिए, अन्त:अनुशासनिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिये, शिक्षा सूचनाओं पर आधारित न होकर विवेक वृद्धि करने वाली तथा चरित्र गढ़ने

वाली हो। अपरा और परा विद्याओं में अभी अपरा बढ़ रही है औपचारिकतायें हैं, कोर्स हैं, डिग्रियाँ हैं, पैकेज हैं यही सब चल रहा है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि श्री अरविन्द का कौन शिक्षक था, रामकृष्ण परमहंस ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने परा शिक्षा प्राप्त की इसलिये परा विद्या को शिक्षा का अंश बनाने की आवश्यकता है। जिससे जीवन में सार्थकता आये। चरित्र व संस्कार व्यक्तित्व का भाग बने, जीवन मूल्य व्यक्तित्व में समाविष्ट हों, ऐसी शिक्षा चाहिये।

आज सभी को शिक्षा प्राप्त करने का हक है, हमने हमारे प्राचीन शास्त्रों को शिक्षा में समाविष्ट नहीं किया है, अत: व्यक्तित्व के रूपान्तरण हेतु यह आवश्यक है और जब शिक्षा भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगी तभी वह व्यक्तित्व को रूपान्तरित कर पायेगी।

सरकार शिक्षा के लिये प्रयत्न करती है लेकिन हम अभी तक सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा पर ही इसके लिये समाज नियोजित पोषित शिक्षा की आवश्यकता है। उसकी निर्भरता (सरकार पर) को कम करने की आवश्यकता है, भामाशाह योजना अभिनन्दनीय है, इसे बढ़ाना चाहिये, निजी शिक्षा पर नियमन और नियंत्रण रहे जिससे शोषण नहीं हो।

शिक्षा व पाठ्यक्रम छात्र केन्द्रित होना चाहिये, शिक्षक की भूमिका शिक्षा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है अत: क्या वह सब कुछ दे पा रहा है जिसकी अपेक्षा शिक्षक से है, हमें वेतन भोगी शिक्षक से हटकर समाज का शिक्षक होना चाहिये, प्रौद्योगिकी शिक्षक का प्रतिस्थानापन्न नहीं हो सकती। वह सहायक हो सकती है। शिक्षक और शिक्षार्थी की दूरी कम कर उनमें सामञ्जस्य व आत्मीयता बढ़ाने की आवश्यकता है।

शिक्षा को समाज से व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है जैसे उच्च शिक्षा में सीएसआर के तहत उसका निश्चित भाग शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने पर जोर है। लेकिन हमारे देश समाज व उद्योगों की आवश्यकता क्या है और क्या वह शिक्षा पूर्ण कर रही है।

शोध और नवाचार उपयुक्त नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उच्च शिक्षा में हमने शोध को सुविधाओं से जोड़ दिया है। अत: शोध को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। क्लस्टर ऑफ कॉलेज या क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी पर शोध संस्थान बनना चाहिये तथा शोध की क्वालिटी की मोनिटरिंग होनी चाहिये।

शिक्षा में प्रयोगधर्मिता हो जैसे पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के विषय, शिक्षा आपके घर (जैसे व्यक्ति ने यह प्रारम्भ किया) वैदिक गणित शुरू किया गया, इन सभी प्रयोगों के परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण शिक्षा चहुँमुखी विकास का आधार बने तो प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के लिए पुनर्संरचना की आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षा को पूर्णरूप से सरकार राजनीति, नौकरशाही से मुक्त करना चाहिये। सम्पूर्ण शिक्षा में अच्छे शोध, अच्छे कार्यों का सम्मान हो नियमों की बाध्यता कम हो तथा स्वायत्तता आये।

– जगदीश प्रसाद सिंघल
महामंत्री, अ.भा.रा.शै.महासंघ

गई। तद्नुसार जिलों को निर्देशन प्रदान किये गये। राज्य में संचालित शारदे बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत 149 पुराने छात्रावासों हेतु सत्र 2017-18 में आवृती मद के व्यय (यथा भोजन, वार्डन, कुक हैड कुक व चौकीदार की सेवा का भुगतान, विद्युत एवं जल पर व्यय, मरम्मत एवं विविध व्यय) हेतु अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017 तक कुल 170275811/- राशि की स्वीकृति जारी करने की प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के दृष्टिहीन विद्यार्थियों को जिलों से प्राप्त माँग के अनुसार ब्रेल लिपि पुस्तकों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2016-17 में 195 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेललिपि पुस्तकों का वितरण किया गया। 2000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 1692 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को भत्ता जारी किया गया। 2500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को ट्राँसपोर्ट अलाउन्स दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 800 CWSN के लिए ट्राँसपोर्ट अलाउन्स जारी किया गया। 2500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को एस्कोर्ट अलाउन्स दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 240 CWSN के लिए एस्कोर्ट अलाउन्स जारी किया गया। 1500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को रीडर अलाउन्स दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 77 दृष्टिहीन CWSN के लिए रीडर अलाउन्स जारी किया गया।

वातावरण निर्माण कार्यक्रम- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के लिये सकारात्मक एवं सहयोग का माहौल बनाने के लिये राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फंक्शन असेसमेन्ट कैम्प- राज्य के प्रत्येक जिले में एलिमको (Artificial limb manufacturing corporation) कानपुर समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2016-17 में 645 CWSN को अंग एवं उपकरण प्रदान किये गये एवं 692 CWSN को विकलांग प्रमाण-पत्र एवं 324 CWSN की बस यात्रा पास जारी करवाये गये। रिर्सोस केन्द्र-विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सम्बलन प्रदान करने हेतु राज्य में 295 रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

टॉयलेट - सत्र 2016-17 में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु 14 डिसेवल फ्रेन्डली टॉयलेट्स का निर्माण कर लिया गया है एवं सत्र 2017-18 में 141 डिसेबल फ्रेन्डली टॉयलेट्स की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मॉडल रिसोर्स रूम- सार्थम समूह के सहयोग से राजकीय राजा रामदेव पौद्दार उ.मा.वि. में मॉडल रिसोर्स केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

एँड्राइड फोन - माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1999 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु एन्ड्राइड फोन प्रदान किये जाने हेतु एस.एस.ए. द्वारा फर्म को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। अत: कार्य शीघ्र ही होने की उम्मीद है सरकार ने समाज एवं संस्थानों से सीधे जुड़ने की पहल के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कॉरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं व जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फंडिंग पोर्टल (ज्ञान संकल्प पोर्टल) एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु मंत्रीमण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। पोर्टल 5-6 अगस्त, 2017 को फेस्टीवल ऑफ एज्यूकेशन के दौरान शुरू करवाया गया। इसमें फंडिंग गैप को कम करने में सहायता मिलने की आशा है। सूचना-तकनीकी एवं डिजिटलाइजेशन के समय में रा.मा.शि.प. के तत्वावधान में शाला दर्पण एक द्विभाषिक ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल बनाया गया है। शाला दर्पण से 13586 विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर आधारित विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक इनपूट की एक क्लिक पर उपलब्धता संभव हो पाई है। शाला दर्पण के डेटा के आधार पर शिक्षा विभाग में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन, पदोन्नतियाँ, विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति विद्यालयों की त्वरित मॉनिटरिंग, संसाधनों की उपलब्धता आदि संभव हो पाया है। शाला दर्पण के कारण उपलब्ध माव संसाधनों का समुचित उपयोग संभव हो पाया है। विद्यार्थियों की ऑनलाइन शैक्षिक प्रगति एवं टी.सी., कार्मिकों की ऑनलाइन कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण को भी इस पोर्टल द्वारा अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा के बढ़ते कदमों के बाद आइए अब बात करते हैं।

राजस्थान में उच्च शिक्षा

राजस्थान राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत तीन-चार वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दृष्टिगोचर हुई है जहाँ एक ओर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं उच्च शिक्षा से वंचित युवाओं को इसमें जोड़ने के प्रयास भी किये गये हैं। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्यात्मक वृद्धि निम्नानुसार है -

State Profile : Higher Education Number of Institutions

Year	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
State Public Universities#	22	22	22	26	24
State Private Universities	33	40	40	43	44
Deemed universities	8	8	8	8	8
Govt. General Colleges + Sanskrit Colleges+ B.Ed Colleges	144+28+0	179 + 29+0	190 + 29+5	195+ 29+5	207+29+5
Private General Colleges + Sanskrit Colleges+ B.Ed Colleges	1383+ 26+788	1337+ 26+779	1396+ 27+809	1444+ 27+809	1508+ 27+810
SFS Colleges	7	7	7	7	7
PPP Colleges	3	4	4	6	6
Technical Colleges	-	-	-	-	350

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य में सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राजकीय एवं निजी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यदि इसे उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार विश्लेषण किया जाये तो वर्तमान में संस्थानों की दृष्टि से राजस्थान का देश भर में चतुर्थ स्थान है।

No. of colleges across States

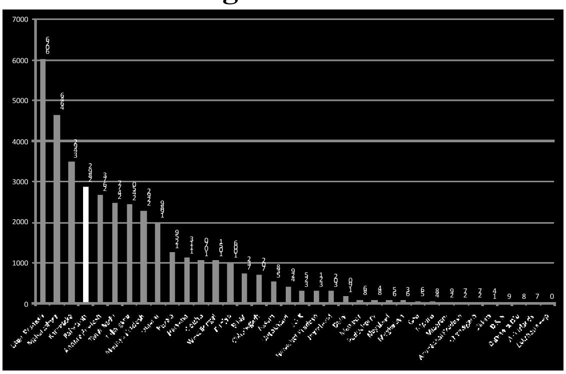

जहाँ एक ओर शिक्षण संस्थानों में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर महाद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि देखी जा रही है। सत्र 2013-14 में जीईआर 19.7 था 2016-17 में बढ़कर 20.87 इतना हो गया है। यह वृद्धि सामान्य श्रेणी के साथ-साथ अ.जा., अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग में भी दिखाई देती है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं के रुझान की दृष्टि से जहाँ सत्र 2014-15 में सौ छात्रों पर छात्राओं की स्थिति 94 थी, वहीं 2016-17 में यह 101 हो गयी है।

State GER: An Overview

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Total Ger	19.7	20.0	20.2	2087*
Ger of Male	21.5	21.9	21.8	Basedon census 2011/ actual response data
Ger of Femal	17.8	17.9	18.5	
Ger of SC Cat.	14.6	14.7	15.2	
Ger of ST Cat.	15.3	15.8	15.2	

किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अत: शिक्षा सर्वसमाज को सहज उपलब्ध हो सके इस हेतु शिक्षण संस्थानों का संख्यात्मक विस्तार आवश्यक होता है लेकिन केवल संख्यात्मक विस्तार के आधार पर हम शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन नहीं कर सकते, अत: शिक्षा के गुणात्मक पक्ष का आकलन करना बहुत आवश्यक है। राजस्थान राज्य को उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के गुणात्मक पहलू की दृष्टि से भी प्रयास किये गये हैं।

शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी का प्रवेश एक निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से होता है ये प्रक्रिया पूर्णरूपेण पारदर्शी एवं सरल बन सके इसके लिये एक ऑनलाइन प्रवेश पद्धति लागू की गयी है। इसका लाभ सीधे विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है, अनावश्यक औपचारिकताएँ समाप्त कर दी गयी है। महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का एक सुदृढ़ एवं गंभीर वातावरण बने इस दृष्टि से सत्र 2015-16 से शिक्षकों एवं महाविद्यालय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। इसी क्रम में शीघ्र ही विद्यार्थियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़े जाने की योजना तैयार की जा रही है। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव उच्च शिक्षा की गुणात्मकता वृद्धि पर दृष्टिगत होगा।

देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में access, equity, quility में गुणात्मक अभिवृद्धि की दृष्टि से भारत सरकार के HRD विभाग द्वारा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को प्रारम्भ किया गया, राजस्थान में यह योजना सत्र 2014-15 से लागू की गयी जिसके अन्तर्गत 100 राजकीय महाविद्यालयों के आधारभूत संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रारम्भ हुये हैं। भविष्य में इसका लाभ राज्य में सञ्चालित सभी राजकीय उच्च संस्थानों को मिल सकेगा नि:संदेह यह शिक्षण योजना शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि में सहायक होगी। इस योजना के सफल सञ्चालन हेतु राजस्थान स्टेट हायर एज्यूकेशन काउन्सिल का भी गठन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों

रोजगारक्षम शिक्षा प्रासंगिक रहेगी

भारत की आजादी से पहले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भाषण हुआ था जो कि ऐसे विद्वान थे जिनका सम्बन्ध शिक्षा से था। उनका कहना था कि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना व निरन्तर सीखने की प्रवृत्ति, यही व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है और जीवन में इनका उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद में जितना शिक्षा को महत्त्व मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। शिक्षा का सम्बन्ध भारत के सांस्कृतिक उत्थान के साथ जोड़ा जाता तो, आधुनिकता व कौशल के साथ उसका सामञ्जस्य बना रहता है। परिणामस्वरूप न तो हम नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ पाये और न ही हम कौशल विकास की दृष्टि से युवाओं को रोजगारक्षम बना पाये। और इससे भी बड़ा नुकसान यह भी हुआ कि शिक्षा का माध्यम क्या हो इसको लेकर देश अधरझूल में रहा है, यह कितना हास्यास्पद है कि बिना स्कूल गये बालक जिस भाषा का उपयोग करता है वही भाषा शिक्षा के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन की निशानी बन जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है जब इस विषय पर विचार करेंगे तो वह व्यक्ति एवं मानवता निभाने के लिये एक माध्यम है लेकिन जब मानव की सहज प्रवृत्तियों का विकास व मानव का उद्देश्य शिक्षा में अलग हो जायेंगे तो वह (शिक्षा) भी एक व्यवसाय ही माना जायेगा। वह ज्ञान में समाविष्ट नहीं होगी। ज्ञान में पवित्रता व सत्य निहित है। हम भारत की तुलना उन देशों से नहीं कर सकते जहाँ सत्ता के लिये लाखों लोग मार दिये जाते हैं, भारत की संस्कृति व ज्ञान ही यहाँ की उत्कृष्टता है।

राजा रन्तिदेव ने कपोत की रक्षा के लिये अपनी जाँघ का माँस काटकर दे दिया, महाराजा हरिश्चन्द्र का सत्य पालन, ये सभी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं सत्यं वद् धर्म चर, दूसरे का सोना भी मिट्‌टी के समान है, पर क्या हमारी शिक्षा पद्धति युवाओं को इस और बढ़ा रही है। हमें इस बात पर विचार करना ही पड़ेगा कि शिक्षा स्कूल और कॉलेज से ही नहीं बल्कि वह जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, हम जैसी भावनायें बालकों में सम्प्रेषित करेंगे वे वैसे ही बनेंगे। जैसे कोई बालक बिना अध्ययन किये ही माता-पिता पर आयी आपत्ति को नहीं देख सकता इसी का व्याप राष्ट्रीय दृष्टि से होना चाहिये। देश में इस बात की बहस चलना कि भारत माता की जय बोलना चाहिये या नहीं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बालकों को उस दिशा में संस्कार दिये ही नहीं जा रहे। शहीद भगतसिंह के पिता व चाचा भी महान् क्रांतिकारी थे उन्होंने पंजाब में एक संस्था बनायी जिसका नाम भारत माता सोसायटी था, उस समय का पंजाब का सबसे बड़ा अखबार वंदे मातरम् ही था। शहीद भगत सिंह ने जो पत्र लिखे उनके आगे वंदेमातरम् ही लिखते थे। इसलिये जो संस्कार ग्रहण करवाये जाने चाहिये उन पर शिक्षा में बल हो। शिक्षा का कार्य मनुष्य के रूप में मशीन खड़े करना नहीं है, अन्य देशों में यह हो रहा होगा, पर भारत में जहाँ यह माना जाता है कि सत्य एक है और उसके प्रकटीकरण के विभिन्न माध्यम हैं वहाँ पर शिक्षा का सम्बन्ध ज्ञान प्राप्ति है और उसी के विभिन्न स्तम्भों में एक कौशल विकास है अत: भारत में शिक्षा के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होना चाहिये।

– गोपाल शर्मा

सम्पादक, महानगर टाइम्स

की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधिदेशात्मक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन 2012 लाया गया। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में इसे गम्भीरतापूर्वक लागू किया गया है। राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय NAAC का निरीक्षण करवा चुके हैं, अनेक राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से यह प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण साबित हुयी है।

जहाँ एक और पुस्तकालयों का Automation किया गया है वहीं धीरे-धीरे डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही हैं। अनेक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम एवं डिजिटल स्टेडी मटेरियल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा 1339 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु RPSC को अभ्यर्थना भेजी गयी है प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने को है शीघ्र व्याख्याता महाविद्यालय में शिक्षणकार्य हेतु उपलब्ध हो सकेंगे।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा

राजस्थान की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बहुत कमी है। उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से उभरता हुआ प्रदेश माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कॉलेज/ महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पहले प्रदेश की गिनती बीमारू प्रदेश के रूप में होती थी वहीं अब स्थिति से उबर रही है। शिक्षा में अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है केवल भौतिक विकास ही परिपूर्ण नहीं है। सांस्कृतिक विकास राजस्थान की संस्कृति से झलकता है। वहीं यहाँ के साहित्य व संस्कृति के केन्द्रों का विकास भी जरूरी है। कौशल विकास से रोजगार बढ़ेगा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना भी है।

हर हाथ के पास कोई न कोई कौशल होगा तो राजस्थान समृद्ध होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना बेमानी है। पहले सरकार पद भरे फिर सारी चीजें ठीक हो जायेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 300 विद्यार्थियों के लिए केवल 500 शिक्षक हैं तो यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना से कार्य करना चाहिए। ऑफिस के टाइम से नहीं कि समय से ऑफिस आए और गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ हमारी नैतिकता राष्ट्र के प्रति होनी ही चाहिए। शोध, अनुसंधान से राजस्थान प्रदेश को लाभ मिला है और मिल रहा है। अच्छे अनुसंधान केन्द्र विकसित किए जाएँ, जिनमें उच्च क्वालिटी के बीज, पशुओं की नस्ल तथा अन्य उपयोगी तैयारी की जाए जिससे इसका समाज को भी लाभ मिल सके। वहीं अच्छे शोध केन्द्र हेतु इन्फ्रास्टक्चर की आवश्यकता के साथ उच्च शिक्षित, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण शिक्षक जो निष्ठा व समर्पण से कार्य कर सके। योग्य व समर्पित मानव संसाधन से ही राष्ट्र का विकास संभव है और जब राष्ट्रीय विकास होगा तो प्रदेश का विकास स्वाभाविक है।

मानव संसाधन हेतु उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी समय-समय पर दिया जाना चाहिए जिससे गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी संभव है और साथ ही नवाचारों का समावेश हो सके। अतिविशिष्ट विषयों हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं उनका प्रायोगिक स्तर पर भी उपयोग होना चाहिए।

प्रदेश की आदर्श शिक्षा व्यवस्था हेतु भौतिक संसाधनों के विकास के साथ ही नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास जरूरी है तभी हम सुसंस्कृति नागरिक का निर्माण कर सकेंगे और इस व्यवस्था में काम करने वाले लोगों की दृष्टि/ सोच भी अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर की हो लेकिन उनके मूल्य राष्ट्रवादी एवं चरित्र से परिपूर्ण हो अर्थात् उत्तम चरित्र एवं राष्ट्र भक्त वाले व्यक्तियों द्वारा आदर्श शिक्षा व्यवस्था संभव है।

– प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

उन्हें रोजगारक्षम बनाने की दृष्टि से भी महाविद्यालयों में कुछ उपयोगी प्रकल्प संचालित किये जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों को साक्षात्कार प्रशिक्षण, वार्तालाप कौशल, उद्यमिता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण, स्टार्टअप्स की जानकारी, रोजगार सम्बन्धी जानकारी आदि प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों में आत्म विश्वास की वृद्धि, समय पालन, तनाव-क्रोध नियंत्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सफल रहे विद्यार्थी, उद्यमी एवं विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विद्यार्थियों का संवाद करवाया जाता है। अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के समान ही सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में भी प्लेसमेन्ट सेल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के केम्पस प्लेसमेन्ट में सहयोग किया जाता है। कौशल विकास की दृष्टि से सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ कुछ रोजगारपरक कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके इस हेतु सभी राजकीय महाविद्यालयों में इन्दिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी के कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें इस हेतु विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनायें राज्यसरकार द्वारा लागू की गयी है।

राज्य का युवा वर्ग शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझे इस हेतु शिक्षण संस्थानों में सक्रिय रूप से संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडिट कोर, स्काउट एवं गाइड तथा महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तरता में किया जाता है। इन तीन वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान, वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण, बुक बैंक योजना के साथ ही विशिष्ट रक्तदान

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को रक्तदान हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से राजस्थान में उल्लेखनीय प्रयास किये गये, यही कारण है कि पिछले दो वर्षों से पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर के अवसर पर 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक दिन में रक्तदान कर कीर्तिमान स्थापित किया है। गत वर्ष से यह कार्यक्रम पं. दीनदयाल जी की जयन्ती के साथ-साथ सुभाषचन्द्र बोस की जयन्ती पर भी किया गया जिसमें हजारों की संख्या में रक्तदान हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह गतिविधि प्रतिवर्ष के एक स्थायी कार्यक्रम का रूप ले चुकी है।

क्रियान्वित नवाचार एवं योजनायें

उच्च शिक्षा में प्रशासकीय एवं शैक्षिक दृष्टि से बहुत से नवाचार भी किये गये हैं, जिनमें हायर एज्यूकेशन पोर्टल, आई.सी.टी. लैब, ऑनलाइन एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा इत्यादि में विद्यार्थी की भागीदारी ऑनलाइन बढ़ायी गयी है। विश्वविद्यालयों के अत्यधिक कार्यभार को कम करके उनकी गुणात्मकता में वृद्धि हेतु राजकीय क्षेत्र के चार नये विश्वविद्यालय खोले गये हैं। शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं ट्राइबल विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। इसी क्रम में 5000 से अधिक विद्यार्थियों वाले महाविद्यालयों को विभाजित कर नये महाविद्यालय बनाये गये हैं तथा उनमें संस्थागत ढाँचा मजबूत किया जा रहा है।

सेमेस्टर सिस्टम एवं पाठ्यक्रम में बदलाव किये जा रहे हैं तथा लगातार मूल्यांकन पद्धति को विकसित किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी के सभी पक्षों का पूर्णरूप से मूल्यांकन हो सके, इसमें स्मार्टक्लास व ई-लाइब्रेरी को भी जोड़ा गया है।

कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलेटी (CSR) के द्वारा कला, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देकर ऐसी योजनायें

Our Mission is to Cultivate Ethical Values

Our Vision

- To focus on fostering concerted efforts to create employable, positive inspirational generation of lifelong learners, in the State to enable the system of higher education to sustain in this competitive and quality conscious era of globalization.

Our Mission

- To create a higher education system in the state of Rajasthan, based on ethical values, that gives equal to all sections of the society, and that strives on excellence in quality, creating a well grounded, productive and creative human resource that can stand up to the challenges of the changing times and can transact teaching, learning in an innovative manner comparable to global standards and re-enforce research with vigor.

Academic Reforms

- Development of State higher education portal " शिक्षा दृष्टि"
- Biometric Attendance of Staff .
- Common Academic Calendar in University and Colleges
- End to end Online Admission for UG and PG Classes
- Introduction of Choice based Credit System (CBCS) and semester system
- Smart and Digital class rooms
- Digital Libraries and Automation of libraries
- Establishment of 3D Printing & Robotics Lab at CEG Jaipur
- Industry Institute Interaction Cells (III Cell) will be established in all the Government Polytechnic colleges
- Central Placement cell is proposed to be establish at CEG Jaipur

Skill Enhancement Reforms

- Introduction of Vocational Programs (Certificate and diploma course from IGNOU)
- Yuva Swavlamban Yojna (PMYY, PMKVY, PMKVY-TI)
- Establishment of English lab
- A new schemes "DISHARI" for capacity building and employment enhancement of students to provide a structured coaching in selected Government colleges for preparing competitive examination
- Initiated Youth Entrepreneurs & Skilling (YES) Program in all Govt. Colleges.
- To improve the English language proficiency, the app naming UPER (Upskill Proficiency in English for Rajasthan) designed by the Hello English & launched by the Hon'ble CM

- Raj Hans Upadhyay, Addl. Chief Secretary, Higher, Technical & Sanskrit Education , Government of Rajasthan

उच्च शिक्षा एवं सरकार द्वारा किये गये प्रयास

राजस्थान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

युवाओं को अपने निवास के समीपस्थ सहज रूप में शिक्षा उपलब्ध हो सके इसके लिये राज्य में उच्च शिक्षा का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। जहाँ 2014-15 में सामान्य उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा व शिक्षक-प्रशिक्षण के कुल 2537 संस्थान थे, वे 2016-17 में बढ़कर 2750 हो गये हैं। इसके अतिरिक्त 350 तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं जिनमें विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान, भारत में चतुर्थ स्थान रखता है। इसी प्रकार सत्र 2013-14 में छात्र-छात्राओं की नामांकन वृद्धि दर लगभग 10 प्रतिशत थी वह वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत हो गयी है। राजस्थान का Gross Enrollment Ratio भी अखिल भारतीय स्तर पर 20.2 है जो कि निरन्तर वृद्धि को दर्शाता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान राजस्थान में उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमारा प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा राज्य के सभी युवाओं को सहज उपलब्ध हो सके।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से ही युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता है इस दृष्टि से राज्य सरकार के क्या प्रयत्न हैं ?

राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने एवं शिक्षा व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दृष्टि से अनेक कार्य किये जा रहे हैं, जहाँ एक और महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरीज, आई.सी.टी. लैब सुसज्जित सेमिनार एवं मीटिंग कक्ष, वाई-फाई कैम्पस, स्मार्ट साइन्स लैब्स आदि की

व्यवस्था की गयी है वहीं पाठ्यक्रमों को भी युगानुकूल बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि राज्य का विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर स्वयं को स्थापित कर सके। महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। राज्य के सभी महाविद्यालयों को NAAC का निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है इसके कारण महाविद्यालय स्वयं को प्रत्येक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विकास में सरकार द्वारा सञ्चालित 'भामाशाह सहयोग योजना' का भी सहयोग लिया जा रहा है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि में गत तीन वर्षों से केन्द्रियकृत ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था लागू की गयी है। निजि महाविद्यालयों को खोलने एवं नवीन विषयों आदि की अनुमति सम्बन्धी कार्य भी पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किये जाते हैं।

राज्य के युवा उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ रोजगारक्षम भी बनें इसके लिये सरकार के क्या प्रयास हैं?

उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ रोजगारक्षम बनाने की दृष्टि से महाविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास के कार्यक्रम भी सञ्चालित किये जा रहे हैं। इस हेतु इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के केन्द्र महाविद्यालयों में खोले जा रहे हैं जो विद्यार्थियों को कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सभी राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र सञ्चालित हैं जिनमें व्यक्तित्व विकास के साथ रोजगार परामर्श, कौशल विकास एवं उद्यमिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाते हैं। इसी प्रकार महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना भी की गयी है जो विद्यार्थियों में रोजगार उपलब्ध करवाने में सहयोग करती है। इसी क्रम में 'दिशारी' योजना भी सञ्चालित है जिसके तहत विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है जिससे युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की डिजिटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और स्टार्ट अप जैस कार्यक्रमों से भी महाविद्यालयों को जोड़ा गया है।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है इस दृष्टि से राज्य की बालिकाओं की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं?

छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिये सरकार बहुत गंभीर है इसलिये जहाँ सत्र 2013-14 में प्रति 100 पर 93 छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही थी वहीं वर्तमान में 2016-17 में 100 छात्रों पर 101 छात्रायें अध्ययनरत हैं। बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रतिवर्ष 1050 मेधावी बालिकाओं को सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क से मुक्ति एवं न्यूनतम प्राप्ताङ्क पर प्रवेश आदि योजनायें भी सञ्चालित हैं। छात्रायें अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शीर्ष स्थान भी प्राप्त कर रही हैं। राज्य के प्रत्येक

जिले में राजकीय महिला महाविद्यालय सञ्चालित है, प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय हो इसके लिये सरकार प्रयास कर रही है।

राज्य में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भविष्य की क्या योजनायें हैं ?

राजस्थान में उच्च शिक्षा को समृद्ध बनाने की दृष्टि से आने वाले समय में सरकार की बहुत सी योजनायें हैं। राज्य के ऐसे स्थान जहाँ पर अभी तक उच्च शिक्षण संस्थान पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं वहाँ राजकीय अथवा निजी क्षेत्र के संस्थान खोले जाने हैं, इसी के साथ वर्तमान में राज्य की GER जो कि 20.2 है इसे बढ़ाकर 32 तक ले जाने की योजना है। इसमें भोगौलिक, एस.टी., एस.सी. महिलाओं इत्यादि वर्गों में विसंगति न होकर संतुलित प्रतिनिधित्व हो ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। भविष्य की माँग को दृष्टिगत रखते हुये उच्च शिक्षा विस्तार की योजनायें बनायी जा रही हैं। इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में परिवर्तन-परिमार्जन, अपेक्षानुकूल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने की योजना है। महाविद्यालयों के NAAC निरीक्षण को और अधिक सुसंगत एवं प्रभावी बनाने की योजना है। वर्तमान में छात्र-शिक्षक अनुपात जो कि 1:65 है उसे 1:20 पर लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ढाँचागत सुविधाओं के विकास के साथ विद्यार्थियों के सर्वाङ्गीण विकास के कार्यक्रमों को योजनाओं में शामिल किया गया है। अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों के विस्तार व शिक्षकों के और अधिक उन्नत प्रशिक्षण की योजना है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्वयं में समाविष्ट कर सुसभ्य एवं सुनागरिक बने इसके लिये भी सरकार प्रयासरत हैं।

- श्रीमती किरण माहेश्वरी
मंत्री उच्च, तकनीकी एवं
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार

अधिकतम योग्यता का विकास

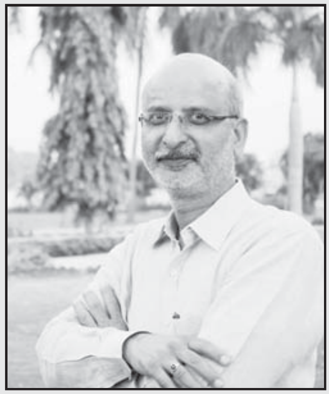

तकनीकी शिक्षा विस्तार की दृष्टि से पर्याप्त है पर वर्टिकल एज्यूकेशन (गुणात्मक) की दृष्टि से विकास नहीं हुआ। इसके लिये शिक्षक संख्यात्मक दृष्टि से भी पूर्ण होने चाहिये और वे क्वालिटेटिव (गुणात्मक, योग्यतम) होने चाहिये, और इसको करने के लिये केन्द्रिय स्तर पर प्रयास होने चाहिये। तकनीकी शिक्षा में स्टूडेन्ट का एम्पावरमेन्ट कम है अत: क्वालिटी एज्यूकेशन पर फोकस करना है, अच्छे शिक्षक लाने हैं तो उन्हें वेतनमान भी अच्छे देने हैं। इन्जीनियरिंग में फास्ट चैलेंज होते हैं अत: फैकल्टी मेम्बर्स को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। द्वितीय टायर व तृतीय टायर संस्थान हाथ के हुनर वालों को तैयार करते हैं तो उनमें स्किल डेवल्पमेंट चलाने की आवश्यकता है। इनके तैयार विद्यार्थियों का रोजगार भी बढ़ता है उद्योग उनको तुरन्त ले जाते हैं, स्किल डेवल्पमेंट सेंटर्स भी खुले हैं। यूजीसी के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। प्रेक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। मैक इन इंडिया, स्किल डेवलेपमेंट के आस-पास चलता है स्किल डेवलेपमेंट में इन्जीनियरिंग का ही अच्छा रोल होता है।

इन्जीनियरिंग शिक्षा में सीट खाली जा रही हैं - राजस्थान में 150 इन्जीनियरिंग कॉलेजों में 50,000 के आस-पास सीटें हैं, जहाँ सीटें खाली जा रही हैं वहाँ फैक्लटी नहीं है और गुणात्मकता नहीं है। इस बीच तकनीकी विश्वविद्यालय खुल गये हैं जिससे विद्यार्थी सीधा ही इनमें प्रवेश ले रहा है, इसलिए महाविद्यालयों में जगह खाली हो गयी है।

उन्नत भारत योजना के तहत 5 गाँव एडोप्ट करने होते हैं जहाँ स्किल सिखाया जाता है, उन बच्चों को लैब में लाया जाता है।

देश की दृष्टि से जो अनुसंधान होते हैं तो उसमें प्रदेश को भी लाभ मिलता है। राजस्थान में मिनिरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं, स्टोन मार्बल, ग्रेनाइट आदि भी हैं इनमें राज्य सरकार ने फण्डिंग भी की है। सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज के लिये भी बेसिक इनपुट चाहिये कोलोब्रेट करके इण्डस्ट्रीज में भेजते हैं।

तकनीकी शिक्षा व सांस्कृतिक मूल्य

कोई भी एज्यूकेशन हो तकनीकी या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों के बिना उसका कोई महत्त्व नहीं है, यह पाठ्यक्रम का पार्ट होना चाहिये, इसके लिए योग, कल्चर प्रोग्राम, होटरेज बेस्ड प्रोग्राम चलाने चाहिये। पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत वेटेज मूल्य शिक्षा पर होना चाहिये। अत: स्वच्छ भारत आदि की प्रेक्टिस विकसित की जानी चाहिये। तकनीकी शिक्षा में लगभग 90 प्रतिशत सेक्टर प्राईवेट हैं वहाँ गुणात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इसे मूल्य शिक्षा के साथ भी जोड़ा जाना चाहिये।

- डॉ. महेन्द्र कुमार श्रीमाली, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
(नेशनल सेन्टर फॉर डिजास्टर मेटीगेशन एण्ड मैनेजमेंट), एम.एन.आई.टी., जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

1947 में स्थापित यह विश्वविद्यालय राजस्थान का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसमें स्नातक-स्नातकोत्तर, पीएच.डी., सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के लिये विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम सञ्चालित है। व्यक्तित्व विकास के एवं अध्ययन क्षेत्रों में विभिन्न आयामों को विकसित करने हेतु यहाँ स्पोर्टस, पुस्तकालय, संगीत इत्यादि प्रवृत्तियों में उन्नत प्रशिक्षण एवं अकादमिक उत्कृष्टता की व्यवस्था है। इस संस्थान की वर्ल्ड रेंक 2148 है तथा कन्ट्री रेंक 28 है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में इसके अतिरिक्त 'मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT), आईआईटी जोधपुर, AIMS जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर तथा विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं।

भी विकसित की जा रही है जो इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी।

DISHARI योजना के तहत छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की क्षमताओं के विकास के लिये विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कोचिंग उपलब्ध करवायी जा रही है। युवा स्वावलम्बन योजना में छात्रों केरियर काउन्सलिंग, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट का कार्य किया जा रहा है। भामाशाह योजना में CS.R. के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों से सहायता लेकर उच्च शिक्षा में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर किया जा रहा है। इसके तहत 17 मौलिक संस्थागत सुविधाओं को सरकारी महाविद्यालयों में विकसित करने का प्रावधान है- इन सुविधाओं में सेमिनार मिटिंग रूम, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लैब, आई.सी.टी. लैब, गर्ल्स कॉमन रूम, विशेष योग्य विद्यार्थियों के लिये सुविधायें, प्रयोगशालाओं के उपकरण, भवन की मरम्मत एवं पुताई, उपकरणों की मरम्मत, बिजली के वायरिंग एवं कनेक्शनों की मरम्मत एवं RO का स्वच्छ पेयजल, सीसी टीवी, वाई-फाई, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाना, खेल के मैदान की व्यवस्था, अग्निशमक यन्त्रों की व्यवस्था सम्मिलित है।

प्राप्तव्य लक्ष्य

उच्च शिक्षा की दृष्टि से किये गये विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी शैक्षिक उद्देश्यों एवं राज्य की परिस्थितियों के मध्येनजर बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं, जो अभी प्राप्त करने हैं।

1. सरकारी व निजी क्षेत्रों के प्रावधानों एवं कार्यों में उचित समन्वय स्थापित करते हुये ऐसे क्षेत्र जो अभी उच्च शिक्षा की दृष्टि से वञ्चित हैं, उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहाँ जनसंख्या के अनुपातिक दृष्टिकोण से उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाना है।
2. विभिन्न श्रेणियों जैसे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. महिलायें, अल्पसंख्यक, विशेष- योग्यजन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये XIII प्लान के अन्त तक वर्तमान GER जो 20.87 है उसे 32 तक पहुँचाना, इसी प्रकार भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से GER की विसंगति को कम करना है।
3. वैश्विक मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, पाठ्यपुस्तकों का नियमित रूप से संशोधन एवं सम्पादन एवं संस्थानों की NAAC द्वारा अनिवार्य ग्रेडिंग करवाना है।
4. सरकारी क्षेत्र में शिक्षक छात्र अनुपात

राजस्थान के प्रमुख शिक्षा संस्थान

बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्स

1964 में स्थापित इस संस्थान की वर्ल्ड रेंकिंग 1698 है तथा कन्ट्री रेंकिंग 23 है जो कि राजस्थान के छोटे कस्बे पिलानी में स्थित है। राजस्थान का यह एक उत्कृष्ट तकनीकी और विज्ञान अध्ययन का संस्थान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त यह संस्थान तकनीकी एवं विज्ञान के विभन्न क्षेत्र में स्नातक-स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित कर उपाधियाँ प्रदान करता है, यहाँ देश-विदेश से बहुत से छात्र-छात्रायें आकर अध्ययन करते हैं जिन्हें यह संस्थान विश्वस्तर की पुस्तकालय, छात्रवृत्ति इत्यादि सुविधायें प्रदान करता है।

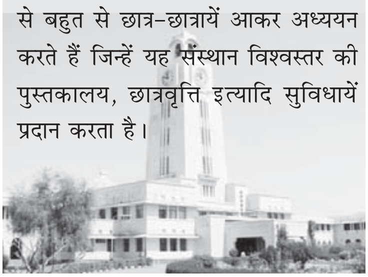

जो अभी 1:65 है उसे 1:20 करने की आवश्यकता है।

5. उच्च शिक्षण संस्थानों को उद्योगों के साथ जोड़ा जाये जिससे संस्थानों से निकलने वालें छात्रों को रोजगार मिल सके। तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों से विशेषज्ञों को बुलाकर प्रशिक्षण द्वारा कौशल को बढाने की आवश्यकता है।
6. विद्यार्थियों को नैतिक दृष्टि से उच्च बनाने एवं सामाजिक-राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के सञ्चालन एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
7. भारतीय गौरवमयी इतिहास-साहित्य -संस्कृति का एवं नैतिक तथा राष्ट्रीय चरित्रों का समावेश पाठ्यक्रम में हुआ है किन्तु इसके और समावेश की आवश्यकता है।
8. विभिन्न पाठ्यक्रमों चाहे वो विज्ञान के हों या सामाजिक अध्ययन या मानवीकी पाठ्यक्रम हों उनमें भारतीय मनीषियों, ऋषियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं चिंतकों के योगदान को समाविष्ट किये जाने की आवश्यकता है।
9. प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की अच्छी बातों को युगानुकूल संशोधित कर शिक्षा प्रणाली में लागू करने की आवश्यकता है जिससे हम प्राचीन और नवीन ज्ञान को सार्थकता से प्राप्त कर सकें।
10. उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं कुटीर एवं वृहद् उद्योगों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उन्हें सञ्चालित करने की आवश्यकता है जिससे छात्र अपने स्वाभाविक व्यवसायों में शिक्षित होकर प्रगति कर सकें।
11. पिछले 3-4 वर्षों में जिन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना राज्य में हुई है उन संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने की दृष्टि से उनके चहुँमुखी विकास की आवश्यकता है। इसी प्रकार पुराने शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना में नवीकरण की आवश्यकता है।

वस्तुत: उच्च शिक्षा में इन 3-4 वर्षों में अपेक्षित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपाय किये गये हैं उनमें बहुत से परिणाम प्राप्त हुये हैं किन्तु कुछ योजनाओं एवं कार्यों के अपेक्षित परिणाम आने शेष हैं। इसी प्रकार कुछ संकल्प है, जो कि क्रियान्वित होने हैं जिनमें निकट भविष्य में बहुत से आदर्श एवं अपेक्षित बदलाव उच्च शिक्षा में देखे जा सकेंगे।

अस्तु सरकार के विगत तीन वर्षों के कार्यकाल में की गई समस्त क्रियाविधियों की समीक्षा करने के उपरान्त कहा जा सकता है कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में चल रही पूर्ववर्ति अनेक योजनाओं, नवाचारों को बदलाव के साथ उतारने के प्रयास के साथ

राजस्थान के प्रमुख शिक्षा संस्थान

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त जैन विश्वभारती संस्थान लाडनूँ की स्थापना 1991 में हुई। सहशिक्षा के इस संस्थान में बहुत से पाठ्यक्रमों में अध्ययन की व्यवस्था है, इस संस्थान में समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें प्राचीन शास्त्रों से लेकर अधुनातन पुस्तकें उपलब्ध है इस संस्थान की वर्ल्ड रेंकिंग 8655 है तथा कन्ट्री रेंकिंग 458 है।

राजस्थान के प्रमुख शिक्षा संस्थान

वनस्थली विद्यापीठ

वनस्थली विद्यापीठ छात्राओं के अध्ययन का देश-विदेश में प्रतिष्ठित केन्द्र है जो कि जयपुर के समीप ग्रामीण क्षेत्र के छोटे कस्बे वनस्थली में सन् 1935 से सञ्चालित है। यह संस्थान उच्च शिक्षा क्षेत्र में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीकी इत्यादि क्षेत्रों में स्नातक, अधिस्नातक तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रम सञ्चालित करता है। यह संस्थान विद्यार्थियों के लिये विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फाउण्डेशन डिग्री इत्यादि पाठ्यक्रमों में भी सुविधा प्रदान करता है। छात्राओं के सर्वाङ्गीण विकास के लिये यहाँ बहुत सी सहपाठ्यक्रम प्रवृत्तियाँ भी उत्कृष्ट रूप से सञ्चालित की जाती है। इस संस्थान की वर्ल्ड रेकिंग 5944 एवं कन्ट्री रेंकिंग 191 है।

बहुत सी नवीन योजनाएँ व नवाचार भी किये हैं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार एवं बदलाव दिखाई दे रहे हैं लेकिन इन 70 वर्षों के कालखण्ड में जनसंख्या के अनुपात में होने वाली शैक्षिक संस्थाओं की कमी आज भी अखरती है। अत: भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के आधार पर आवश्यक स्थानों पर अभी और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं विकास की आवश्यकता है। साक्षरता की दर बढे लेकिन इससे अधिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा उन्नयन के सघन प्रयास अपेक्षित है।

जिससे शिक्षा इमारत की नींव को मजबूत कर उस पर भव्य महल का निर्माण किया जा सके। इस हेतु प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्यापक छात्र अनुपात भी 1:40 से अधिक न हो, समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ तकनीकी व प्रबन्धकीय संस्थानों के शिक्षकों की पूर्ति एवं संकाय संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा। स्कूली शिक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्विति हेतु समस्त विद्यालयों में कम्प्यूटर व तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति का एक पद सृजित किया जावे जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ ही शैक्षिक कार्य करने वाले कार्मिक का कार्य बाधित न हो सके। समानीकरण की प्रक्रिया एवं एल1 व एल2 की पदोन्नति के कारण अभी हाल ही में रिक्त पड़े पदों पर सरकार को शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी तभी जाकर सत्रांत में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, सरकार ने अपने स्तर पर सुधार बहुत किये हैं परन्तु आज भी वैश्विक स्थिति पर तुलना करने पर हम स्वयं को बहुत पीछे देखते हैं। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान आदि के क्षेत्र में देश को नोबल पुरस्कार का अभाव खल रहा है, जो वर्तमान शिक्षा की गति को देखकर दिवास्वप्न जैसा लगता है, किन्तु हमें पुन: लौटना होगा जहाँ से हमने अपने गौरवमयी अतीत को छोड़ा है, हमें जड़ों का सिंचन करना ही होगा तभी जाकर यह ज्ञान रूपी वृक्ष राजस्थान सहित हिन्दुस्तान के गौरव की पुनर्स्थापना कर सकेगा ऐसी अपेक्षा है। ❑

(प्रस्तुति- भरत शर्मा, डॉ. ओमप्रकाश पारीक, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. योगेश गुप्ता, बसंत जिन्दल)

<u>पुस्तक समीक्षा</u>

भारत के आधुनिक ब्रह्मर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय

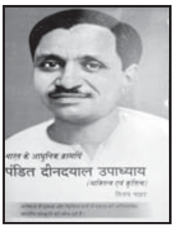

भारत के आधुनिक ब्रह्मर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय
(व्यक्तित्व व कृतित्व)

लेखक- विजय नाहर
प्रकाशक-पिंकसिटी पब्लिशर्स, जयपुर
ISBN 978-93-84620-65-3
पृष्ठ 238+32 मूल्य : 300 रुपए

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर बहुत साहित्य उपलब्ध है। उसी विषय पर एक और पुस्तक लिखने का साहस वही कर सकता है जो इस विषय को कुछ अलग अन्दाज में कहना चाहता है। पुस्तक को महत्त्वपूर्ण बनाने का एक अन्य कारण यह है कि पुस्तक उस समय आई है जब कई विरोधी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व को जानबूझ कर बौना बताने पर तुले हुए हैं। ये नेता इस बात से दुखी है कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शपथग्रहण के तुरंत बाद अपने भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और दीनदयाल उपाध्याय का एक साथ जिक्र किया था। ऐसे में आम लोगों की रुचि दीनदयाल जी के विषय में बढ़ी हुई है। पुस्तक के शीर्षक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आधुनिक ब्रह्मर्षि घोषित कर अपनी बात के पक्ष में तथ्य देकर लेखक ने एक तरह से उन नेताओं को जबाव दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपरोक्त उल्लेख के योग्य हैं। महात्मा गाँधी के विचार भारत की प्रसाशनिक स्वतन्त्रता के कारण बने तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार भारत की आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण बनने जा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धान्त पर चलकर एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात कर विश्व को एक नया दर्शन देने जा रहा है। पुस्तक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्पूर्ण जीवन व कार्यों का वर्णन करने के बाद उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर एक अलग खण्ड बनाया गया जो पाठकों को बहुत रोचक लगेगा और बहुत संभव है कि कई पाठक पुस्तक को यहीं से पढ़ना प्रारम्भ करें। 3 खण्डों व 20 अध्यायों तथा परिशिष्ट युक्त पुस्तक की भाषा प्रवाहमान व मुद्रण आकर्षक है। पुस्तक के अन्त में सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची भी दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्र पुस्तक का अतिरिक्त आकर्षण हैं। पुस्तक के लेखक विजय नाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की गहरी समझ रखते हैं तथा यह पुस्तक लेखक की 16वीं कृति होने के कारण लेखन के दीर्घ अनुभव का लाभ भी मिला है। पुस्तक का मुख्यपृष्ठ आकर्षक है तथा छपाई भी पढ़ने में मदद करने वाली है। आशा है यह पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय में रुचि रखने वालों व पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समझे बिना उनकी आलोचना करने वालों, दोनों वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE, Dec 23, 2015) के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय (64) हैं परंतु सकल विद्यार्थी अनुपात (GER) सिर्फ 19.7 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान देश के 10 निचले पायदान वाले राज्यों में स्थिति बनाए हुए है। यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है जबकि राष्ट्रीय औसत सकल विद्यार्थी अनुपात 23.6 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में सिर्फ 58 विश्वविद्यालय हैं व वहाँ 44.8 प्रतिशत सकल विद्यार्थी अनुपात की उत्तम स्थिति है। इस (GER) अनुपात की गणना 18-23 वर्ष के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के नामांकन के आधार पर की जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रासांगिक है कि राजस्थान में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 32 महाविद्यालय है जो राष्ट्रीय औसत (27) से अधिक हैं ।

राजस्थान में उच्चशिक्षा : एक सिंहावलोकन

❑ **प्रो. मधुर मोहन रंगा**

शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परिवर्तन का उपकरण है। इसी परिवर्तन के कारण देशानुकूल व समयानुकूल शिक्षा की दिशा व शिक्षा दर्शन की सार्थकता प्रतिपादित होती है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में अंतर्निहित ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। उनमें निहित पूर्णता का विकास होता है क्योंकि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होना, उसी के अनुरूप रचनात्मक व सृजनात्मक विचार का उद्भव उनके मन-मस्तिष्क में होता है। विचारों की इसी शृंखला के कारण, परिष्कृत होकर विचारों के मंथन से जो पाथेय प्राप्त होता है, उसी कारण नवाचारों का जन्म होता है। नवाचारों के उद्भव के कारण ही स्मरण शक्ति परिष्कृत होकर दीर्घ होती है। बालक के मन-मस्तिष्क पटल पर यह विचार-पाथेय समष्टि व व्यस्टि के कल्याण के लिए रचनात्मक सोच को आत्मसात कर सार्थक विचार को समग्र विकास की ओर अग्रेषित करता है। प्रस्तुत आलेख में राजस्थान में उच्चशिक्षा के परिदृश्य को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया गया । राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि के आधार पर संभागीय विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था। सात संभागों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ अन्य विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य में 26 राज्यपोषित विश्वविद्यालय हैं इनमें 01 चिकित्सा, 05 तकनीकी, 01 संस्कृत, 01 आयुर्वेद, 01 जनजाति, 01 दूरस्थ शिक्षा व अन्य अकादमी विश्वविद्यालय हैं। 08 मान्य विश्वविद्यालय (Deemed University) तकनीकी व विज्ञान, महिला शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण व भारतीय दर्शन से सम्बंधित विश्वविद्यालय हैं। 27 निजी विश्वविद्यालय है, 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 1 प्रबन्ध संस्थान, 02 अन्य तकनीकी संस्थान हैं।

राज्य में 215 शासकीय महाविद्यालय लगभग, 1511 निजी महाविद्यालय 06 स्वायत महाविद्यालय हैं। जिनमें अभियांत्रिकी व प्रबन्धन का अध्ययन होता है, 813 शिक्षा महाविद्यालय हैं। परिदृश्य राज्य में उच्च शिक्षा की दृष्टि से सुखद विस्तार को स्पष्ट करता है। उच्च शिक्षा का बजट भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में लगभग 1400 करोड़ रखा गया है । निजी क्षेत्र में भी शिक्षा का संख्यात्मक दृष्टि से विस्तार हुआ है। भारत में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 27 प्रतिशत खर्च होता है जबकि ब्राजील जैसे विकासशील देश से भी यह खर्च कम है। (The Economist 16 June 2017) इसमें हम रूस, अमेरिका व अन्य विकसित राष्ट्रों से पीछे हैं। इसी कारण उच्च शिक्षा के गुणात्मक विस्तार पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि संरचनात्मक ढाँचा, आधुनिक शिक्षण विधियाँ, स्मार्ट कक्षाएँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अध्ययन स्थल पर्यावरण आदि की आवश्यकता होती है। यही आधुनिक अधिगम पर सकारात्मक व सृजनात्मक प्रभाव डाल कर विद्यार्थी की मेधा को परिष्कृत करता है। अर्नेस्ट एण्ड यंग की रिपोर्ट के (EDGE, 2011) के अनुसार भारत में उच्चशिक्षा खर्च 46,000 करोड़ हो चुका था व 2020 तक इसमें सलाना 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। देश में उच्च शिक्षा में राजस्थान की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। यहाँ सकल नामांकन (GER) 12 प्रतिशत से भी कम है जबकि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य रखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र 2010 के अनुसार अनिवार्य है। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात भी राज्य के

पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने मूल्यांकन नहीं कराया है, जिन महाविद्यालय ने नैक का मूल्यांकन कराया है उनमें से मात्र 2 विश्वविद्यालय । ग्रेड व 2 विश्वविद्यालय B+ग्रेड धारित है। निजी विश्वविद्यालय में 01 विश्वविद्यालय । ग्रेड व 1 पाँच स्टार प्राप्त है। एक विश्वविद्यालय B+ व 1B+ ग्रेड प्राप्त है । महाविद्यालयों के शासकीय में 3 को। ग्रेड प्राप्त है, जबकि राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में अभी तक नैक का मूल्यांकन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम वर्क (National Ranking FrameWork 2017) के तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं। कि राज्य का एक मात्र संस्थान बिड़ला विज्ञान व तकनीकी संस्थान, पिलानी का मूल्यांकन के वर्ष 2016 में नौंवा स्थान व 2017 में 13 वाँ स्थान रहा (विश्वविद्यालय समाचार, अगस्त 2017) जबकि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों का कहीं पर भी नाम नहीं है। यद्यपि मूल्यांकन के परिस्थिति सापेक्ष नहीं है। परंतु फिर भी एक सार्थक संकेतांक के रूप में तो शैक्षिक स्थिति को इंगित करते हैं।

उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE, Dec 23, 2015) के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय (64) हैं परंतु सकल विद्यार्थी अनुपात (GER) सिर्फ 19.7 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान देश के 10 निचले पायदान वाले राज्यों में स्थिति बनाए हुए है। यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है जबकि राष्ट्रीय औसत सकल विद्यार्थी अनुपात 23.6 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में सिर्फ 58 विश्वविद्यालय हैं व वहाँ 44.8 प्रतिशत सकल विद्यार्थी अनुपात की उत्तम स्थिति है। इस (GER) अनुपात की गणना 18-23 वर्ष के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के नामांकन के आधार पर की जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रासांगिक है कि राजस्थान में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 32 महाविद्यालय है जो राष्ट्रीय औसत (27) से अधिक हैं । इन महाविद्यालयों में औसत 701 विद्यार्थियों का पंजीयन है, जो राष्ट्रीय औसत पंजीयन (764) से कम है। अन्य राज्यों की तुलना मे राज्य के महाविद्यालयों की संख्या भी अधिक है। यहाँ 2786 महाविद्यालय है जो कि राष्ट्र औसत से अधिक है। अत: यक्ष प्रश्न यही उठता है कि उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की दृष्टि से राज्य उत्तम स्थिति में है परन्तु फिर भी विद्यार्थियों का नामांकन राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है? कहीं आधारभूत संरचना, आधुनिक अधिकतम प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, शोध सुविधाएँ इस कम नामांकन का आधार तो नही है ? यदि हम राज्य द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की तुलना निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं से तुलना करे तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भारी भरकम शुल्क के बाद भी यहा का नामांकन तुलनात्मक अधिक क्यों है ? राज्य के अधिकतर शिक्षण संस्थाओं मे आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की कमी आधुनिक अधिगम प्रणाली स्मार्ट क्लास रूम शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं है । नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फांइनेस एड पालिसी (2017) द्वारा 12 राज्यों पर की गई एक रिसर्च के अनुसार क्लास रूम की

कमी व जरूरत से कम बजट उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। दूसरा इस भौतिकवादी युग में समाज का यह आभासी मनोविज्ञान भी परिवर्तित हो रहा है, भारी भरकम शुल्क आभासी परिसर व भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रति आकर्षण के कारण व तथाकथित आंग्ल भाषा माध्यम की पढ़ाई ने हमारी आंतरिक भावनात्मक सोच को परिवर्तित कर दिया है। आज सुन्दर परिसर युक्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कराना 'स्टेटस सिम्बल' बन गया है, समाज का मनोविज्ञान इस भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। पूरा समाज-परिवार के समान्य वार्तालाप में अभिभावक मद कहकर गर्व का महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे महँगे शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययन कर रहें हैं । क्या सकल विद्यार्थी नामांकन ही उच्च शिक्षा का मूल्यांकन है ? व स्वयं को अन्य समाज के लोगों से श्रेष्ठ दिखने का प्रयास करते हैं इस मानसिकता का प्रतिकार करना होगा। हमारी सरकारें बार-बार विद्यार्थियों के नामकरण पर बल देती है जबकि मूल्यपरक व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है वैसे यदि देश की उच्च सेवाओं में चयन की स्थिति पर विचार करें तो ज्ञात होगा की राज्य से चयन की संख्या अधिक है अन्य राज्यों की तुलना में उच्च वरीयता भी प्राप्त करते हैं। उच्चशिक्षा का सर्वेक्षण यह भी इंगित करता है कि उच्चशिक्षा विभाग द्वारा कई दर्जन से अधिक योजनाओं का क्रियानवयन सफल नहीं हुआ है उच्चशिक्षण संस्थाओं में औसत से कम नामांकन का एक महत्त्वपूर्ण कारण सीनियर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा मे कम प्रवेश है इसका महत्त्वपूर्ण कारण विज्ञान के विद्यार्थियों का चिकित्सा महाविद्यालयों व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश की लालसा है। अधिकतर विद्यार्थी कोचिंग संस्थाओं में वर्षों तक कोचिंग करते हैं।

आधुनिक शिक्षण अधिगम का आधार कम्प्यूटर शिक्षा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी को आधुनिक शिक्षण प्रणाली में पहुँच (access) बढ़ती है। देश के महत्त्वपूर्ण मिशन डिजिटल इण्डिया मे भी इसका योगदान है परन्तु राज्य की शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है जुलाई 2009 में राज्य के 126 महाविद्यालयों में एडूकाम कम्पनी को ठेका देकर कम्प्यूटर पढ़ाई शुरू की गई थी परन्तु इस ठेके की पढ़ाई से विद्यार्थियों की कम्प्यूटर शिक्षा की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी है। जून 2014 में कम्पनी का ठेका पूरा होने के बाद महाविद्यालयों से कम्प्यूटर व कम्प्यूटर अनुदेशक दोनों हटा दिये गए। जुलाई 2014 में प्रत्येक विद्यार्थियों से 440 रुपये का शुल्क प्रवेश के समय लिया गया परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में कम्प्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है एक ओर सरकार के डिजिटल इण्डिया मिशन के सफल क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कम्प्यूटर शिक्षा शैशव काल में है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन पर ध्यान आकर्षित करें। यद्यपि सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है उच्च शिक्षा के उत्तम स्तर के लिए इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश में प्रिमियम एप नि:शुल्क उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है राज्य के अध्ययनरत छात्रों के आंग्ल भाषा ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए 'हैलो इग्लिश प्रिमियर एप' को प्रारम्भ किया गया है इसे फेस्टिवल ऑफ एजूकेशन में लान्च किया गया। इसी प्रकार का प्रयास हिन्दी भाषा के ज्ञान व प्रसार के लिए भी किया जाना चाहिये। अभी तक क्यों नहीं किया गया जबकि हम वर्षों से 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाते हैं।

उपरोक्त परिदृश्य राजस्थान में उच्चशिक्षा की स्थिती को इंगित करता है। राज्य शिक्षा निजीकरण की तरफ भी तेजी से अग्रसर होता जा रहा है। यह उच्च शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से तो उचित प्रतीत होती है परंतु यदि संस्था 'शुभ-लाभ' के स्थान पर 'लाभ-शुभ' के विचार पर केन्द्रित रहेगी तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या चीन से 7 गुना व अमेरीका से 4 गुना अधिक है परन्तु फिर भी आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। कहीं हमारी 'तंत्र अव्यवस्था' (System disorder) तो कारण नहीं है ? उच्च शिक्षा के संचालन के लिए विभिन्न स्तरो पर निर्धारित मापदण्डों का पालन नही होता है, इससे एक व्यक्ति पर दोष डालना उचित नहीं लगता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावी तंत्र (Effective system) महत्त्वपूर्ण शिक्षण क्षेत्रों मे उच्च पद पर नियुक्तियाँ, आधारभूत संरचना की पहचान (Identification), चयन (selection) व नियुक्ति (appointment) जैसे आधारभूत संरचना में पारदर्शिता (Transparency) की आवश्यकता है तभी तंत्र अव्यवस्था को उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ।

उपरोक्त परिदृश्य राज्य में उच्च स्थिति को दर्शाती है परंतु अभी भी आवश्यकता इस बात की है कि शोध, नवाचार व आधुनिक प्रणाली व रोजगार परक शिक्षा के स्थान पर ज्ञान परक की विचारधारा को आत्मसात करना होगा।❑

(विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, सरगुजा वि.वि., अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़)

This is beyond doubt about our glory of well-developed education institutional system centuries ago, whereby entire world was benefitted. But here in this article emphasis has been given to the present technicaland higher education system in the country. There are several government supported institutions aiming to achieve the need of pool of technically skilled people and also plan for future need of the country. Thus, Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA), is also one of the institutional support for University and College system for upgradation and strengthening the existing system.

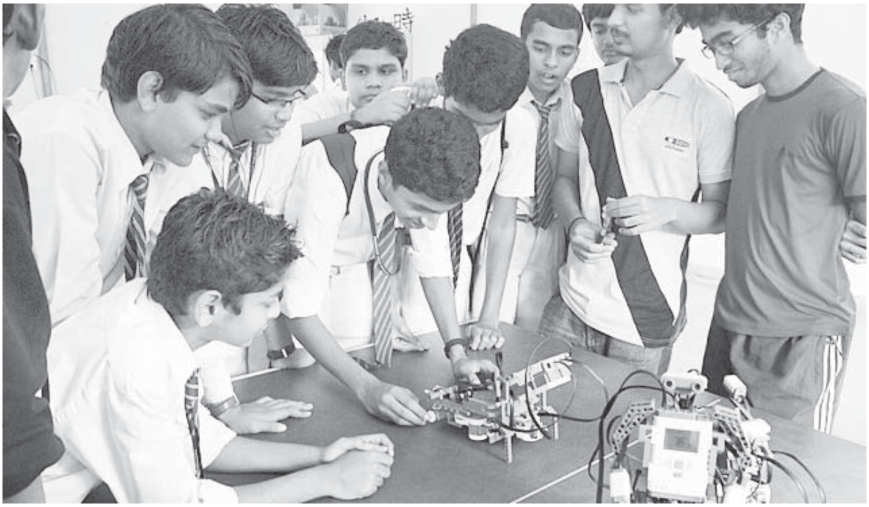

Role of Technical Education in Nation Building

❑ **M.K. Shrimali**

Introduction:Now-a-days there are several ways whereby learning can be achieved either by formal institutional certification/degree or non-formal without institutional certification. But holistic development of any nation formalization of education system is must. The institution which provides education to candidates beyond high school comes under higher education. The higher education system encompasses technical education system as well. Formalization of higher education system needs institutional certification/degree for recognition as well as evaluation of the knowledge acquired by the candidate. Thus, the role of higher education is to provide a platform for people/ candidates to acquire skill in a specialized area of his or her interest thereby creates a pool of human resources for benefit of the society and country. The knowledge so acquired creates an asset for the nation building and at the same time culturally enriches for inclusive growth of the society.

Background of technicaland higher education system:

This is beyond doubt about our glory of well-developed education institutional system centuries ago, whereby entire world was benefitted. But here in this article emphasis has been given to the present technical and higher education system in the country. There are several government supported institutions aiming to achieve the need of pool of technically skilled people and also plan for future need of the country. Thus, Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA), is also one of the institutional support for University and College system for upgradation and strengthening the existing system. In addition to this there are twenty three Indian Institute of Technology (IITs) out of which seven are old and the rest have comes up in last ten years. Further, there are thirty one National Institute of Technology and twenty four IIITs and four NITTTRs and one IISc and five IISERs. These institutions together provide robust system of institutions of the country for providing

much needed and requirement based technical education to the students. These in turn create much needed human resource for advancement of the country in terms of scientific and technical knowledge. Thus, so developed resources also provide needful support for second tier and third tier of the institutions across the country.

Scenario of Technical Education System:

Having such a large country of human resource which is an advantageous position in the world. The top technical education institutions mentioned above cover only thirty thousand students (approximately). Thus large number of students are admitted in other Universities, State Colleges and Private Organizations. Having said this, that we have enough spread of technical institutions across country which have grown in the last twenty five years or so by 1200% (approx.) and the same order is for the state of Rajasthan in terms of the spread. Nearly thirty years back contribution of technical education was 80:20 (technical: higher) but now this has been reversed. Earlier 15% were looking for technology employment whereas these are now 17%. Further, only five percent were sought in non-technology options but this trend has changed to 85 % now. Moreover, now 90% graduate do not join technology careers, and only 2 to 3 % join further studies (i.e. higher education). However, this trend was reverse three decades ago. Therefore, this definitely need a thinking about shift in the trend and job prospectus of people.

Therefore, various programs launched by the central government as well state government such as Make in India, Digital India, skilled development etc., there inclusion in the education system will be an added advantage in over-hauling the system for improvement.

Need of robust and quality Education System:

The above study infers that growth of institutions has taken i.e. horizontal spread for imparting the education is concerned but needs much needed vertical spread of the same i.e. quality education system in terms outcome- based system. This also need focus on research, industry engagement and national focus,that is, inculcation of values.

For example number of seats offered in various technical institutions across the state of Rajasthan in the year 2016 was 44920 (Rajasthan Technical University data) which has dropped to 36222 in the year 2017, means drop of nearly twenty percent. The gap suggests declaration of zero session by the few colleges owing to lack to students ratio as per sanction requirements and regulations of AICTE (All India Council of Technical Education). Further, the drop of seat allotment by 30 % (approx.) in the year 2017 compared to the year 2016. However, the seats filled in government supported colleges is 5% less in the year 2017 compared to previous year. This indicates that large number of seats left are not filled in the other institutes. So immediate attention is required from the stake holder to address the shift in the trend and focus for more skilled professional teachers for enhancement of the delivery of quality education and hence improve employability as well.

Conclusion: Inference from above study is (i) There is significant trend of shifting of students from technical education to other higher education, (ii) horizontal spread of technical education has taken but needs vertical spread of the education i.e. quality education, (iii) Enhanced quality education will creates more job prospectus in industries, (iv) Enhancement of quality education needs more skilled persons, hence more jobs with better salary package. ❑

(Professor and Head of Department (NCDMM), MNIT Jaipur)

राजस्थान के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम

❑ प्रहलाद शर्मा

विगत 2-3 वर्षों में राजस्थान के समस्त विद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भौतिक रूप से विद्यालयों का उन्नयन हुआ है। चारदीवारी का निर्माण, परिसर की पुताई-रंग-रोगन तथा सौन्दर्यीकरण, शौचालय-मूत्रालयों का निर्माण, कक्षा-कक्षों व प्रयोगशालाओं का निर्माण, स्टाफ की जानकारी सहित समस्त आवश्यक सूचनाओं के सूचना पट्ट तथा विद्यालय में दर्पण और प्रत्येक शनिवार को छात्र व शिक्षकों द्वारा विद्यालय की स्वच्छता हेतु श्रमदान करना, राजस्थान के विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ बनती जा रही है। इन कदमों का प्रभाव भी दिखने लगा है। विगत एक-दो वर्षों से विद्यालयों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई ही है, राजकीय विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से पर्याप्त सुधार हुआ है। अभिभावकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है तथा निजी स्कूल के प्रति उनका मोह कुछ हद तक कम हुआ है। विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियों की नियमित बैठकों एवं प्रत्येक अमावस्या को आयोजित होने वाले अध्यापक-अभिभावक सम्मेलनों के आयोजन से समाज का प्रत्यक्ष सहयोग लेने में भी विद्यालय सफल हो रहे हैं।

सत्रारंभ में सम्पूर्ण राज्य में आयोजित होने वाले प्रवेशोत्सव से राजकीय विद्यालयों में नामांकन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिल रही है, विद्यालयों के श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण में प्रत्येक छात्र हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ध्येय को लेकर संस्थाप्रधान, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, जिला प्रशासन तथा समाज के प्रबुद्धवर्ग का प्रवेशोत्सव में पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन मिला है।

सूचना प्रौद्योगिकी के श्रेष्ठतम उपयोग को लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग ने शाला-दर्शन एवं शाला-दर्पण नामक पोर्टल बनाये हैं जिनमें विद्यालय, छात्र एवं शिक्षकों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ संग्रहित की जाती है तथा नियमित रूप से अद्यतन कार्य भी सम्पन्न होता जाता है। छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम के साथ समस्त छात्रवृत्तियों तथा उनके हित में लागू की गई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के साथ ही शिक्षकों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ इन पोर्टल्स

विगत एक-दो वर्षों से विद्यालयों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई ही है, राजकीय विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से पर्याप्त सुधार हुआ है। अभिभावकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है तथा निजी स्कूल के प्रति उनका मोह कुछ हद तक कम हुआ है। विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियों की नियमित बैठकों एवं प्रत्येक अमावस्या को आयोजित होने वाले अध्यापक-अभिभावक सम्मेलनों के आयोजन से समाज का प्रत्यक्ष सहयोग लेने में भी विद्यालय सफल हो रहे हैं। सत्रारंभ में सम्पूर्ण राज्य में आयोजित होने वाले प्रवेशोत्सव से राजकीय विद्यालयों में नामांकन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिल रही है, विद्यालयों के श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण में प्रत्येक छात्र हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ध्येय को लेकर संस्थाप्रधान, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, जिला प्रशासन तथा समाज के प्रबुद्धवर्ग का प्रवेशोत्सव में पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन मिला है।

में संधारित की जा रही है। छात्रों की टी.सी. देने तथा प्रवेश देने के साथ ही शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर उन्हे कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने का कार्य भी शाला-दर्पण के माध्यम से सम्पन्न हो रहा है।

पर्याप्त एवं निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था करने, आधारभूत भौतिक सुविधाओं को जुटाने, छात्र-छात्राओं के लिये पर्याप्त फर्नीचर, खेल सामग्री, लैब तथा आई.सी.टी./कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने आदि उद्देश्यों को लेकर राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्षा 1 से 10 तथा 1 से 12 कक्षा के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु 31 मार्च 2016 तक 1340 तथा 31 मार्च 2017 तक 3097 विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किये जा चुके हैं। 31 मार्च 2018 तक 5458 विद्यालयों को आदर्श रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में कुल 9895 ग्राम पंचायतों में आदर्श विद्यालय विकसित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित हो रहा है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी एवं सन्दर्भ केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर ही प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा के चुनिन्दा विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

राजस्थान में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के उद्देश्य को लेकर 2015 में समन्वित विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तथा 1 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाता है। जो विद्यालय 6 से 10 अथवा 6 से 12 तक संचालित थे उनमें पास के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर समन्वित विद्यालय का स्वरूप प्रदान किया गया है। समन्वित विद्यालय के समस्त शिक्षकों का प्रशासनिक नियंत्रण उस विद्यालय के संस्थाप्रधान के अधीन होने से शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तो सुनिश्चित हो ही रही है, विद्यालयों को कक्षावार शिक्षक भी मिले हैं। संस्थाप्रधान द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण से शिक्षा स्तर में भी सुधार हो कर छात्रों का ठहराव भी बढ़ा है।

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य से ''स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन'' SIQE योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में समन्वित विद्यालयों के प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु, बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (Child Centered Pedagogy) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) दोनों के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को बनाये रखने, प्राथमिक कक्षाओं के नामांकित सभी छात्रों का उनकी आयु व कक्षानुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करने, प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापनकर्त्ता शिक्षकों के क्षमतावर्धन के प्रयास करने, विद्यालय प्राचार्य एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी को अकादमिक सहयोगकर्त्ता के रूप में तैयार करने एवं जिला स्तर पर इस योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा के लिए अकादमिक समूह तैयार करने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक समिति एवं एक कार्यकारी समूह तथा शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों के निर्णय हेतु राज्य शैक्षिक समूह का गठन किया गया है। योजना का संचालन निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा, अकादमिक कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तथा तकनीकी सहयोग यूनिसेफ द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को चार टर्मो में विभाजित कर विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की जाकर एक ही शिक्षक द्वारा एक ही विषय समस्त कक्षाओं में अध्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक टर्म का बेस लाइन, मिडिल एवं एण्ड लाइन मूल्यांकन तथा फीडिंग निर्धारित तिथियों में कराया जाता है। योजना में कक्षा-कक्ष गतिविधियों को बाल केन्द्रित तथा गतिविधि आधारित बनाने हेतु उपयुक्त शिक्षण सामग्री, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई जाती है तथा प्रतिमाह अभिभावक बैठक भी आहूत की जाती है।

राजस्थान में सूचना सम्प्रेषण एवं तकनीकी प्रगति, बालिका शिक्षा व साक्षरता की दर बढ़ाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में अपने तरह का पहला प्रयास 2005 में ''राजस्थान एज्यूकेशन इनिशियेटिव'' के नाम से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रथम चरण 2008 में पूरा हुआ। प्रथम चरण में रा.ए. इनिशियेटिव के CII, GESCI तथा WEF को पार्टनर रहे थे। छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने, लैगिंक भेद में न्यूनता लाते हुए प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा का सार्वजनिकरण करने, विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक सबलीकरण करने, कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पौष्टिक भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु शुद्ध पेयजल तथा आधुनिक शौचालययुक्त सुविधाओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं के विकास इत्यादि महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2014-15 में 13 संस्थाओं के साथ 41 एम.ओ.यू. (जिनमें 20 नवीन तथा 21 विस्तारित हैं) किये गये हैं। जिन संस्थाओं द्वारा एम. ओ. यू. किये गये हैं - उनमें माईक्रोसॉफ्ट, वेदान्ता, अजीमप्रेमजी फाउण्डेशन, एजूकेट गर्ल्स,

जैम्स फाउण्डेशन आदि प्रमुख रूप से हैं।

क्राउड फण्डिंग के द्वारा समाज से प्राप्त राशि का ठीक प्रकार से उपयोग हेतु इस वर्ष विद्यालयों में अक्षय पेटिका लगाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय विकास में भामाशाह को आकर्षित व प्रेरित करने की दृष्टि से विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति में दिये गये आर्थिक सहयोग को आयकर विभाग से 80 जी की छूट मिल सके इस के लिए रजिस्ट्रेशन कार्य द्रुत गति से चल रहा है। राजकीय विद्यालयों के आधारभूत संरचनात्मक विकास तथा वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना भी की गई है। इनके माध्यम से भामाशाह एवं औद्योगिक घरानों को शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से ऑन-लाइन जुड़ने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। ''कार्पोरेट सोशल रेस्पोन्सबिलिटी'' (सी.एस.आर.) के तहत भी इस पोर्टल एवं कोष का सदुपयोग हो सकेगा।

राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में लम्बित विभिन्न संवर्गों की डीपीसी कार्य निस्तारित होकर नियमित डीपीसी प्रक्रिया प्रारंभ होना एक उल्लेखनीय कदम है। जि.शि.अ. वर्ग की डीपीसी तो 1998 के बाद अब हुई है। हजारों की संख्या में विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियाँ हुई तथा एक नवीन काउन्सलिंग की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उनका पदस्थापन किया गया। दिव्यांग, असाध्यरोग से ग्रसित, विधवा, परित्यक्ता, महिला, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को पदस्थापन में वरियता देकर पदस्थापन करना तथा राजनैतिक हस्तक्षेप समाप्त करना, आज की स्थिति में बहुत बड़ा कदम है।

अत: कहा जा सकता है कि कभी भारत में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य राजस्थान स्कूली शिक्षा क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं पहलुओं के साथ तथा राज्य के सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग के उत्साहपूर्ण सहयोग के कारण तेज गति से कदम दर कदम बढ़ाता जा रहा है। गति इसी प्रकार रही तो शीघ्र ही राजस्थान भारत के शैक्षिक दृष्टि से अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना लेगा, इसमें सन्देह नहीं है। ❑

(सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
जयपुर संभाग, जयपुर)

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की अनेक इकाइयों के गुरुवन्दन कार्यक्रम सम्पन्न

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा अगस्त माह में गुरुवन्दन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके द्वारा संगठन प्राचीन गुरु-शिष्य परम्पराओं को याद कर आज के सन्दर्भ में उनको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। 12 अगस्त को जिला मण्डी के करसोग में और 13 अगस्त को सुंदरनगर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आन्तरिक अंकेक्षक व प्रान्त संगठन मंत्री पवन मिश्रा द्वारा आयोजित गुरुवन्दन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते बोलते हुए उन्होंने वर्तमान में विद्यालयों में कुछ आचारहीन अध्यापकों द्वारा छात्राओं के साथ किए जाने वाले शोषण को अनैतिक बताया और अध्यापक को समाज का एक ऐसा दीपक बताया जो स्वयं जलकर समाज को प्रकाशित करता है। मिश्राजी ने जोर देकर कहा, 'महर्षि वेद व्यास जी के जीवन आलोक से प्रेरणा लेकर वर्तमान की चुनौतियों के हल का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। भारतीय गुरु-शिष्य सम्बन्धों की गौरवान्वित परम्पराओं को वर्तमान में संजोने की नितांत आवश्यकता है।' कार्यक्रमों में जिला मण्डी के अध्यक्ष भगत चन्देल सहित प्रान्त मिडिया प्रभारी दर्शन लाल, प्रकाश चन्द, लोकेश्वर राज उपस्थित रहे। इसी कड़ी में 20 अगस्त को जिला काँगड़ा के शाहपुर में भी गुरुवन्दन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रान्त अध्यक्ष श्री रजनीश चौधरी ने बतौर अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रान्त कार्यवाह श्री अशोक ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढाई। अशोक जी ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आज के वातावरण में इस प्रकार के आयोजनों से ही अध्यापकों को विद्यालयों में उनकी भूमिका से परिचित करवाया जा सकता है। जहाँ प्रदेश के अन्य संगठन केवल माँगों के संगठन हैं वहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से प्रदेश में अध्यापकों को अपने कर्त्तव्य और समाज में भूमिका को याद दिलाता है। एक गुरु ही शिष्य में वह जिज्ञासा जाग्रत कर सकता है जिससे उसका आने वाला कल सुनहरा बन सकता है। 24 अगस्त को जिला हमीरपुर इकाई के गुरुवन्दन कार्यक्रम में श्री विजय मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में शिक्षक को समाज के लिए आदर्श बताया। प्रान्त महामंत्री श्री जगवीर चन्देल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 27 अगस्त को जिला कुल्लू में श्री चमन लाल सेवानिवृत केंद्र मुख्य शिक्षक ने शिक्षक के चरित्र को सबके लिए आदर्श बताया। उन्होंने कहा, 'यदि आज का अध्यापक अपने दुष्कर्मों द्वारा अपने चरित्र का पतन करता है तो समाज में उसको कौन मान-सम्मान देगा। इसलिए अध्यापक को अपने व्यवहार, आचार और सुकर्मों से अपनी अच्छी छवि समाज और बच्चों के बीच ज्ञान वितरण करना चाहिए ताकि लोग उसकी बातों का अनुसरण करे।' 29 अगस्त को जिला सोलन इकाई द्वारा सरस्वती विद्या मन्दिर, दाड़लाघाट में गुरुवन्दन कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता प्रान्त सम्पर्क प्रमुख श्री अवतार ने गुरु को विद्या का पुंज बताया जो अपने प्रकाश से बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनता है और वही बच्चा बाद में अपने अर्जित ज्ञान से समाज को प्रकाशित करता है।

राजस्थान के शिक्षा प्रशासन ने राज्य की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के बजाय, बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कराने को ही अपना लक्ष्य समझ लिया है। इसका उच्च शिक्षा में दबाव के कारण राजस्थान का पाठ्यक्रम आम-विद्यार्थी के काम का नहीं रहा है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के स्थान पर जानकारियों पर अधिक जोर है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो सके। केवल पाँच प्रतिशत के लाभ के लिए 95 की उपेक्षा की जाती रही है। राजस्थान में पाठ्यचर्या व पाठयपुस्तकों का संबन्ध बच्चों की आवश्यकताओं से नहीं जुड़ कर राजनैतिक दलों के साथ जुड़ गया है। सरकार बदलने के साथ पाठ्यकम व पाठ्यपुस्तकें बदली जाने लगी है।

राजस्थान में शिक्षा - कुछ विचारणीय प्रश्न

❑ विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी

राजस्थान की शिक्षा में सुधार के सरकारी दावों को अनदेखा करने पर भी यह तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान अब बीमारू (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश) चौकड़ी विशेषण से बाहर आ चुका है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता देश के औसत से अधिक है, शिक्षा योग्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया है। शिक्षा में सुधार के राजस्थान के प्रयासों की चर्चा करते इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों की प्रशंसा कर अन्य राज्यों को उन्हें अपनाने का सुझाव भी दिया है। इन नवाचारों का असर भी दिखाई देने लगा है। केन्द्र व राज्य की संस्थाओं द्वारा की गई मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कक्षा कक्ष में सीखने की दर स्थिति में सुधार के संकेत दे रही है। असर ने भी राजस्थान की शिक्षा स्तर में कुछ सुधार के संकेत दिए हैं। राजस्थान ने कक्षा एक से 12 तक की पाठ्यपुस्तकें सरकार के स्तर पर तैयार करवाई हैं। सरकारी विद्यालयों में इनका निःशुल्क वितरण किया गया है तथा अन्य को सशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान अपनी शैक्षिक उपलब्धियों पर सन्तोष प्रकट कर सकता है? क्या राजस्थान की शैक्षिक उपलब्धियाँ उसकी समस्याओं के निवारण में मददगार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित दीर्घकाली विकास के लक्ष्य कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से निकाल सके, जो सामाजिक व लैंगिक असामनता की खाई को पाट सके। लोगों को सहिष्णु बना कर शान्तिपूर्ण ढ़ँग से रहना सिखा सके। लोगों को रोजगार उपलब्ध करावें जिससे वे अच्छा जीवन जी सके।

इस दृष्टि से सोचने पर निराशा हाथ लगती है। राजस्थान में शिक्षा का लक्ष्य अभी भी मैकालयी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। राजस्थान सरकार ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि राजस्थान के कल्पित वीरवाल ने इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स एग्जाम में शत-प्रतिशत अंक लाकर इतिहास रचा है। जयपुर के रजत मालू ने राष्ट्रीय स्तर के कॉमन

लॉ एंट्रेंस टेस्ट में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के परीक्षा में उच्च स्थान हासिल किए हैं। सरकार का दावा है कि किये गए शिक्षा सुधारों से सरकारी विद्यालयों ने निजी विद्यालयों से 9 प्रतिशत अधिक परिणाम दिए हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रदेश के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है।

स्पष्ट है कि राजस्थान के शिक्षा प्रशासन ने राज्य की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के बजाय, बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कराने को ही अपना लक्ष्य समझ लिया है। इसका उच्च शिक्षा में दबाव के कारण राजस्थान का पाठ्यक्रम आम-विद्यार्थी के काम का नहीं रहा है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के स्थान पर जानकारियों पर अधिक जोर है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो सके। केवल पाँच प्रतिशत के लाभ के लिए 95 की उपेक्षा की जाती रही है। राजस्थान में पाठ्यचर्या व पाठयपुस्तकों का संबन्ध बच्चों की आवश्यकताओं से नहीं जुड़ कर राजनैतिक दलों के साथ जुड़ गया है। सरकार बदलने के साथ पाठ्यकम व पाठ्यपुस्तकें बदली जाने लगी है। ऐसे में पाठ्यक्रम बनाने व पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों को राजस्थान में ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया। राजस्थान में बनी नई सरकार पहले वाली सरकार के समय में बनी पाठ्यपुस्तकों को जारी रखना नहीं चाहती थी और नया पाठ्यक्रम बना कर उसके अनुसार पाठ्यपुस्तकें बनाने का समय उसके पास नहीं था। केन्द्र में उसी दल की सरकार थी, मूलरूप से अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद की गई पुस्तकों को शिक्षा जगत ने निरर्थक बताया था। कुछ नहीं सुना गया और राजस्थान उस स्थिति को चुपचाप झेलता रहा था। ऐसी स्थिति से बचने के स्थायी प्रयास होना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण में निरन्तरता बनाई जानी जाहिए।

राजस्थान की मातृभाषा हिन्दी नहीं है मगर शिक्षा की भाषा हिन्दी है। बच्चा स्कूल में आकर घर में बोली जाने वाली भाषा बोलता है तो उसे गलत बताया जाता है। बच्चा भी शिक्षक द्वारा बोले कई शब्दों का अर्थ नहीं निकाल पाता इस कारण उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है। किताबों की हिन्दी बोलचाल वाली हिन्दी नहीं है। बच्चे रट लेते हैं अर्थ नहीं निकाल पाते। शिक्षक भी इस अन्तर को पाटने में अपने को असफल पाते हैं। लिखित परीक्षा पर सर्वाधिक जोर होने के कारण परेशानी और भी बढ़ती है। ऐसे में बच्चों में मूल्यों का विकास नहीं हो पाता और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी है। बच्चे डिग्रियाँ तो पा रहे हैं मगर किसी कार्य को ठीक से करने योग्य नहीं बन पा रहे हैं। करके देखने के बजाय रटने पर जोर होने के कारण विज्ञान में प्रायोगिक कार्य भी लगभग बंद हो चुका है। अधिक पढ़ाने के बजाय जो पढ़ाया जावे पूर्णता में पढ़ाये जाने की आवश्यकता है। जिला शिक्षा समितियों को मजबूत बना कर शिक्षा को जिले आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कभी-कभी लगता है आने वाले समय में हिन्दी माध्यम विद्यालय ढूढँने पर भी नहीं मिलेंगे। इसके पीछे कोई गहरा सोच नहीं है। कुकरमुत्ते की तरह गली-गली में उगते अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उपयोगी तो सिद्ध नहीं हो सकते मगर समाज को हानि अवश्य पहुँचा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित राजनेता इसे अनदेखा कर रहे हैं। नौकरशाही क्यों चिन्ता करने लगी? अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाना प्रतिष्ठा सूचक बन गया है।

राजस्थान में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आवश्यकता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति देश के किसी भी भाग में हो सकती है के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। वर्तमान में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। राज्य सरकार औचित्य पर विचार किए बिना उदारतापूर्वक अनुमति दे रही है। अब तो अन्तर्राष्ट्रीय स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है। अभिभावक इनका अर्थ व उपयोगिता जाने बिना ही प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए मोटी फीस भर अपने बच्चों को इनमें भरती करा रहे हैं। राजस्थान सरकार आदर्श स्कूल व विवेकानन्द स्कूल खोलकर विषमता को पाटने का दावा कर रही है मगर उसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता। शिक्षा में विषमता तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा में विषमता कम किए बिना समाज में विषमता कम करना असम्भव है। सरकार एक और न्यूनतन अधिगम स्तर की बात कर रही है दूसरी और कक्षा पाँच से ही परीक्षा के महत्त्व को बढ़ा रही है। सरकार को शिक्षा से जुड़ रहे पहली पीढ़ी के साक्षरों को ध्यान में रख कर कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार को समझना चाहिए कि परीक्षा पास करना अच्छी बात है मगर विद्यालय में आना भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा में सबसे पीछे चल रहे बच्चे को महत्त्व देकर ही शिक्षा को सर्व समावेशी बनाया जा सकता है। ❑

(बाल साहित्य एवं विज्ञान विषयक लेखक)

उद्योगोन्मुखी शिक्षा : विकास का आधार

राजस्थान के गाँवों में मध्यम एवं भारी उद्योगों के साथ घर-घर में लघु उद्योगों के विकास से राज्य को आर्थिक रूप में सुदृढ़ बना जा सकता है। राज्य में कम खर्च में उत्पादों का निर्माण कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। नीतियाँ तय होते ही उन्हें उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर आधुनिकतम तकनीक में प्रशिक्षित कर्मचारियों, इंजीनियरों, प्रबन्धकों की नियुक्ति, उद्योगों के लिये स्थान उपलब्ध करवाने, निवेश करने तथा आधारभूत ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा साथ ही लघु उद्योग अबाध रूप से चलते रहेंगे, इससे गाँवों में सड़कें, यातायात, अस्पताल, व्यावसायिक कार्यालय, आदि को शहरों की तरह विकसित किया जा सकता है।

❑ डॉ. रेखा भट्ट

लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग सदैव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार से पूर्व राजस्थान तथा पूरे देश की अर्थव्यवस्था स्थानीय कुटीर एवं लघु उद्योगों पर आधारित थी। ब्रिटेन के औद्योगिक विकास के लिए औपनिवेशिक देशों की प्राकृतिक सम्पदा और संसाधन उपलब्ध हो सके, इसके लिए सन् 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इंग्लैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इससे भारत जैसे विकासशील देशों में संपदा संरक्षण के पुराने नियम स्वत: समाप्त हो गये। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 150 वर्षों तक भारत के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन किया जाता रहा। ब्रिटिश शासन द्वारा षड़यन्त्रपूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से सभी भारतीय स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट कर दिये गये। भारत की उत्पादन शक्ति समाप्त होने से सूती-वस्त्रों जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिये भी हम यूरोपीय देशों पर निर्भर हो गये। भारत से कच्चा माल यूरोपीय देशों को जाता था और वहाँ के उद्योगों से निर्मित माल भारतीय बाजारों में खपाया जाता रहा।

भारत में उद्योग चलाने के लिये अंग्रेजों द्वारा भारत के बड़े व्यापारिक केन्द्रों- कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुम्बई में विदेश से आयातित नवीन मशीनरी स्थापित की गई। ये मशीनें भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था देने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकल्प नहीं बन सकी। अत: बढ़े हुए बेरोजगारों को ब्रिटिश कार्यालयों में कर्मचारियों व लिपिकों के रूप में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था दी गई। इसके लिये मैकाले द्वारा विद्वेषपूर्ण तरीके से, विश्व की श्रेष्ठ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से जो शिक्षा व्यवस्था प्रदान की गई उससे उद्यमियों तथा दक्ष व हुनरमंद कामगरों के स्थान पर कारखानें व मीलों में काम करने वाले श्रमिक ही प्राप्त हो सकते थे।

राजस्थान खनिजों का अजायबघर कहलाता है। सीसा, जस्ता, फ्लोराइट जैसे खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वर्तमान में देश के औद्योगिक उत्पादन में खनिजों का 11 प्रतिशत योगदान है। धात्विक खनिजों जैसे लोहा, चाँदी, ताम्बा आदि में राजस्थान अग्रणी है। खेतड़ी का विकास ताम्बे के सर्वाधिक उत्पादन से ही संभव हुआ है। जयपुर जिले में राजस्थान के जैम स्टोन का औद्योगिक पार्क है यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है। किन्तु जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू जैसे जिलों में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद औद्योगिक विकास शून्य है। राज्य के अन्य जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ भी पर्याप्त निवेश की कमी देख-रेख एवं प्रशिक्षित कुशल कामगारों के अभाव में रुग्णावस्था में चल रही है। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योगों में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) बहुत कम हैं। उनमें स्थानीय उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण 'मेक इन इण्डिया' अथवा 'मेड बाई इण्डिया' एवं 'स्किल इण्डिया' जैसी योजनाएँ प्रभावी ढँग से फलीभूत नहीं हो पा रही है।

आज भी मैकाले पद्धति पर आधारित शिक्षण व्यवस्था का राजस्थान की भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों से कोई सामंजस्य नहीं है। राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उष्ण व शुष्क जलवायु की भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की 'रेन-रेन गो अवे' जैसी राइम्स तथा अंग्रेजी में गणित के हिसाब किताब में असमर्थ छात्र, शिक्षा की उपयोगिता को समझने में अक्षम रहते हैं। शिक्षा की अनिवार्यता जैसे नियमों को, शिक्षा की व्यावहारिकता एवं उपादेयता द्वारा ही साकार किया जा सकता है। शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न कराना, उद्यमिता द्वारा आय के स्रोत एवं नये स्टार्ट अप निर्मित करना, कम लागत में उत्पादन की नवीन तकनीक खोजना, उत्पादों

की गुणवत्ता बढ़ाने के साधन व ऊर्जा के नये विकल्प देना जैसे आउटकम विद्यार्थियों को इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय, कक्षा-कक्षीय संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो तभी डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट सुविधा, वर्चुअल क्लासरूम तथा आदर्श विद्यालय बनाने जैसे सरकारी प्रयास सार्थक हो सकेंगे। मध्यान्तर भोजन की व्यवस्था करने की अपेक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्किल डवलपमेन्ट आन्त्रेप्रेन्योरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिये साधन सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायें तो उनमें स्वत: भरण-पोषण करने की योग्यता निर्मित हो सकेगी। राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिये शिक्षा का पारिवारिक व सामाजिक वातावरण बनेगा जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में विशेष रूप से प्रभावी होगा। राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के कार्यों में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता रहती है। पारिवारिक सहयोग के नाम पर बालिका शिक्षा को समाज द्वारा नकार दिया जाता है। शिक्षा के अभाव में आज भी ग्रामीण विद्यार्थी अच्छे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है।

कृषि को राजस्थान में उद्योग के रूप में सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा से ही कृषि विषय में शिक्षण को प्रधानता दी जानी चाहिए। खेती की उन्नत तकनीक व उपज बढ़ाने के तरीके विकसित होने के बाद भी आज राजस्थान में कृषि शिक्षा उपेक्षित है। राजस्थान में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों का लाभ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 5-10 प्रतिशत छात्र ही उठा पाते हैं। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी व प्रबन्धन के सीमित निजी व सरकारी संस्थाओं में सम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश ले पाते हैं। शेष विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े वर्ग के लिये उच्च शिक्षा उनकी पहुँच के बाहर बनी रहती है।

राजस्थान में मैकालयी शिक्षा पद्धति के स्थान पर परम्परागत उद्योगों का आधुनिकीकरण व नवीनीकरण कर उद्योगोन्मुख शिक्षा का ढाँचा विकसित होने पर ही यहाँ की खनिज सम्पदा व संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार बन सकेगी। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिये अच्छा निवेश जितना आवश्यक, उसके सफल संचालन के लिये अच्छे प्रबन्धक तथा प्रशिक्षित एवं दक्ष कामगर उतने ही महत्त्वपूर्ण है। हस्तकला, हस्तशिल्प व हथकरधा जैसे परम्परागत उत्पादन के माध्यमों से व्यापक स्तर पर उत्पादों की माँग को पूरा नहीं किया जा सकता। अत: स्थानीय उद्योगों से जुड़े शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान व शोध संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। जिससे औद्योगिक इकाइयों की उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ेगी और राजस्थान में औद्योगिक विनिर्माण को मजबूती मिलेगी।

हाल ही में राजस्थान में, अलवर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीमराणा में, राजस्थान सरकार द्वारा रीको (राजस्थान औद्योगिक विनियोजन निगम) के माध्यम से औद्योगिक विकास की पहल, इस क्षेत्र में हुए विकास की साक्षी है। यहाँ पर 21.5 अरब के निवेश द्वारा, 1200 एकड़ क्षेत्र में देश-विदेश की कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। यहाँ स्थापित औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत जापानी कम्पनियाँ शामिल है। यहाँ उद्योगों को आधुनिक तकनीक युक्त उद्योगोन्मुख शिक्षण द्वारा कुशल एवं दक्ष कामगार उपलब्ध होंगे। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन

बढ़ने से राजस्थान का आर्थिक विकास होगा।

राजस्थान में खनिज सम्पदा के अतिरिक्त विनिर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण उत्पादों, धातु, जूट, कॉटन, चीनी, ईंधन आदि के उत्पादन की अपार क्षमता है। ग्रामीण संसाधनों व उद्योगों को शिक्षा द्वारा समुन्नत करके राजस्थान को भारत के विनिर्माण केन्द्र (manufacturring hub) के रूप में विकसित किया जा सकता है। उद्योगोन्मुख शिक्षा द्वारा यहाँ कम एवं मध्यम आय वर्ग के रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेगी तथा राजस्थान का आर्थिक-सामाजिक विकास होगा।

राजस्थान के गाँवों में मध्यम एवं भारी उद्योगों के साथ घर-घर में लघु उद्योगों के विकास से राज्य को आर्थिक रूप में सुदृढ़ बना जा सकता है। राज्य में कम खर्च में उत्पादों का निर्माण कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। नीतियाँ तय होते ही उन्हें उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर आधुनिकतम तकनीक में प्रशिक्षित कर्मचारियों, इंजीनियरों, प्रबन्धकों की नियुक्ति, उद्योगों के लिये स्थान उपलब्ध करवाने, निवेश करने तथा आधारभूत ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, साथ ही लघु उद्योग अबाध रूप से चलते रहेंगे, इससे गाँवों में सड़कें, यातायात, अस्पताल, व्यावसायिक कार्यालय, आदि को शहरों की तरह विकसित किया जा सकता है। कारखानों के लिए पानी एवं बिजली के प्रबन्ध प्रत्येक क्षेत्र में है। राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाओं का उचित दोहन आवश्यक है।

राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन को पर्याप्त निवेश एवं शिक्षा द्वारा सही दिशा में क्रियान्वित किया जाये तो उद्योगों में आने वाली समस्याओं जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, कम लागत में गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन तथा मार्केटिंग का सरलता से सामना किया जा सकता है। उद्योगोन्मुख शिक्षा द्वारा स्वरोजगार व उद्यमिता के अवसर बढ़ेगे और राजस्थान के औद्योगिक विकास द्वारा देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी। ❑

(व्याख्याता-रसायन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर)

AJKLTF Demand Detachments of All Teachers working in CEO/ZEO Offices.

A general meeting of State working committee of All Jammu Kashmir and Ladakh Teachers Federations under the aegis of Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh was held at Jammu under the chairmanship of Sh Dev Raj Thakur State President. 27 August 2017

The agenda of the meeting was to discuss the burning issues of Education and teaching fraternity. The meeting was attended by all the members of state body and the distt. Presidents and district Secretaries of all the districts of Jammu province.

All the members present said that some Masters/Teachers attached in the CEO/ZEO offices in all the districts for the last three to ten or fifteen years. The attached teachers in these offices manipulating the whole system with corrupt practices. They are appointed for the purpose of teaching to the poor and innocent children but inspite of working in the places of posting they preferred to remain attached in the CEO/ZEO offices for their vested monitory interests . The CEOs/ZEOs have no courage to ask these attached officials to report to their respective schools and they are only the puppets in the hands of these teachers/masters. In some zones/ districts, these attached teachers working as drivers of CEO/ZEOs and their staff . It is not obligatory for the CEOs/ZEOs to implement the Govt. circular regarding detachment of all the employees . They misled the Govt.about the attachments. These attachments hampering the studies of the students, harasment to the innocent teachers and degrading the teaching fraternity . All the members from the Jammu province stressed for immediate detachment of all the teachers from the CEO/ZEO offices otherwise the Federations approach the higher authorities/ vigilance organization for further legal action.

The members present unanimously condemned the premature transfers of teachers effected by the respective CEOs in Reasi, Kishtwar, Udhampur, Kathua, Jammu, and other districts of Jammy province. The pick and choose method of transfers put the honest dedicated hard working teachers under frustration. All members demand immedite cancellation of all the premature transfers.

Participated the meeting include Rattan Sharma State General Secretary, Maheshwar Prasad, Vice President, Smt. Kusum Lata, Vice President, Radha Krishan State Media/Publicity incharge and all the district presidents & secretaries were also present.

राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था : एक समीक्षा

राजस्थान अपने बीमारू राज्य की संकल्पना से ऊपर उठता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को अपनाया गया है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सब पढ़ें-सब बढ़ें, पढ़ते चलो-बढ़ते चलो आदि मापदण्डों को अपनाकर शिक्षा के अधिकार को सार्थक बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जा रहा है। हर बच्चे को इससे जोड़ा जा रहा हैं। मिड डे मील, गणवेश, पुस्तकें व निर्धन बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। कन्या शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु व आगे बढ़ने हेतु अनेक प्रभावी योजनाएँ जोड़ी जा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान राज्य विकास के सुर में सुर मिलाने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को छूने लगेगा।

❑ **डॉ. इन्दु बाला अग्रवाल**

राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। आज भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका गरिमापूर्ण इतिहास व संस्कृति रही है। यहाँ अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु अनेक विदेशी आक्रान्ताओं से लोहा लिया और अपने प्राणों का बलिदान किया, वहीं राजपूतों की महिलाएँ भी अपनी आन, बान, शान की रक्षा हेतु हँसते-हँसते जौहर को भेंट हो गईं। पन्नाधाय ने मातृभूमि के उत्तराधिकारी को बचाने हेतु अपने पुत्र का बलिदान दे दिया।

परन्तु विदेशी आक्रमणकारियों व आन्तरिक शत्रुओं का सामना करते रहने के कारण शिक्षा व्यवस्था कहीं उपेक्षित रह गई। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। राजस्थान में भी अजमेर शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बना। यहाँ कई अच्छे संस्थानों (जिनमें मेयो कॉलेज जो राजकुमारों व धनी लोगों की शिक्षा हेतु) की स्थापना हुई। इन सभी संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ परन्तु जाते-जाते अंग्रेज फूट के बीज बोते गए। उन्होंने विभिन्न रियासतों के राजाओं को यह स्वतंत्रता दे दी कि वे चाहे तो भारत संघ में सम्मिलित हों चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। परिणामस्वरूप कुछ राज्य जिनमें राजस्थान भी एक था, भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक परिश्रम व प्रयासों के बाद राजस्थान, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ आदि राज्य भारत संघ में शामिल होने हेतु राजी हुए। राजस्थान राज्य अनेक चरणों के एकीकरण पश्चात् 1956 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। जब देश स्वतंत्र हुआ तब शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया था अर्थात् शिक्षा की व्यवस्था करना राज्यों का आन्तरिक मामला होता था, जिस कारण से भारत की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता व समन्वयता का अभाव था। 1976 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। जिससे शिक्षा व्यवस्था का दायित्व राज्य व केन्द्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बन गया। इससे पूर्व राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का विकास पर्याप्त व वांछित स्तर तक नहीं हो पाया था।

राजस्थान ,भारत के उत्तरी पश्चिमी भू-भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। लगभग इसका 62 प्रतिशत क्षेत्र मरूस्थलीय व अर्द्ध मरूस्थलीय है, इस कारण से राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत अर्थात् 3.42 लाख वर्ग किमी. भौगोलिक क्षेत्र होते हुए भी आबादी राष्ट्रीय औसत से काफी कम मात्र 6.86 करोड़ है (2011 की जनगणना के अनुसार) परन्तु जनसंख्या विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। साक्षरता दर मात्र 60.4 प्रतिशत है जो सम्पूर्ण भारत के औसत स्तर से काफी पीछे हैं जो कि 74.04 प्रतिशत है (2011 की जनगणना अनुसार) तथा प्रति हजार पुरुषों के पीछे मात्र 921 महिलाएँ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य का विकास समुचित रूप से ना हो सका, औद्योगिक, कृषि व शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था व बीमारू राज्य कहा जाता था।

परन्तु विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों व मापदण्डों के अनुरूप विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अनेक अभियांत्रिकी व तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित हुए। राजस्थान के अनेक जिले शिक्षा के हब बन गए हैं, जहाँ लाखों विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं। बोर्ड के परिणामों में भी आशानुकूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लगभग 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं और ना केवल उत्तीर्ण हो रहे हैं बल्कि प्रथम दर्जे के अंक प्राप्त कर रहे हैं। वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए। अभी भी अन्य बीमारू राज्य-बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश शिक्षा की दृष्टि में काफी अधिक पिछड़े हैं। परीक्षाओं में

नकल की प्रवृत्तियाँ और विभिन्न घोटाले रोज के समाचारों की मुख्य सुर्ख खबरों में से एक हैं। राजस्थान अपने बीमारू राज्य की संकल्पना से ऊपर उठता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को अपनाया गया है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सब पढ़ें-सब बढ़ें, पढ़ते चलो-बढ़ते चलो आदि मापदण्डों को अपनाकर शिक्षा के अधिकार को सार्थक बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जा रहा है। हर बच्चे को इससे जोड़ा जा रहा हैं। मिड डे मील, गणवेश, पुस्तकें व निर्धन बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। कन्या शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु व आगे बढ़ने हेतु अनेक प्रभावी योजनाएँ जोड़ी जा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान राज्य विकास के सुर में सुर मिलाने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को छूने लगेगा।

फिर भी यह सच्चाई है कि जुझारू प्रवृत्ति और उच्च जीवटता वाले लोगों के होते हुए व सरकार के शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देते-देते भी कहीं कुछ कमी अवश्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्यों हम अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनना चाहते? क्या कहीं ये आँकड़े गलत रूप से प्रस्तुत कर राज्य के विकास को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास हैं? यदि सरकारें वास्तविक शिक्षा का विकास राज्य में करना चाहती हैं तो जो भी पैसा वह व्यय कर रही हैं वह अनावश्यक और व्यर्थ के कार्यों पर व्यय ना हो। उसका पूरा हिसाब हो। कहीं ऐसा न हो की राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय नाममात्र सरकारी अनाथालय बन कर रह जाए। अध्यापकों, प्राध्यापकों का सारा ध्यान मात्र वेतनवृद्धि पर ना होकर, कार्य करने

पर होना चाहिए। देखने में यह आ रहा है कि राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों के अध्यापक कोचिंग कक्षाओं व निजी ट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कक्षा में ना अध्यापक आते हैं ना विद्यार्थी। मात्र बड़ी-बड़ी इमारतों और संरचनात्मक ढाँचों को विकसित करने से अभिक्षमताओं में वृद्धि संभव नहीं है। दूसरी तरफ स्थायी नियुक्तियाँ वर्षों से नहीं हुई हैं जिसके चलते विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सुनसान नजर आते हैं। प्राइवेट विद्यालय व महाविद्यालय एक तरफ अभिभावकों का खून चूस रहे हैं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं का। अभिभावकों से मनमाने शुल्क वसूले जाते हैं व शिक्षकों का नाम मात्र का पैसा दिया जाता है और सब यह सरकार की नाक तले हो रहा है। सरकारी अधिकारी जान कर भी अंजान बने बैठे हैं। यदि हम सही अंजाम तक पहुँचना चाहते हैं तो सारे प्रयास भी सही दिशा में होने आवश्यक हैं, तब विकास का सही लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकारी हस्तक्षेप मात्र विद्यालयों के लिए नीति-निर्धारण तय करने के लिए ना होकर वास्तविक क्रिया-कलापों पर ध्यान देने के लिए होना चाहिए। मात्र झूठी प्रशंसा और वाह-वाही की जगह ठोस कार्यक्रमों व उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। बूढ़े और असक्षम अध्यापकों की नौकरी की उम्र बढ़ाते रहने से सही मार्ग निकलने वाला नहीं है। उन बूढ़े और स्मृतिविहीन प्राध्यापकों को हटाकर इतनी ही तनख्वाह में चार युवाओं की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकता है। अर्थशास्त्री मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म के उदाहरण में यह कहा था कि जब तक बूढ़े वृक्षों को नहीं गिराया जायेगा नये वृक्षों को पल्लवित व पुष्पित होने का मौका नहीं मिलेगा। नवांकुर नहीं फूटेंगे और नवांकुर के अभाव में आने वाली पीढ़ी सूख जाएगी। शिक्षा के विकास हेतु आवश्यकता है, चारों तरफ ध्यान देने की ना कि जो वास्तविक पैसा (केन्द्र से) प्राप्त हुआ है उसका मात्र कुछ प्रतिशत ही वास्तविक व्यय कर वाह-वाही लूटने की। सही मायनों में राजस्थान राज्य रोल मॉडल तब बनेगा जब हर अध्यापक, प्राध्यापक व छात्र-छात्राएँ, कार्यक्षम व कार्यदक्ष होकर सतत् प्रयास करेंगे व राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। नही तो स्थिति मुद्रा भ्रमजाल जैसी ही बनी रहेगी जिसमें आमदनी में मौद्रिक वृद्धि तो होती है परन्तु वास्तविक आमदनी में कोई वृद्धि नहीं होती और लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ गई। विकास के लिए ऊपरी विकास या दिखावे का विकास नहीं होकर शिक्षा क्षेत्र में वास्तविक विकास आवश्यक है, जिससे क्षमताओं में अभिवृद्धि हो सके। ❑

(पूर्व तदर्थ व्याख्याता,
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर)

राजस्थान में बालिका शिक्षा

बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव की गहरी जड़ों ने इनकी प्रगति को बाधित किया है। सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि इस भेदभाव को बच्चियों को अपने घर में, अपने अभिभावकों के बीच देखना पड़ता है। पोषण से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं तक के लिए माता-पिता द्वारा बच्चियों और बेटों में अन्तर किया जाता है। बाल विवाह और बालिकाओं द्वारा शारीरिक श्रम, राज्य की बालिकाओं की निरन्तर शिक्षा में बाधक तत्त्व है और यही कारण है कि मौजूदा योजनाओं और राज्य सरकार के बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों से बालिकाएँ उस अनुपात में लाभान्वित नहीं हो रही हैं, जो कि अपेक्षित थीं।

❑ **डॉ. ऋतु सारस्वत**

सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय सम्मुलास में उल्लेखित है कि इस प्रकार के राज नियम और जाति नियम होने चाहिए कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने बालक, बालिकाओं को घर में न रख के, पाठशाला में अवश्य भेज देवें जो न भेजे, वह दण्डनीय हो।

'कन्यानां सम्प्रदानं च कुमारीणां च रक्षणाम्' (मनुस्मृति 7/152), यह श्लोक स्वतः स्पष्ट करता है कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार बालक और बालिका को समान रूप से है तो प्रश्न यह उठता है कि संपूर्ण भारत में ऐसा काल कैसे आया जिसने 'स्त्री-शिक्षा' अवधारणा को हो अस्वीकार दिया। बालिका शिक्षा के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की बात करें तो, राज्य के मध्यकाल में बालिका शिक्षा का जो अवसान हुआ वह राज्य के संवेदनशील और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए घोर पीड़ादायक था और यही कारण रहा कि उन्नीसवीं सदी के मध्य से बालिका शिक्षा के प्रयास आरंभ हो गए।

स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा के लिए जो प्रारम्भिक प्रयास हुए, उसमें ब्रिटिश शासन का सकारात्मक सहयोग नहीं था इसका कारण भी स्पष्ट था। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के जो भी प्रयास किए वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में निचले स्तर पर कार्य करने हेतु वर्ग का निर्माण करने के लिए किए। उस शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की खोज न होकर, अंग्रेजी भाषा के जानकारों की ऐसी फौज खड़ी करनी थी जो उनके आला अफसरों के मातहत के रूप में काम कर सके।

राज्य में तत्कालीन अजमेर (मेरवाड़ा) जिले में 1861 में ब्यावर और 1863 में अजमेर में वर्नाकुलर बालिका विद्यालय खुले। इन स्कूलों में मूलतः ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 1893 तक स्कूल खोले जाने और नगण्य उपस्थिति के कारण बन्द किये जाने का सिलसिला चलता रहा।

अंग्रेजी सरकार के बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक रुख के कारण 1878 से गैर सरकारी स्कूल खोले जाने लगे। अंग्रेजों ने तत्कालीन जोधपुर व अलवर राज्यों में इन स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिये और कहीं अनुदान देने से मना कर दिया। इन तमाम अवरोधों के बीच 4 फरवरी, 1914 में अजमेर में 'श्री सावित्री कन्या पाठशाला' खुली। जिसके संस्थापक श्रीमती रामप्यारी चन्द्रिका तथा उनके पति लालजी श्रीवास्तव थे। दो अध्यापिकाओं तथा 15 छात्राओं के साथ इस शिक्षण संस्था का आरम्भ हुआ था। अंग्रेज प्रशासित अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त से पूर्व तत्कालीन बीकानेर राज्य में 1886-87 में पहला प्राथमिक स्कूल खुला

था। 1889-90 तक यहाँ 39 लड़कियाँ और 1896-97 में महाजन वर्ग की 70 लड़कियाँ पढ़ रही थीं। इस स्कूल में सिलाई व हिन्दी की शिक्षा दी जाती थी।

महिला शिक्षा को लेकर जोधपुर के राजा कुमार सरदार सिंह संवेदनशील थे। उन्होंने 1866 में ह्यूमन गर्ल्स स्कूल खोला। 1913 तक यहाँ 136 छात्राएँ थीं। 1990 में भरतपुर में भी एक स्कूल खोला गया परन्तु जैसलपुर में 1930 तक एक भी बालिका विद्यालय नहीं था।

1921 के जनगणना सर्वेक्षण में स्कूलों के माध्यम से स्त्री शिक्षा की स्थिति स्पष्ट होती है। राज्य में यद्यपि 46,59,493 महिला जनसंख्या थी तथा इसमें 18,851 ही साक्षर थीं। बीसवीं सदी के दूसरे दशक में विभिन्न राज्यों की 'प्रशासनिक रिपोर्ट' में स्त्री शिक्षा का अनुपात 0.01 प्रतिशत से भी कम बताया गया।

1944 में जयपुर शहर में महारानी कॉलेज की नींव श्रीमती सावित्री भारतीय के अथक प्रयासों से रखी गयी।

स्वतंत्रता से पूर्व मेवाड़ अंचल में भैरूलालजी गेलडा ने 1916 'राजस्थान महिला विद्यालय' की स्थापना की जो कि महिला विकास की दिशा में एक क्रान्तिकारी पहल थी। 1916 में स्थापित इस विद्यालय ने 1944 में हाईस्कूल का रूप लिया। 1954 में यहाँ स्नातक स्तर की शिक्षा भी प्रारम्भ हो गई। 1943 में संस्था से मॉन्टेसरी शाला को भी जोड़ा गया तथा 1976 में श्री दुर्गावत कला एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ हुआ। राज्य में बालिका शिक्षा के इतिहास में, एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव वह था जब अक्टूबर, 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा हुई। छह लड़कियों तथा बिना किसी आधारभूत संसाधनों के मिट्टी के कमरों में इस संस्था में शिक्षा का कार्य आरम्भ हुआ। विभिन्न स्तरों में गुजरते हुए 1983 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।

बालिका विद्यालय खोलने के साथ-साथ बालिका शिक्षा की जनजागृति के लिए राज्य में स्वतंत्रता से पूर्व उल्लेखनीय प्रयास हुए। सन् 1935 में दयाशंकर श्रोत्रिय ने गांधीदर्शन के प्रचार के उद्देश्य से चरखा द्वादशी का 12 दिवसीय आयोजन किया। इसी सभा में नारी शिक्षा की संस्था प्रारम्भ करने की घोषणा की तथा 10 नवम्बर, 1935 को इसी घोषणा के परिणामस्वरूप 'महिला मण्डल' की स्थापना हुई। इस मण्डल के अन्तर्गत महिला शिक्षा की अलग जगी। इस मण्डल का अभूतपूर्व कदम यह था कि स्त्रियों के लिए रात्रि शालाएँ आरम्भ हुईं। इसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों ही निःशुल्क किए गए। उदयपुर के तत्कालीन 11 वार्डों में रात्रि शालाएँ चलने लगीं। इतना ही नहीं, 24 फरवरी 1941 में महिला पुस्तकालय और वाचनालय का भी आरम्भ हुआ।

स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात् देश की केन्द्र प्राथकिताओं में बाल शिक्षा का विकास था। राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहाँ 2.29 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, वहीं द्वितीय योजना में यह 4.88 तथा तृतीय में 8.05 करोड़ हुआ और उसके पश्चात् विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने निरन्तर बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयास किए जिसका परिणाम यह रहा कि नामांकन में प्राथमिक स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथापि वर्ष 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर जहाँ बच्चियों का प्रतिशत 45.9 था, वहीं लड़के 54.1 प्रतिशत थे। 11-14 वर्ष की आयुवर्ग में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत, वर्ष 2009 में 5.56 प्रतिशत, बालकों की तुलना में 12.55 प्रतिशत बालिकाओं का रहा, जो कि लैंगिक भेद की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है।

सर्वेक्षण बताते हैं कि महिला शिक्षिकाओं की वृद्धि के सकारात्मक परिणाम आए। इससे बालिकाओं के विद्यालय नामांकन में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2003-04 और 2011 के बीच यूँ तो महिला शिक्षिकाओं के अनुपात में 24.18 प्रतिशत से 30.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु वे विद्यालय जिनमें कम से कम एक महिला शिक्षिका है, की संख्या 64.99 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव की गहरी जड़ों ने इनकी प्रगति को बाधित किया है। सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि इस भेदभाव को बच्चियों को अपने घर में, अपने अभिभावकों के बीच देखना पड़ता है। पोषण से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं तक के लिए माता-पिता द्वारा बच्चियों और बेटों में अन्तर किया जाता है। बाल विवाह और बालिकाओं द्वारा शारीरिक श्रम, राज्य की बालिकाओं की निरन्तर शिक्षा में बाधक तत्त्व है और यही कारण है कि मौजूदा योजनाओं और राज्य सरकार के बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों से बालिकाएँ उस अनुपात में लाभान्वित नहीं हो रही हैं, जो कि अपेक्षित थीं। यह राज्य के लिए चिंता का विषय है कि राज्य की महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है, जो भारत के कई राज्यों से ही कम नहीं है, अपितु भारत महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत 65.54 प्रतिशत से भी कम है। हम यह कहें कि स्थिति पूर्णतः निराशाजनक है तो यह गलत नहीं होगा। ❑

(व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर)

स्वतन्त्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य

❑ दीप्ति चतुर्वेदी

स्वतन्त्रता के कई दशक बाद तक राजस्थान को बिमारू राज्यों की सूची में शामिल कर शिक्षा में पिछड़ा राज्य कहा जाता था। इस दृष्टि से बात करें तो कोई यह कह सकता है कि स्वतन्त्रता पूर्व तो राजस्थान में सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी। राजस्थान में राजाओं का राज होने के कारण भी इस बात को बल मिलता है मगर यह धारणा सही नहीं है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू होने के पूर्व शिक्षा की अच्छी व्यवस्था प्रचलित थी। 1818 से पूर्व प्रचलित शिक्षा के ब्रिटिश दस्तावेजों में देशी शिक्षा सम्बोधित किया हैं। उसके बाद में विकसित होने वाली शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से सम्बोधित किया है लेकिन इसमें अंग्रेजी पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा तत्वों के तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समावेश होने के कारण इसे आधुनिक शिक्षा कहना उपयुक्त होगा। औपचारिक शिक्षा धार्मिक संस्कार-हिन्दुओं में उपनयन और मुसलमानों में बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारम्भ होती थी।

अभिलेखागार सामग्री और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानों की पाण्डुलिपियों के अध्ययन के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता हैं। प्राथमिक और उच्च शिक्षा। देशी प्राथमिक शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा के रूप में हिन्दुओं की पाठशाला, चटशाला जैनियों के उपासरा- वानिका और मुसलमानों के मकतब थे। इनके अतिरिक्त मंदिर मस्जिद के आँगन चौपाल किसी विशिष्ट शिक्षक एवं व्यक्ति का घर बरामदा, दूकानें व अन्य स्थान आदि शिक्षण केन्द्र होते थे। परिवार भी प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केन्द्र होते थे वंशानुगत आधार पर माता-पिता व परिवार के वरिष्ठ सदस्य बालक को शिक्षित करते थे। उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में हिन्दुओं के मठ, जैनियों के उपासरे और मुसलमानों के मदरसे प्रमुख स्थल थे। एक शिक्षक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ा लेता था। कक्षा तन्त्र नहीं होकर प्रत्येक बच्चे को उसकी गति के अनुसार सिखाया जाता था। होशियार बच्चों का उपयोग कमजोर बच्चों की मदद करने में किया जाता था। देश स्वतन्त्र होने के अनेक वर्ष बाद तक ऐसे शिक्षा संस्थान चलते रहे थे। स्वतन्त्रता बाद सरकार

स्वतन्त्रता पूर्व तो राजस्थान में सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी। राजस्थान में राजाओं का राज होने के कारण भी इस बात को बल मिलता है मगर यह धारणा सही नहीं है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था लागू होने के पूर्व शिक्षा की अच्छी व्यवस्था प्रचलित थी। 1818 से पूर्व प्रचलित शिक्षा के ब्रिटिश दस्तावेजों में देशी शिक्षा सम्बोधित किया हैं। उसके बाद में विकसित होने वाली शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से सम्बोधित किया है लेकिन इसमें अंग्रेजी पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा तत्वों के तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समावेश होने के कारण इसे आधुनिक शिक्षा कहना उपयुक्त होगा।

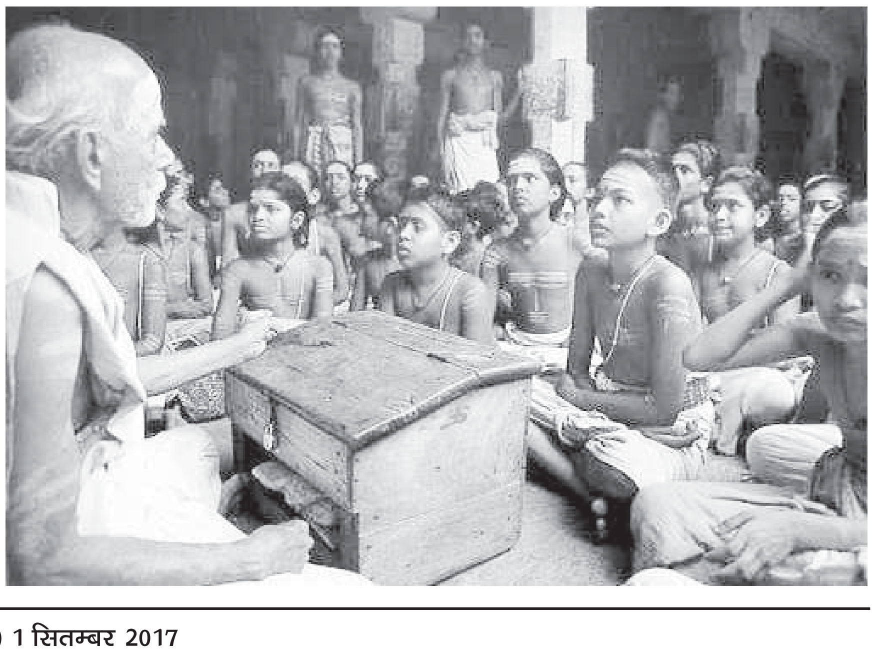

ने मैकालयी शिक्षा को तेजी से विस्तार दिया तो ये शिक्षा केन्द्र बंद होते गए क्योंकि इनको शासन की मान्यता नहीं थी।

पाठ्यचर्या

उन दिनों पाठ्यक्रम धार्मिक व गैर धार्मिक भी दो भागों में विभक्त रहता था। प्राथमिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना और हिसाब (गणित) तक सीमित रहता थी। पाठशाला में हिन्दी एवं संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उपासरा में हिन्दी एवं प्राकृत पढ़ाई जाती थी। मकतब में फारसी एवं उर्दू पढ़ाई जाती थी। राजस्थान महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होने के कारण स्थानीय भाषा और फारसी प्रशासनिक भाषा होने के कारण उर्दू के अध्ययन का प्रचलन भी शिक्षण संस्थाओं में था। गणित के अन्तर्गत 01 से 100 तक गिनती और 1/2 (आधा) से 11 तक के पहाड़े पढ़ाते तथा दूसरे सोपान में ढ़य्या (2=1/2) एवं सवाया 1=1/4 और दस के आगे के पहाड़े, माप-तोल, गुणा ब्याज, राशि, लब्धि वर्गीकरण के सूत्र तथा बही-खाता रखने की विधि सिखाई जाती थी। देशी शिक्षा में बही-खाता विधि को महाजनी लिपि या वाणियावाटी लिपि गणित भी कहा जाता था क्योंकि इसमें व्याकरण की कठिनाइयों से बचने के लिये संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता था।

पाठ्यक्रम का दूसरा भाग धार्मिक शिक्षा से प्रेरित था, जिसमें देवी देवताओं की कथा, त्योहार, जीवनापयोगी वस्तुएँ, पूजा सामग्री विधि, खान-पान, श्रृंगार, वस्त्रों के फलों के नाम, नैतिक शिक्षा आदि। मदरसों में कुरान, फातिहा (दफनाने के समय पढ़ा जाता है) हकीकत, करीमा, तारीखें आदि पाठ्यक्रम का भाग थे।

शिक्षक को भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। पाठशाला और चटशाला आदि में पढ़ाने वाले शिक्षक को गुरु या जोशी कहा जाता था। मठ एवं अस्थल के शिक्षक आचार्य व महन्त कहलाते थे। उपासरा, वानिका के शिक्षक भट्टारक तथा मकतब एवं मदरसे के शिक्षक मौलवी एवं उलेमा कहे जाते थे।

उच्च व तकनीकी शिक्षा

उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में हिन्दुओं के मठ, जैनियों के उपासरे और मुसलमानों के मदरसे प्रमुख स्थल थे। जैन गुरुकुलों विद्यार्थियों की संख्या को अनुमान ब्यावर के जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रही, अनाज पीसने की बैलों से घुमाई जाने वाली चक्की से लगाया जाता है। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम भी धार्मिक और गैर धार्मिक में विभाजित था। धार्मिक शिक्षा उच्च आध्यात्मिक शिक्षा से सम्बद्ध थी। मठ में कर्मकाण्ड, अस्थल में धर्म की किसी विशेष शाखा का अध्ययन, वेदों और ग्रंथों का मदरसों में इस्लामिक कानून, इलाही आदि का अध्ययन कराया जाता था। धर्म के अतिरिक्त उच्च शिक्षा केन्द्रों पर भूगोल, इतिहास, भाषा विज्ञान, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, खगोल विद्या, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का भी ज्ञान दिया जाता था। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जयपुर स्थित जन्तर मन्तर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, कृषि केन्द्र क्षेत्र में जुताई के चिन्ह, अभियांत्रिक क्षेत्र में विशाल महल, किले, जलमहल, नहरों, पुल, कुओं, बावड़ियों का निर्माण तकनीकी शिक्षा का परिणाम था।

धातु पिघलाने की तकनीकी भी महत्त्वपूर्ण ज्ञानार्जन था। कर्नल टॉड को दक्षिणी राजस्थान जावर क्षेत्र में जस्ता, धातु, ताम्बे, टिन और लोहा पिघलाने वाले बकयंत्र या मिट्टी के बने भमके नदी के किनारे मिले थे।

महिला शिक्षा

महिलाओं की शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की थी। अधिकांशतः राजपरिवार, कुलीन वर्ग व चारण जाति की महिलाओं, जैन साध्वियों और राजपरिवार से सम्बद्ध दास दासियों में शिक्षा का प्रचलन था। राजकीय अभिलेखागार में 'जनानी ड्योढ़ी तहरीर' नाम से पृथक् वर्ग का संग्रह है जिससे पता चलता है कि राजपरिवारों से सम्बन्ध महिलाएं सांस्कृतिक मूल्यों और सैन्य शिक्षा लेती थी। राजस्थान में अनेक विदुषी चारण महिलाएँ हुई है। महिला शिक्षा का सबसे मजबूत स्तम्भ उपासरा था जिसमें जैन साध्वियाँ व महिलाएँ अध्ययनरत रहती थी। वे भाषा, साहित्य एवं अनुवाद के कार्य में निपुण होती थी। व्यावसायिक परिवारों से सम्बद्ध महिलाएँ परिवार में ही रहते हुए अपने पारिवारिक व्यवसाय की शिक्षा ग्रहण करती थी।

शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था

शिक्षा की तत्कालीन व्यवस्था में निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था। संस्था में प्रवेश, समय सारणी, परीक्षा, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र शुल्क की आज के समान व्यवस्था नही थी। शुल्क के रूप में 'सीधा प्रथा' प्रचलित थी। विद्यार्थी अपने घर से शिक्षक के लिए अन्न व अन्य भोजन सामग्री लाते थे। इससे भोजन व्यवस्था हो जाती थी। अन्य खर्च शिक्षा पूर्ण होने पर दी जाने वाली गुरु दक्षिणा से चलते थे। शिक्षकों का जीवन सादगीपूर्ण होता था। शासक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विधि द्वारा बाध्य नहीं था, वह अपनी स्व-प्रेरणा से शिक्षण कार्य करने वालों को कर मुक्त जमीन (जागीर) अनुदान करते थे। हिन्दुओं को दी जाने वाली जागीर को 'माफी जागीर' और मुसलमानों को दी जाने वाली जागीर 'मदद ए माश' जागीर कहलाती थीं, यह जागीर कर मुक्त होती थी। शिक्षा में राजकीय हस्तक्षेप नहीं होने के कारण उसमें विविधता बनी रहती थी। ❑

(सहा. प्रो., श्री बाँगड़ राज.महाविद्यालय, पाली)

अविवेकपूर्ण निर्णय की वापसी

क्या कोई राष्ट्र और उसका शिक्षा तंत्र इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार कर सकता है? यदि नीति-निर्माताओं ने स्कूलों की वस्तुस्थिति पूरी तरह विश्लेषित की होती तो संभवतः उनकी प्राथमिकता पहले स्थिति सुधारने की होती, न कि एकाएक अपना निर्णय सारे देश पर थोप देने की। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि सीबीएसई ने अपने से संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को केवल एक दिन का प्रशिक्षण देकर सीसीई लागू करने की तैयारी की खानापूर्ति कर दी। जैसा अपेक्षित था, यह नीति असफल रही और अब इसे बदला जा रहा है। अब नई नीति के अनुसार कक्षा पाँच के बाद परीक्षा लेने के प्रावधान को लागू करने या न करने की छूट राज्य सरकारों को मिली हुई है। कक्षा पाँच के पहले कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने की छूट को किसी भी स्कूल बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था।

❑ **जगमोहन सिंह राजपूत**

स्कूलों में हर कक्षा में वार्षिक परीक्षा होना दशकों से शिक्षा व्यवस्था का एक अपरिवर्तनीय अंग माना जाता रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत में रोपित की गई शिक्षा प्रणाली का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग था और लगभग उसी स्वरूप में आज भी विद्यमान है। वैसे शिक्षा की मौलिक अवधारणा सदा यही रही है कि उसका हर अंग गतिशीलता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, तत्पर भी रहे। शिक्षा प्रणालियों को बदलने के सफल प्रयास जिन देशों में हुए हैं वहाँ सोच यही रही है कि शिक्षा में किया गया निवेश राष्ट्र की प्रगति में अन्य किसी भी क्षेत्र में किए गए निवेश के बरक्स सबसे अधिक योगदान करता है। भारत की प्राथमिकताओं में ऐसी सोच व्यावहारिक स्थान नहीं पा सकी। परिणामस्वरूप हम आज भी शिक्षा में वे सब सुधार लागू करने की स्थिति में नहीं हैं जो कई दशक पहले लागू हो जाने चाहिए थे। कोठारी कमीशन की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्तुतियों में शामिल था मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन। वह भी कार्य संस्कृति की शिथिलता तथा नीतिगत स्तर पर अन्यमनस्कता के कारण जहाँ का तहाँ ही रह गया। शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम के 2010 में लागू होने पर लोगों का ध्यान इस ओर गया कि कक्षा आठ तक कोई परीक्षा नहीं होगी और कक्षा दस की बोर्ड की परीक्षा वैकल्पिक बना दी जाएगी। यह भी घोषित किया गया कि सीसीई (समेकित और समग्र मूल्यांकन) को लागू कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त करने से आशय यह तो नहीं था कि बच्चा बिना कुछ शैक्षिक उपलब्धि के ही कक्षा आठ तक निर्बाध रूप से पहुँच जाए और वहाँ जाकर पाए कि अब उसके सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है। क्या यह विडंबना नहीं कि जिस कमजोर वर्ग को शिक्षा में आगे लाने का दम हर कोई भरता रहा, 'फेल न करने की नीति' से उसी वर्ग के बच्चों की शिक्षा और अधिक कमजोर होती गई? इसमें सुधार आवश्यक था। देश ने इसे पहचाना और अब किए जा रहे परिवर्तनों को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बगैर पूर्व-तैयारी के लागू किए गए सुधारों को सफलता कभी नहीं मिलती है। यहाँ भी वही हुआ। अंग्रेजों द्वारा सौ वर्ष पहले बिछाई गई पटरियों पर एकाएक बाहर से मंगाकर बुलेट ट्रेन चला देने का जो हश्र होगा वही इस 'फेल न करने की नीति' का भी हुआ। उस समय के सरकारी तंत्र ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों के क्रियान्वयन के पहले कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं समझी। इन 'सुधारों' को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी नहीं माना गया। इन बहु-प्रचारित परिवर्तनों को असफल होना ही था, क्योंकि क्रियान्वयन के लिए जो सामान्य आवश्यकताएँ

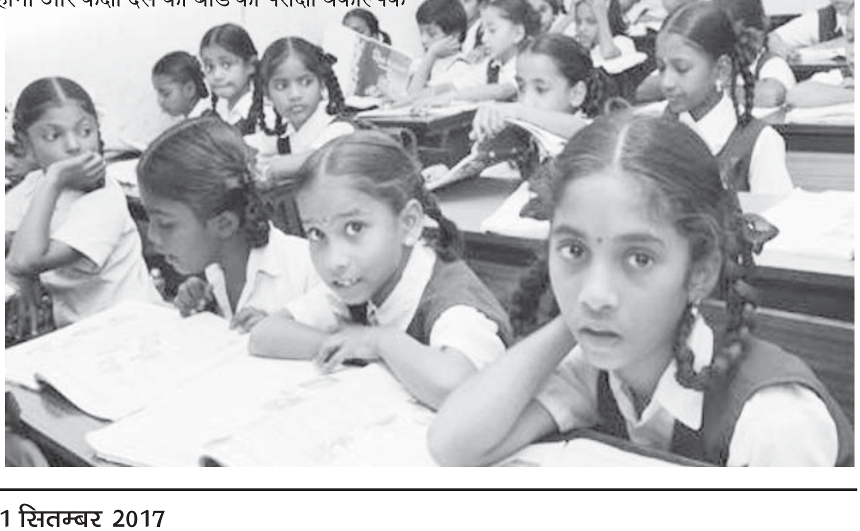

हर स्कूल में अपेक्षित मानी जाती हैं वे उपलब्ध ही नहीं थीं।

सभी जानते हैं कि आज भी देश के लगभग नब्बे प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। नियमानुसार तो ऐसे सभी स्कूलों की मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए। आज भी देश के 37 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं। जहाँ हैं भी वहाँ पता नहीं कि कितने वास्तव में चालू हैं या शुल्क न भरने के कारण काट दिए गए हैं? क्या समुचित अनुपात में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपस्थिति के बगैर कोई स्कूल सतत तथा समग्र मूल्यांकन लागू कर सकता है और यदि यह लागू होने की स्थिति ही नहीं बनती है तो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को कैसे जाना जाएगा? चूंकि यह संभव था ही नहीं अत: साल दर साल बच्चे बगैर कोई शैक्षिक उपलब्धि हासिल किए केवल अगली कक्षा में प्रोन्नत होते रहे। चूंकि उनमें अधिकाँश उन परिवारों के थे जहाँ घर पर भी उनकी शैक्षिक सहायता या उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की परिस्थिति नहीं होती इसलिए कुल मिलाकर बच्चे कहीं के नहीं रहे। वे बिना किसी शैक्षिक उपलब्धि के ही अगली कक्षाओं में जाते रहे। आठवीं या कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा में उनके पास नकल ही एकमात्र विकल्प रह गया। इसके लिए उन्हें नकल माफिया की शरण में जाना भी एक रास्ता दिखाई दिया। बिहार में पिछले वर्ष जब नकल रोकने में सख्ती की गई तो बोर्ड परीक्षा का परिणाम 35 प्रतिशत पर आ गया। इस गंभीर स्थिति के निर्माण में निश्चित रूप से 'फेल न करने की नीति' का काफी योगदान था।

क्या कोई राष्ट्र और उसका शिक्षा तंत्र इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार कर सकता है? यदि नीति-निर्माताओं ने स्कूलों की वस्तुस्थिति पूरी तरह विश्लेषित की होती तो संभवत: उनकी प्राथमिकता पहले स्थिति सुधारने की होती, न कि एकाएक अपना निर्णय सारे देश पर थोप देने की। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि सीबीएसई ने अपने से संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को केवल एक दिन का प्रशिक्षण देकर सीसीई लागू करने की तैयारी की खानापूर्ति कर दी। जैसा अपेक्षित था, यह नीति असफल रही और अब इसे बदला जा रहा है। अब नई नीति के अनुसार कक्षा पाँच के बाद परीक्षा लेने के प्रावधान को लागू करने या न करने की छूट राज्य सरकारों को मिली हुई है। कक्षा पाँच के पहले कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने की छूट को किसी भी स्कूल बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था।

यह एक तथ्य है कि इस प्रकार के निर्णयों में भागीदारी करने वालों में अधिकाँश वही लोग होते हैं जिनके बच्चे बड़े नामवाले निजी स्कूलों से पढ़े होते हैं। शायद वे यह भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों में लाखों अध्यापकों के पद रिक्त हैं और लाखों शिक्षाकर्मी बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए ही अध्यापन कर रहे हैं। हाल में देश में 11 लाख अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। आशा करनी चाहिए कि यह केवल खानापूर्ति नहीं होगी। जैसे-जैसे अध्ययन और अध्यापन की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समझ बढ़ी है, परीक्षा एक अनावश्यक अवरोध के रूप में मानी जाने लगी है। आज आधुनिक और गतिशील शिक्षा की इस अवधारणा से कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे का सर्वोत्तम मूल्यांकन केवल वह अध्यापक ही कर सकता है जिसने उसको पढ़ाया हो। उस स्थिति तक पहुँचाने के लिए हर स्कूल को भौतिक तथा मानवीय पक्षों पर संवारना और सुधारना होगा।❑

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

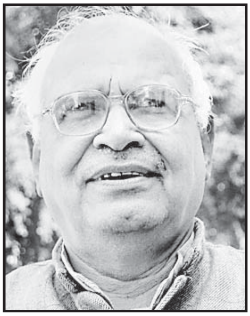

हिंदी का क्षेत्र अपने उपयोगिता मूल्य के कारण ही बढ़ा है। फारसी या अंग्रेजी की तरह उसे राज्याश्रय नहीं मिला। बादशाह फारसी चाहते थे, लेकिन अरबी-फारसी के अनेक विद्वानों ने भारत की भाषाई पहचान के लिए हिंदी शब्द का ही प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी या हिंदुवी कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी की उपयोगिता से परिचित थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पत्रक (29.9.1830) में कहा था, 'प्रयुक्त भाषा को वादी, प्रतिवादी, वकील और सामान्यजन भी जानें।' ऐसी भाषा हिंदी थी। स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी थी। गाँधी जी ने एक अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन (1916) में कहा, 'मेरी हिंदी टूटी-फूटी है। अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है। वायसराय से भी हिंदी में ही बात करो।'

तोड़ती नहीं जोड़ती है हिन्दी

❑ **हृदयनारायण दीक्षित**

संस्कृति सदा से है। संस्कृति मनुष्य का सचेत सृजन कर्म है। सृजन कर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है भाषा। भाषा संवाद का माध्यम बनी और प्रीतिपूर्ण समाज का विकास हुआ। भारत बहुभाषिक राष्ट्र है लेकिन बहुभाषिकता, सांस्कृतिक एकता में बाधक नहीं रही। अमेरिकी विद्वान एमेन्यू ने 'भारत को एक भाषी क्षेत्र' स्वीकार किया है। सुब्रमण्यम भारती प्रख्यात तमिल कवि थे। उनकी जन्मशताब्दी (1982) पर भारती की चुनिंदा रचनाओं का हिंदी अनुवाद छपा था। एक कविता में भारत माता की उपासना है 'बोले 18 भाषाएँ वह/किंतु एक चिंतन एक ध्यान है।' भारती ने अंग्रेजी की आलोचना की थी। भारत एक सांस्कृतिक इकाई है। हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ या तमिल आदि भाषाएँ एक ही राष्ट्रभाव को प्रकट करने का माध्यम हैं। संविधान सभा में तमिलनाडु और कर्नाटक के भी सदस्य थे। अधिकाँश सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के समर्थक थे। बावजूद इसके तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ दल व संगठन केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का घटिया आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के 'कर्नाटक रक्षणा वेदिके', राज ठाकरे की मनसे, तमिलनाडु की डीएमके सहित ओडिशा व केरल के कुछ संगठनों ने बेंगलुरु में बैठक की और हिंदी प्रसार को क्षेत्रीय संस्कृतियाँ नष्ट करने का अभियान बताया है।

कर्नाटक विकास की दौड़ में प्रगति पर है ही, तमिलनाडु भी विकास कर रहा है। आइटी के क्षेत्र में बेंगलुरु का नाम चर्चित है। यह हिंदी भाषी नौजवानों से भरा पूरा है। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशनों पर हिंदी में लिखे नामपट्टों को हिन्दी थोपने की साजिश बताया जा रहा है। नीट, सीबीएसई और जीएसटी आदि के बहाने केंद्र पर राज्य के अधिकार कम करने के आरोप भी लगाए गए हैं। तमिलनाडु में डीएमके के कार्यवाहक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने इसे चोरी छिपे हिंदी थोपने की साजिश कहा है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिल भावनाओं का सम्मान नहीं करती। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने केंद्र को नए हिंदी विरोधी आंदोलन की चेतावनी दी है। संविधान में हिंदी संघ की राजभाषा है। इसलिए क्षेत्रीय राजनीति की माँगें निंदनीय हैं।

भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं। भारत के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, दुबई, सऊदी अरब, फिजी, म्यांमार, रूस, कतर, फ्राँस, जर्मनी और अमेरिका में भी लाखों हिंदी भाषी हैं। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में हिंदी

फिल्मों व टीवी धारावाहिकों का बड़ा दर्शक समुदाय है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी हिंदी का चलन है, लेकिन भाषाई राजनीति की माँगें संकीर्ण हैं। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रसार को राज्यों के अधिकार छीनने वाला कृत्य कहा है। आरोप है कि केंद्र एक देश, एक धर्म, एक भाषा और एक टेक्स व हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के विचार लागू कर रहा है। सच यह है कि तमिल या कन्नड़ से हिंदी का कोई बैर नहीं। भारतीय भाषाएँ अपनी ही हैं। तमिल या कर्नाटक में राजभाषा हिंदी भी चलेगी तो राष्ट्रीय एकता के बंधन और भी मजबूत होंगे। हिंदी सबको जोड़ने का रससूत्र क्यों नहीं बन सकती, लेकिन हिंदी भाषी भी पूर्ण सजग नहीं जान पड़ते। उत्तर भारत में हिंदी की ही तमाम बोलियों को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग उठती है। बिहार सरकार ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में लाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजना तय किया है। भोजपुरी हिंदी का ही प्रेमपूर्ण हिस्सा है। मधुरस भीगी भोजपुरी के बिना हिंदी रसहीन होगी। अवधी या बृज को महत्त्व देने वाले भी ऐसी ही माँग करें तो राजभाषा हिंदी का गौरव अक्षुण्ण कैसे रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हिंदी भाषियों को ही देना है।

संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया था। 15 वर्ष तक अंग्रेजी में ही राजकाज चलाने का प्रावधान भी किया। राजभाषा आयोग बनाने की भी व्यवस्था की गई। इस आयोग को भारतीय संघ के सरकारी कामकाज के लिए 'हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक आदि के लिए सिफारिश का दायित्व मिला। संविधान (अनुच्छेद 351) में हिंदी का विकास केंद्र का कर्तव्य बताया गया है कि 'वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में दर्ज अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात कर शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करे।' हिंदी की समृद्धि और पूरे देश में प्रसार केंद्र का संवैधानिक कर्तव्य है। क्या केंद्र कुछेक संगठनों या राजनीतिक दलों के दबाव में अपना संवैधानिक कर्तव्य छोड़ दे? राजभाषा विरोधी दल या संगठन आखिरकार संविधान का पालन क्यों नहीं करते?

संविधान सभा ने हिंदी को यों ही राजभाषा नहीं बनाया। एनजी आयंगर ने सभा (12.9.1949) में कहा, 'हम अंग्रेजी को एकदम नहीं छोड़ सकते। ..यद्यपि शासकीय प्रयोजनों के लिए हमने हिंदी को अभिज्ञात किया है।' पंडित नेहरू ने कहा, 'हमने अंग्रेजी इसलिए स्वीकार की कि वह विजेता की भाषा थी। ..अंग्रेजी कितनी ही अच्छी हो, किंतु हम इसे सहन नहीं कर सकते।' 1947 तक अंग्रेजी विजेता की भाषा थी। विजेता अंग्रेज पराजित हो गए। फिर हिंदी विजेता की भाषा क्यों नहीं बनी? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, 'हमने संविधान में एक भाषा रखी है। अंग्रेजी के स्थान पर एक भारतीय भाषा (हिंदी) को अपनाया है। हमारी परंपराएँ एक हैं। संस्कृति एक है।' भारतीय भाषाओं से हिंदी का कोई विरोध नहीं। सारी भाषाएँ और बोलियाँ भारत की बहुभाषिकता का शृंगार हैं। अंग्रेजी भाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़ या मलयालम के सामने कहीं नहीं टिकती। अपनी भाषाएँ भारतीय संवाद का माध्यम हैं। राजभाषा के प्रश्न को क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ना असंवैधानिक है और राष्ट्रीय एकता का विध्वंसक भी।

हिंदी का क्षेत्र अपने उपयोगिता मूल्य के कारण ही बढ़ा है। फारसी या अंग्रेजी की तरह उसे राज्याश्रय नहीं मिला। बादशाह फारसी चाहते थे, लेकिन अरबी-फारसी के अनेक विद्वानों ने भारत की भाषाई पहचान के लिए हिंदी शब्द का ही प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी या हिंदुवी कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदी की उपयोगिता से परिचित थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पत्रक (29.9.1830) में कहा था, 'प्रयुक्त भाषा को वादी, प्रतिवादी, वकील और सामान्यजन भी जानें।' ऐसी भाषा हिंदी थी। स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी थी। गाँधी जी ने एक अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन (1916) में कहा, 'मेरी हिंदी टूटी-फूटी है। अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है। वायसराय से भी हिंदी में ही बात करो।' 1937 में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार ने हिंदी पढ़ाने का आदेश दिया था। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर आंदोलन भी चला। मद्रास के गवर्नर अर्सकिन ने इस आदेश को वापस लिया था। 1965 तक चले हिंदी विरोधी आंदोलन में भी अंग्रेजी को महत्त्व दिया गया था। तब से देश ने तमाम प्रगति की है। हिंदी पूरे देश में फैल चुकी है। भाजपा या केंद्र को कोसने के और बहाने भी हो सकते हैं। कृपया संवैधानिक राजभाषा को संकीर्ण राजनीति का मुद्दा न बनाएँ। ❑

(अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा)

भारत में अंग्रेजी प्रसार की असलियत

❑ डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल

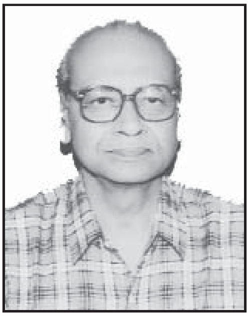

सच तो यह है कि हमारा हिंदी ज्ञान भी, अंग्रेजी पर अनावश्यक बल दिये जाने के कारण घटने लगा है। 2017 की उत्तर प्रदेश बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में पाँच लाख विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गये। आज की पीढ़ी बिना अंग्रेजी शब्दों के मिश्रण के हिंदी बोल ही नहीं सकती। कभी-कभी तो वाक्य में केवल क्रियाप्रद ही हिंदी में होते हैं। अक्टूबर 2016 में विश्व की जानी मानी भाषा विशेषज्ञ एला फ्रांसिस सैन्डर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिये गये एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गये प्रश्न कि ''क्या आपके विचार में (अंग्रेजी के प्रभाव से) हमारा अपना शब्दकोष सीमित होता जा रहा है और हम अपने (देसी) मुहावरों का प्रयोग करने में असमर्थ होते जा रहे हैं के उत्तर में कहा ''Sadly, I think this is true.''।

वर्ष 1967 में भारत के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं देश के अति प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी श्री त्रिगुण सेन ने की। सम्मेलन की बिना किसी अपवाद के सर्वमान्य सम्मति रही कि राजभाषा कहलाने का अधिकार एकमात्र हिंदी को है। सम्मेलन में यह भी निर्णय हुआ कि देश के उच्चतम शिक्षा संस्थानों में शिक्षण माध्यम केवल मात्र मातृभाषा हो। इसके साथ ही आशा बँधी कि हिंदी शीघ्र ही अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त कर लेगी यद्यपि यह आशा केवल मृगतृष्णा सिद्ध हुई और देश में अंग्रेजी का धुँआधार प्रसार हुआ। आज समाज में अंग्रेजी छाई हुई है और प्रगति के अनेकों शिखर विजय करने के उपरांत भी हिंदी कहीं भी नजर नहीं आती।

न केवल सरकारी कार्यालयों में मात्र औपचारिकता का निर्वाह हो रहा है बल्कि जनमानस में भी अंग्रेजी की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। बाजार में नब्बे प्रतिशत बोर्ड और सूचनापट्ट अंग्रेजी में दिख रहे हैं, शादी ब्याह और अन्य सामाजिक उत्सवों के लगभग सौ प्रतिशत निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में छप रहे हैं, चिट्ठी पत्रियों पर पते लिखने की सामान्य भाषा भी यही है और गली गली में कुकुरमुत्तों की भाँति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित हो चुके हैं; वस्तुत: हिंदी माध्यम विद्यालय तो प्रत्येक नगर में या तो सरकारी हैं या फिर वे जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। कतिपय राज्य सरकारें भी भाषा माध्यम के संबंध में पैर पीछे खींचती सी लग रही हैं। बिहार की स्थिति तो हिंदी ''इंडिया टुडे'' ने अपने 16.03.2016 के अंक में एक अत्यंत व्यंग्यात्मक लेख में स्पष्ट की है, जिसका शीर्षक ही था ''अब अंग्रेजी बोलल जाई''। अप्रैल 2017 में समाचार प्रकाशित हुआ कि सी.बी.एस.ई. अपने से सम्बद्ध विद्यालयों में 2018-19 के सत्र से 9वीं एवं 11वीं में अंग्रेजी संभाषण में योग्यता परखने के लिये व्यावहारिक परीक्षा करायेगी। उत्तराखंड सरकार ने इसी वर्ष से ही पहली कक्षा से ही अपने सभी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम लागू करने की घोषणा की है। कम से कम नगरों में बोलचाल की भाषा में अनजाने ही अंग्रेजी शब्दों की बड़े स्तर पर घुसपैठ हो चुकी है और हिंदी मीडिया की भाषा भी काफी सीमा तक वस्तुत: ''हिंग्लिश'' ही है। कुछ हिंदी समाचार-पत्र तो बाकायदा 'इंग्लिश लर्निंग' का नियमित रूप से कॉलम चला रहे हैं। कुल मिलाकर सामान्य परिदृश्य हिंदी की दृष्टि से निराशाजनक ही कहा जायेगा और इसीलिये अभी केन्द्र की भाजपा सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किये हैं। जैसे सी.बी.एस.ई. के सभी विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिंदी का पठन-पाठन अनिवार्य होगा तथा सांविधिनिक पदों पर बैठे हिंदी जानने वाले व्यक्ति केवल हिंदी में बोलेंगे।

अंग्रेजी के इस अभूतपूर्व प्रसार के पीछे की असलियत कुछ और ही है और उसे भी जान लेना आवश्यक है। सच यह है कि विद्यार्थियों का अंग्रेजी ज्ञान बराबर घटता जा रहा है। वर्ल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडेक्स की नवीनतम रपट के अनुसार इंडेक्स में भारत का स्थान निरन्तर गिरता जा रहा है जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी वर्ष प्रकाशित एक अन्य रपट – ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति (11वीं रपट) के अनुसार ऊपरी कक्षाओं में अंग्रेजी फिसल रही है। रपट के अनुसार वर्ष 2009 की अपेक्षा 2016 में अंग्रेजी के सरल वाक्यों को बोल और समझ लेने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में पन्द्रह प्रतिशत की गिरावट पाई गई (शैक्षिक मंथन, फरवरी 2017)। 27.09.2016 के 'अमर उजाला' की एक रपट के अनुसार 2016 में IIT संस्थानों में प्रवेश पाये एक हजार प्रतियोगियों में तीस प्रतिशत भाषागत समस्या (इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विकल्पों वाले थे यद्यपि अंग्रेजी के बहुत अधिक थे) से परेशान थे। उनके लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ी और फिर भी साठ का प्रवेश निरस्त कर देना पड़ा। अनेक सर्वेक्षणों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों तक में विद्यार्थियों का अंग्रेजी ज्ञान सतही रह जाता है जिसके कारण नौकरियाँ प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई होती है। मई 2012 के न्यूयार्क टाइम्स के वेब पोर्टल के ब्लॉग India Ink में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारतीय हिस्सेदार श्री मोहित चंद्रा ने लिखा कि अधिकाँश भारतीय युवक अपने को अंग्रेजी में प्रभावशाली ढँग से व्यक्त नहीं कर पाते; उनके Resume हास्यापद से होते हैं।

दृष्टव्य है कि ASER (Annual Status of Education Report) की नवीनतम रपट के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान एवं गणित विषयों को विद्यालयों में विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह समझ पाये जबकि अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों में इन विषयों में अनेकों सिद्धांतगत भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। इसी प्रकार National Multilingual Educational Resource Consortium के मुख्य सलाहकार श्री अजीत मोहन्ती भी कुछ समय पूर्व इसी निष्कर्ष पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि ''अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की मौजूदा लालसा कोरी नासमझी है। कायदे से हमें उन्हें इतनी जल्दी अंग्रेजी सिखाने की होड़ में शामिल नहीं होना चाहिये। उन्हें अच्छी देखभाल, संस्कार और मातृभाषा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें तो बेहतर होगा।'' इस संबंध में महान भारतीय वैज्ञानिक, भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर, बोस-आइंस्टाइन सिद्धाँत के जनक डॉ. सत्येन्द्र नाथ बोस, जिनके नाम पर ही परमाणु के एक मूल कण का नाम 'बोसान' रख दिया गया है, का निम्न कथन भी दृष्टव्य है- ''मेरा मानना है कि बच्चों को विदेशी भाषा में विज्ञान की शिक्षा देना अप्राकृतिक और अनैतिक है। इस प्रकार वे तथ्यों का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं परंतु विज्ञान की आत्मा से अपरिचित ही रहेंगे।'' स्मरणीय है कि डॉ. बोस की समस्त प्रारंभिक शिक्षा बंगला माध्यम से हुई थी और कोलकाता विश्वविद्यालय में वे अपने भौतिकी के छात्रों के लिये मूलतः इसी भाषा का प्रयोग करते थे। हाल ही में टाटा समूह के नये अध्यक्ष बने श्री नटराजन चंद्रशेखरन ने भी स्कूली शिक्षा मातृभाषा तमिल माध्यम से ही ग्रहण की थी।

अंग्रेजी पर इस प्रकार अनावश्यक जोर एक गंभीर सामाजिक समस्या भी उत्पन्न कर रहा है। स्वतंत्र गणतंत्र देश में अनपेक्षित रूप में दो नये प्रकार के वर्ग उभरते जा रहे हैं – अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखने वालों का तथा उसके ज्ञान से वंचित अति सामान्य जनता का। स्पष्टतः दूसरे के प्रति प्रथम वर्ग का दृष्टिकोण औपनिवेशिक मानसिकता वाला ही रहता है। अवश्य ही यह स्थिति एक प्रजातांत्रिक देश के लिये स्वास्थ्यप्रद नहीं है।

सच तो यह है कि हमारा हिंदी ज्ञान भी, अंग्रेजी पर अनावश्यक बल दिये जाने के कारण घटने लगा है। 2017 की उत्तर प्रदेश बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में पाँच लाख विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गये। आज की पीढ़ी बिना अंग्रेजी शब्दों के मिश्रण के हिंदी बोल ही नहीं सकती। कभी-कभी तो वाक्य में केवल क्रियाप्रद ही हिंदी में होते हैं। अक्टूबर 2016 में विश्व की जानी मानी भाषा विशेषज्ञ एला फ्रांसिस सैन्डर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिये गये एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गये प्रश्न कि ''क्या आपके विचार में (अंग्रेजी के प्रभाव से) हमारा अपना शब्दकोष सीमित होता जा रहा है और हम अपने (देसी) मुहावरों का प्रयोग करने में असमर्थ होते जा रहे हैं के उत्तर में कहा '' Sadly, I think this is true.''।

फिर भी हम अंग्रेजी के आकर्षण से अनावश्यक रूप से बँधे रहना चाहते हैं। आज से तीन-चार वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष (ध्यान दें) डॉ. सुमन्यु सत्पथी ने ''द हिन्दू'' (देखें 13.10.2012 का अंक) में एक पत्र में लिखा था कि अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह ''पैथेटिक'' (अँधा मोह) है। स्वागत योग्य यद्यपि आश्चर्य की बात है कि दक्षिण भारत में हिंदी सीखने की ललक भी किंचित बढ़ रही है जिसका निश्चित संबंध बढ़ते हुये राष्ट्रव्यापी व्यापार से है। वर्ष 2012 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की 'हिंदी प्रवीण' परीक्षा में बैठने वालों की संख्या साढ़े तीन लाख थी जबकि 2016 में यह बढ़कर छः लाख तक पहुँच गई। अब शेष भारत को भी अंग्रेजी के अंधमोह के मकड़जाल से मुक्त होना ही होगा तभी यहाँ मौलिक प्रतिभा का कमल पूर्ण रूप से खिल सकेगा तथा यह देश स्वाभिमान के साथ मस्तक ऊँचा कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। परंतु यह होगा तभी जब हिंदी वाले हिंदी का मान करना प्रारंभ कर देंगे। ❑

(पूर्व सदस्य केन्द्रीय हिन्दी समिति, भारत सरकार)

हिन्दी को जन-जन की भाषा बनायें

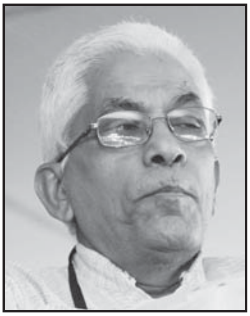

राष्ट्रीय एकता किन्हीं निश्चित् अल्पकालीन योजनाओं का परिणाम नहीं होती है। यह तो संस्कृति एवं भाषाओं में बहुलता के बावजूद समूचे भू-भाग की एक समान भावनाओं, परम्पराओं और अन्तर्मन में छिपी भावना है, जिसने इतनी लम्बी दासता के बावजूद भारत का अस्तित्व बनाये रखा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुये ही सर्वप्रथम शिक्षा को मातृभाषा में ही देने के प्रति प्रत्येक नागरिक को नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होना होगा। अंग्रेजी का मोह छोड़ व हिन्दी विरोध को त्यागने की प्रवृत्ति ही मातृभाषा व इससे संबंधित संस्कृति का पोषण कर सकती है। जन जन की भाषा बनने के लिये भाषा को जन-संवाद का माध्यम बनाना होगा।

❑ **संतोष पाण्डेय**

विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह लगभग एक सौ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, विश्व के कुछ देशों को छोड़कर सभी देशों में न्यूनाधिक संख्या में बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के बावजूद राजकाज की भाषा नहीं बन सकी है। कोई भी भाषा तीन रूपों में प्रचलित होती है। जो कि राज की भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा व जन-जन के संवाद माध्यम की भाषा के रूप में होती है। भारत के संविधान निर्माताओं से राज्य के कार्यों संचालन के लिये सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयुक्त होने के कारण हिन्दी को राजभाषा देने का मंतव्य व्यक्त करते हुये आगामी कुछ वर्षों तक अंग्रेजी को राज की भाषा के रूप में चलने देने की बात रखते हुये हिन्दी भाषा के देशभर में प्रचार व प्रसार के लिये राज्य अर्थात् देश की सरकारों को निर्देशित किया। दक्षिण के राज्यों में इसे उत्तर भारत द्वारा दक्षिण भारत पर प्रधानता (Dominice) के रूप में प्रचारित करने तथा तमिल कन्नड़, तेलगू व मल्यालम भाषाओं अत्यधिक साहित्यिक, सांस्कृतिक परम्पराओं पर आघात के रूप में देखने के कारण अंग्रेजी भाषा को आज तक राजकीय भाषा के रूप में चलाया जा रहा है। हिन्दी भाषा के किसी भी प्रकार से प्रसार के प्रयासों को राजनीतिक रूप से विरोध कर संरक्षण दिया जाता है। हाल ही प्रयास किया गया कि सभी मंत्री व अधिकारीगण जो हिन्दी भाषी हैं और जो हिन्दी लिख व पढ़ सकते हैं, वे अपना समस्त राज-काज व पत्र व्यवहार हिन्दी में ही करें। अविलम्ब ही दक्षिण के राज्यों से उग्र विरोध प्रारम्भ हो गया। दक्षिणी राज्यों में रेल स्टेशनों के नाम अंग्रेजी उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा के साथ-साथ हिन्दी में भी लिखे जाने के प्रति भारी विरोध विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रारम्भ हो गया तथा साइन बोर्डों व विभिन्न स्थानों पर हिन्दी में लिखे नामों को मिटाने का राजनीतिक अभियान छेड़ दिया गया। यह स्मरण दिलाना उपयुक्त होगा कि दक्षिणी राज्य उत्तर भारत की राजनीतिक दलों को हिन्दी समर्थक और इसके माध्यम से दक्षिण पर शासन करने के रूप में देखते हैं। राजनीति में हिन्दी के दुर्भावना का एक छोटा सा हाल ही छोटा उदाहरण काफी है। केन्द्र सरकार के एक मंत्री ने उड़ीसा के एक सांसद को हिन्दी में पत्र लिखा, परन्तु सांसद महोदय ने वह पत्र ज्यों का त्यों लौटा दिया और कहा कि वे हिन्दी से पूर्णत: अनभिज्ञ हैं। उन्होंने यह नहीं लिखा कि हिन्दी के साथ साथ ही उड़िया व अंग्रेजी में रूपान्तरण भी भेजा जाय। यह लिखते तो शायद यह उनकी भारतीय भाषाओं के प्रति अधिक संवेदना प्रकट होती। ये सभी घटना ने हिन्दी के आगे बढ़ने को इतना बाधित ही करता है। जितना भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना को आहत करता है तथा भारत बहुभाषी सांस्कृतिक एकता को हानि पहुँचा कर उन्हीं प्रवृत्तियों को पुष्ट करता है, जिन्होंने देश को हजारों साल की गुलामी में परिणित कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण ही अंग्रेजी भाषा कमजोर होने के स्थान पर पुष्ट हो रही है। अंग्रेजी विजेताओं की भाषा मानी जाती है। आज अंग्रेजी को सबसे बड़ा समर्थन ऐसे आर्थिक व सामाजिक रूप से साधन सम्पन्न वर्ग से मिल रहा है जो मातृभाषा (चाहे वह किसी प्रांत की भाषा क्यों न हो) में अद्यतन ज्ञान की अनुपलब्धता को कारण बना कर अंग्रेजी को अपना रहा है। वास्तव में उनकी साधनसम्पन्नता उन्हें समाज बहुसंख्यक वर्ग से पृथक कर एक शासक भावी नेता के रूप में दिखलाने का प्रयास भर है। अंग्रेजी भाषा का यही रूप उसे 'स्टेटस सिंबल' व विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। आज सम्पूर्ण विश्व में जिनमें अमरीका जैसा उदार देश सम्मिलित है राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय हितों को प्रधानता दी जा रही है। ऐसे देश में एक देश, एक राष्ट्र चिन्ह, एक भाषा, एक कर व एक समानता के कानून जैसी चीजों को अपनाने का समय है।

इसे संभव बनाने के लिये देश को सब्र व सहनशीलता से काम लेना होगा। दबाव व आन्दोलन इस इष्ट प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता किन्हीं निश्चित् अल्पकालीन योजनाओं का परिणाम नहीं होती है। यह तो संस्कृति एवं भाषाओं में बहुलता के बावजूद समूचे भू-भाग की एक समान भावनाओं, परम्पराओं और अन्तर्मन में छिपी भावना है, जिसने इतनी लम्बी दासता के बावजूद भारत का अस्तित्व बनाये रखा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुये ही सर्वप्रथम शिक्षा को मातृभाषा में ही देने के प्रति प्रत्येक नागरिक को नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होना होगा। अंग्रेजी का मोह छोड़ व हिन्दी विरोध को त्यागने की प्रवृत्ति ही मातृभाषा व इससे संबंधित

संस्कृति का पोषण कर सकती है। जन जन की भाषा बनने के लिये भाषा को जन-संवाद का माध्यम बनाना होगा। नि:संदेह हिन्दी समस्त विरोधों और प्रतिरोधों के बावजूद फिल्मों, फिल्म संगीत, टेलीविजन, समाचार पत्रों व वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ-साथ तेजी से जन संवाद का माध्यम बनने की ओर अग्रसर है। विश्व व भारत में जहाँ-जहाँ ये जायेगी वहाँ-वहाँ हिन्दी भाषा स्वाभाविक रूप से जायेगी। ऐसी गतिविधियों को अधिकाधिक प्रेरित कर पुष्ट किया जा सकता है। बहुदा यह आरोप भी लगाया जाता है कि भाषा के विस्तार में स्वयं हिन्दी भाषी ही जिम्मेदार हैं। हिन्दी भाषियों व भाषाविज्ञों का एक वर्ग मानता है कि हिन्दी का विकास संस्कृत आधारित तत्सम शब्दों के प्रयोग उपयोग से ही हो। जबकि हिन्दी बहुलवादी पक्ष हिन्दी भाषा की अति उदार बनाने के पक्ष में हैं और वह इसे व्याकरण के कठोर अनुशासन से मुक्तकर जन-जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा का पक्षधर है। भाषा की पाचन शक्ति बहुत ही मजबूत होनी चाहिये। यह सही भी है कि भाषा तभी समृद्ध होती है, जब प्रचलित व सर्वस्वीकार्य शब्दों को स्वीकार कर लिया जाता है। परन्तु यह उदारता इतनी भी नहीं होनी चाहिये कि पवित्र गंगा अपना अमृतमयी स्वरूप ही खो दे। 14 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अनेक स्थानीय भाषायें भी संवैधानिक मान्यता हेतु आग्रह कर रही है। परन्तु क्या भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी या ब्रज भाषा जो आंचलिक भाषायें हिन्दी भाषा से भिन्न हैं। प्रयास आवश्यक हैं कि इन्हें भी हिन्दी भाषा के रूप को स्वीकार कराने के प्रयास होने चाहिये। हिन्दी जन-जन की भाषा तो विभिन्न माध्यमों से बन ही रही है। जिस प्रकार शनै: शनै: अरबी व फारसी भाषाओं से निकली उर्दू स्वमेव ही जन-जन की भाषा से च्युत होने पर पर्दे के पीछे चली गई। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भी राजकी भाषा नहीं रहेगी। तब हिन्दी राजभाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा और जनसंवाद की भाषा बन सकेगी ही। आवश्यकता है उदारता, समझाइस व स्वाभाविक प्रगति की।❑

(प्रख्यात शिक्षाविद्)

रुक्टा (राष्ट्रीय) की प्रदेश बैठक सम्पन्न

रुक्टा (राष्ट्रीय) की विस्तृत कार्यकारिणी बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में 20 अगस्त 2017 को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के देराश्री शिक्षक सदन के सभागार में सम्पन्न हुई। सामूहिक सरस्वती वंदना से प्रारम्भ हुई बैठक में सर्वप्रथम महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता द्वारा पिछली बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद विभागश: वृत्त निवेदन किए गए। बैठक में प्राप्त संख्या के अनुसार 'एक शिक्षक-एक वृक्ष' अभियान के अर्न्तगत शिक्षकों द्वारा अभी तक कुल 4566 पौधे रोपे गए हैं एवं उनकी सार संभाल का जिम्मा लिया गया है। संगठन की इस वर्ष की कुल वार्षिक सदस्यता 6137 रही जो पिछले वर्ष से 464 अधिक है। गुरु वंदन कार्यक्रम कुल 123 स्थानों पर सम्पन्न हुए। वृत्त निवेदन में शैक्षिक मंथन सदस्यता की प्रगति जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई, 30 सितम्बर तक शैक्षिक मंथन का सदस्यता अभियान पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अगले चरण में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल ने महासंघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए 29-30 जुलाई को दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में विस्तार से बताया। प्रो. सिंघल ने विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी से हुई भेंट की भी विस्तृत जानकारी दी तथा कतिपय तकनीकी बाधाएँ दूर होकर नए यू.जी.सी. वेतनमानों के शीघ्र जारी होने की आशा व्यक्त की।

इसके बाद सदस्यों द्वारा विभिन्न शिक्षक समस्याओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। महामंत्री ने समस्याओं पर संगठन के प्रयासों की जानकारी देते हुए नवीन समस्याओं पर शिक्षकों का पक्ष सरकार के समक्ष रखने का विश्वास दिलाया। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने संगठन के विस्तारक अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने दायित्व के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर विस्तारक निकलने का आह्वान किया। बैठक में उसी समय 22 कार्यकर्ताओं ने विस्तारक निकलने की सहमति प्रदान की। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। इनमें सितम्बर-अक्टूबर में अभिभावक संवाद : 'चीन एक राष्ट्रीय संकट' विषय पर इकाईश: कार्यक्रम करना तय किया गया। अक्टूबर में ही प्रदेश स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया। विस्तारक अभियान नवम्बर में लेना तय किया गया। जून 2017 में सम्पन्न हुए प्रदेश विचार वर्ग के अनुवर्तन में विभिन्न स्टडी ग्रुप बनाने की भी योजना की गई। दिसम्बर 2017-जनवरी 2018 में आयोज्य प्रदेश अधिवेशन हेतु इकाइयों से प्रस्ताव मांगने का निर्णय भी कार्यकारिणी ने किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन की सदस्यता बढ़ने के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अत: कार्यकर्ताओं को अधिक जागरुकता एवं सम्पर्क भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन के कार्यों की चर्चा नीचे तक ले जाने हेतु कार्यकर्ताओं को सेतु बनने का आग्रह किया। अंत में गत बैठक के पश्चात् परम तत्व में लीन शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संस्कृत आंग्ल माध्यम में नहीं सिखा पाएँगे। अतः अनिवार्य रूप से संस्कृत माध्यम में पढ़ाना पड़ेगा। क्या भारत के शिक्षक इसके लिए तैयार है? यह मेरी कल्पना का विलास भर नहीं है। एक वर्ष पूर्व संस्कृतभारती के पास एक स्पेनिश भाषी Architect महिला आयी। उसे भारतीय Architecture पढ़ना था। उसको यह समझ में आ गया की भारतीय Architecture पढ़ने के लिए संस्कृत आना अनिवार्य है। वह संस्कृत भारती के बेंगलूरू कार्यालय में रुककर संस्कृत सीखी। तत्पश्चात भारतीय Architecture पर उसने अपना प्रबन्ध लिखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय अपनी विद्या सीखने के लिए तत्पर नहीं है। नहीं तो जैसे आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में संस्कृत सीखना अनिवार्य है वैसा सभी व्यावसायिक महाविद्यालयों मे होता।

क्या संस्कृत पढ़ने से अर्थार्जन नहीं हो सकता?

❑ **श्रीश देवपुजारी**

समाज में एक भ्रम फैलाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से छात्र अर्थार्जन नहीं कर सकता। उसे केवल शिक्षक बनना पड़ता है या पुरोहित। मेरा इस प्रकार की धारणा रखने वालों से प्रश्न है कि जो संस्कृतेतर छात्र B.A., B.Com, B.Sc. होते हैं उनके लिए कौनसी नौकरी बाट जोह रही है ?

हमारे देश में स्नातक उपाधि को आधारभूत उपाधि माना जाता है। उसकी प्राप्ति के पश्चात् आप प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी पा सकते हैं। जो संस्कृत विषय लेकर स्नातक बनते हैं उनके लिए किस प्रतियोगी परीक्षा का द्वार बंद है ? उत्तर आयेगा किसी का नहीं। स्नातक बनने के पश्चात् अधिकतर छात्र प्रबन्धन शास्त्र (M.B.A.) पढ़ते हैं। क्या संस्कृत से स्नातक प्रबन्धन शास्त्र नही पढ सकते ? संस्कृत के छात्र UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। चोटीपुरा गुरुकुल की कन्या UPSC परीक्षा में तृतीय स्थान पर आयी। लखनऊ के संस्कृत परिवार का युवक IAS इसी वर्ष हुआ। बहुत से छात्र PSC परीक्षा के लिए संस्कृत विषय लेते हैं यह मेरा अनुभव है। IIT या अन्य अभियन्त्रण शास्त्र पढ़े छात्र भी पाठ्यक्रम के विषयों को छोड़ कर I.A.S. बनने के लिए संस्कृत विषय चुनते हैं और संभाषण सीखने के लिए संस्कृत भारती के पास आते हैं। आश्चर्य तब हुआ जब एक मुसलमान B.Tech. की हुई छात्रा संस्कृत सीखने संस्कृतभारती की ओर से संचालित संवादशाला में पहुँची। वहाँ 14 दिन का आवासीय शिविर होता है। वह PSC की परीक्षा देने वाली थी।

विश्वभर में योग का प्रचलन बढ़ रहा है यह सर्वविदित है। किन्तु अधिकतम लोगों को केवल आसन और प्राणायाम का कुछ हिस्सा ज्ञात है। अष्टांग योग की ओर अब कुछ लोग (विशेषकर विदेशी) उन्मुख होने लगे हैं। उन्हें पढ़ायेगा कौन ? जो योग दर्शन का ज्ञाता है वही न? क्या विश्व की जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे पास योगदर्शन के पर्याप्त शिक्षक हैं? इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय द्वारा पहला प्रयास किया गया। योग दिन के निमित्त भारत से कुछ योग दर्शन जानने वाले विद्वानों को विदेशों में भेजा गया। यह माँग बढ़ने वाली है। विश्व के कुछ ही देश आंग्ल भाषा समझते हैं। शेष सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ते हैं, जैसे- जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानी, चीनी, हीब्रू इत्यादि। इसलिए इन देशों मे योगदर्शन पढ़ाना है तो पहले संस्कृत पढ़ानी होगी, कारण आन्गल भाषा से काम नही चलेगा। विश्व की सभी भाषाएँ दार्शनिक पढ़े यह तो संभव नहीं है। वैसे भी योगशास्त्र, भाष्य ग्रन्थ, टीका ग्रन्थ इत्यादि पढ़ने के लिए संस्कृत आना अनिवार्य है।

यही हाल आयुर्वेद का है। विदेशों मे आयुर्वेद के औषधियों की माँग लगातार बढ़ रही है। कुछ समय पश्चात् आयुर्वेद पढ़ने के लिए विदेशी छात्र प्रवृत्त होंगे। तब आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक हो जाएगा। जो भारतीय शास्त्र है उनको पढ़ने के लिए संस्कृत अनिवार्य है। जैसी विदेशियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति है वह अवश्य संस्कृत पढेंगे। तब पढ़ाने वाले शिक्षकों की वैश्विक माँग होगी। जैसा की मैंने पूर्व में लिखा है : संस्कृत आंग्ल माध्यम में नहीं सिखा पाएँगे। अतः अनिवार्य रूप से संस्कृत माध्यम में पढ़ाना पड़ेगा। क्या भारत के शिक्षक इसके लिए तैयार है? यह मेरी कल्पना का विलास भर नहीं है। एक वर्ष पूर्व संस्कृतभारती के पास एक स्पेनिश भाषी Architect महिला आयी। उसे भारतीय Architecture पढ़ना था। उसको यह समझ में आ गया की भारतीय Architecture पढ़ने के लिए संस्कृत आना अनिवार्य है। वह संस्कृत भारती के बेंगलुरु कार्यालय में रुककर संस्कृत सीखी।

तत्पश्चात भारतीय Architecture पर उसने अपना प्रबन्ध लिखा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय अपनी विद्या सीखने के लिए तत्पर नहीं है। नहीं तो जैसे आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में संस्कृत सीखना अनिवार्य है वैसा सभी व्यावसायिक महाविद्यालयों मे होता। वर्तमान केंद्र सरकार ने योजनापूर्वक व्यावसायिक महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत लाने का प्रयास प्रारम्भ किया है। लगभग दो सौ महाविद्यालायों में जहाँ संस्कृत विषय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है वहाँ केंद्र सरकार ने अपनी ओर से वेतन की व्यवस्था कर प्राध्यापक को भेजा है। इच्छुक छात्र एवं प्राध्यापक संस्कृत की कक्षाओं मे बैठते हैं।

जहाँ तक विद्यालयीन शिक्षा का संबन्ध है सर्वाधिक शिक्षक आङ्गल भाषा के हैं। तत्पश्चात् संस्कृत का ही क्रम आता है। उच्च शिक्षा में तो संस्कृत प्राध्यापकों की संख्या सर्वाधिक है। कारण सामान्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों मे संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। इस कारण प्राध्यापक भी नियुक्त होते हैं। इसके अलावा 15 की संख्या में संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। इतनी संख्या में तो किसी विषय के विश्वविद्यालय नहीं है। प्रत्येक संस्कृत विश्वविद्यालय में कम से कम साहित्य, व्याकरण, दर्शन, वेद, ज्योतिष एवं शिक्षाशास्त्र ये विभाग तो होते ही है। अत: प्रत्येक विभाग मे आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य ये तो पद सृजित किये ही जाते हैं। इस कारण महाविद्यालयीन प्राध्यापकों की संख्या बढ़ जाती है।

जहाँ तक पुरोहितों का प्रश्न है वे तो 8 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रविष्ट होते हैं। वहाँ 6 से 12 वर्ष तक वेदाध्ययन कर गुरुकुल के विद्यार्थी पौरोहित्य करने लगते हैं। समाज में पुरोहितों की आवश्यकता अधिक होने के कारण वैदिकों को 14 वे वर्ष में ही धन दक्षिणा के रूप मे प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार का कौनसा पाठ्यक्रम भारत में है जो वय के 14 वे वर्ष से ही धन देने लगे ? और तो और क्या यजमान और क्या उसकी पत्नी उसके घर के सभी व्यक्ति पुरोहित के चरण स्पर्श करते हैं। ज्योतिषी भी बिना किसी पूँजी के व्यवसाय आरम्भ करता है और पर्याप्त धन कमाता है। अत: संस्कृत या वेद का विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा कम बेरोजगार है।

सामान्यत: भारतीय भाषा के पत्रकार लिखते या बोलते समय अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। अत: यदि संस्कृत भाषा आत्मसात किया हुआ स्तंभ लेखक या संवाददाता बन जाता है तो वार्ता लेखन या कथन में शुद्धता आयेगी। तभी समाज भी शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखेगा। अत: निवेदन है की संस्कृत के अध्ययन से अर्थार्जन कैसे होगा यह चिन्ता त्यागें और अधिक मात्रा में संस्कृत सीखें। ❑

(राष्ट्रीय महामंत्री, संस्कृत भारती)

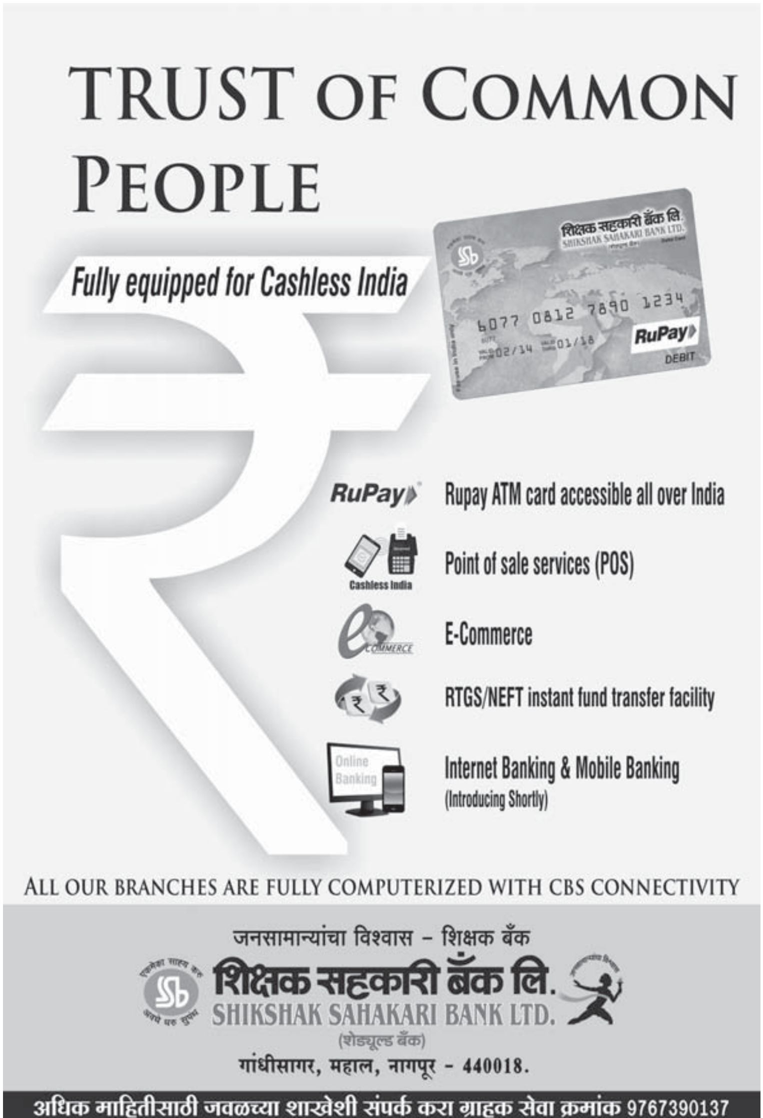

गतिविधि

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ की प्रांतीय परिषद भोपाल में सम्पन्न

म.प्र. शिक्षक संघ की प्रांतीय परिषद की बैठक योग प्रशिक्षण केंद्र 'शिवाजी नगर, भोपाल में 27 अगस्त 2017 को दो सत्रों में सम्पन्न हुई। प्रथम सत्र में संगठन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए महाकोशल के संगठन मंत्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ने कहा कि हम राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित व अंत में शिक्षक हित की बात करने वाले हैं। हम केवल वेतन भत्तों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय विचार के लिए काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं।

प्रांताध्यक्ष लछीराम इंगले ने कहा कि किसी भी संगठन का आधार उसकी सदस्यता होती है। सदस्यता के लिए कार्यकर्ताओं से जीवन्त एवं सतत सम्पर्क होना आवश्यक है। सदस्यता के लिए 10 सितम्बर तक जिले की बैठक कर रसीदों का वितरण करे। सदस्यता पखवाड़ा मनाकर एक साथ पूरे प्रदेश में एक अभियान के तौर पर सदस्यता करना है। यही सदस्य आपके ब्लॉक व नगर इकाइयों के 19 एवं 26 नवम्बर के निर्वाचन में मतदाता होंगे। 10 दिसम्बर तहसील इकाइयों का निर्वाचन होगा। जिला इकाइयों का निर्वाचन 7 व 21 जनवरी को होगा। सदस्यता अभियान में हर शिक्षक तक पहुँचना है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मध्य क्षेत्र प्रमुख किशनलाल नाकडा ने गुरु वन्दन, शाश्वत जीवन मूल्य, कर्तव्य बोध कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश कोषाध्यक्ष गौतम मणी अग्निहोत्री ने आर्थिक पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

दूसरे सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हिम्मत सिंह जैन ने शिक्षक को वैचारिक रूप से सक्षम बनने के लिए संघ की पत्रिका शैक्षिक मन्थन की सदस्यता लेने तथा उसका स्वाध्याय का आग्रह किया। केंद्र सरकार द्वारा 5 वी, 8 वी की बोर्ड परीक्षा पुन: शुरू करने के फैसले की जानकारी दी। छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, सातवें वेतनमान 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने, शिक्षकों की देश भर में नियमित नियुक्ति करने सहित 18 माँगों का ज्ञापन मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम 18 सितम्बर को जिला स्तर पर देश भर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया। शाश्वत जीवन मूल्य विषय पर इंदौर, मैहर, ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित करने का तय किया गया। महिला सम्मेलन के आयोजन का उज्जैन, जबलपुर, राजगढ़ में तय किया।

महामन्त्री क्षत्रवीर सिंह ने शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण में पदाधिकारियों द्वारा बार बार विभागों के मंत्रियों व सचिवों से हुई मुलाकात से अवगत कराते हुए बताया कि समयमान वेतनमान अगली केबिनेट बैठक में मंजूर होकर आदेश होने की पूरी सम्भावना है। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कहा कि पदोन्नति के लिए पद स्वीकृत करना पड़ेगा। जिसकी वित्त विभाग को आपत्ति है, तब प्रांताध्यक्ष लछीराम इंगले ने इनकी अपग्रेडेशन की माँग का ज्ञापन दिया जिसकी कार्यवाही चल रही है सम्भव है कि अब वित्त विभाग को भी कोई आपत्ति नही होगी इसलिए यह समस्या भी निराकरण के समीप है। अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में संविलियन के प्रयास में सभी स्तर पर मुख्यमंत्री को निर्णय करने की आवश्यकता बताई गई। संगठन पूरे जोर से एक बार मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय के लिए मिलेगा ।

स्वदेशी अभियान अंतर्गत जागरण के कार्य में संघ को अपने स्तर पर प्रयास करने की अपील मालवा प्रांत सह संगठन मंत्री हीरालाल तिरोले ने की ।

मुख्य अतिथि विलास गोले (क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख, मध्य क्षेत्र) ने विद्यालय के शिक्षकों से पुस्तकालय में भारतीय संस्कृति, जीवनमूल्य, संस्कार की शिक्षा देने वाली पुस्तकों की उपलब्धता देखें। बच्चों को अपने भाव को लिखने की कला सिखाना चाहिए। उन्हें भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएँ। डॉक्टर-इंजीनियर बनाने के चक्कर में उन्हें सतत ट्यूशन में ठूँस कर रखना ठीक नहीं है ।

प्रांतीय उपाध्यक्ष सनतकुमार पाण्डे ने आभार तथा अतिथि परिचय अखिलेश मेहता ने व्यक्त किया। इस अवसर पर चन्द्रपाल सिंह, सोहनलाल परमार, मनोज अरपूरे, शीतलचन्द चौहान, ओम पाटोदिया, ममता राठौर, कुसुम शर्मा, रामबरन सिंह, राजेन्द्र राजपूत, पंचम कौरव, कमल किशोर गौर, गोविन्द गुप्ता, रमेशचन्द्र पाटीदार, महेश सैते सहित प्रदेश के 43 जिलों के 250 सम्भागीय अध्यक्ष, सचिव जिलाध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे।

केरल प्रदेश का शासन सी.पी.एम की उन्नती के लिए - गोपालन कुट्टी मास्टर

देशीय अध्यापक परिषद्, केरल द्वारा तिरुवनंदपुरम में सचिवालय के सामने दिए गये धरने का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह पी. गोपालन कुट्टी मास्टर ने कहा कि केरल सरकार अपने विरोधियों को उन्मूलन कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही नीति चल रही है। पिछली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में धर्म को प्रधानता दी थी लेकिन कम्यूनिस्ट सरकार अपने दल की उन्नती को प्रधानता देती है। शिक्षा को राजनीति के हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए। आजकल की शिक्षा नीति में राष्ट्रबोध नहीं। सरकार विद्यालयों को मंदिरों के समान देखने के बजाय बीफ फेस्ट जैसे कार्यक्रमों को चलाने का मौका देती है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते मैगजीन को छपने की अनुमति सरकार देती है। गोपालन कुट्टी मास्टर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा।

NTU के प्रदेशाध्यक्ष के. एन. विनोद ने अध्यक्ष पद अलंकृत किया। राज्य महासचिव पी.एस. गोप कुमार, एन.जी.ओ. संघ राज्याध्यक्ष पी सुमिल कुमार, पेंशनर संघ के प्रदेशाध्यक्ष पी. प्रभाकरन नायर, सचिवाल कर्मचारी संघ महासचिव टी. अजय कुमार, संगठनमंत्री ए. बालकृष्णन, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक बादुर, एम. शिवदास, कोषाध्यक्ष सी.वी. राजीवन, प्रदेश सचिव आर.जिगी, पी. चंद्र हास, के.एस.जयचंद्रन, के. रेवती, मेखला सचिव टी. अनूप कुमार, श्री रंगम शंभु आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

विभिन्न माँगों को लेकर देशीय अध्यापक परिषद्, केरल के द्वारा सचिवालय के समक्ष धरना सम्पन्न हुआ।

'उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसे' विषय पर राँची में संवाद

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उच्च शिक्षा संवर्ग की झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा डोरंडा महाविद्यालय के सभागार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसे? विषय पर संवाद कार्यक्रम का 13 अगस्त 2017 राँची में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राँची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय ने किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि सभी को देश के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं ऐतिहासिक विरासतों के प्रति सम्मान होनी चाहिए। शिक्षा के गुणवत्ता के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है एवं छात्रों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर करने की अपील की।

मुख्य अतिथि डॉ. रमेश शरण ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व के अच्छे विश्वविद्यालयों में हम काफी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ज्ञान, सृजन एवं चरित्र निर्माण करना ये तीन चीजें महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने शोध कार्य पर जोर देते हुए कहा कि नोबेल पुरस्कार शोध से ही प्राप्त होता है। डॉ. रमेश शरण ने उच्च शिक्षा में ब्यूरोक्रेसी का हस्तक्षेप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। उन्होंने सी.बी.सी.एस. पर भी सवाल ऊठाते हुए कहा कि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से उच्च शिक्षा का भला नहीं हो सकता है आज आवश्यकता है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अच्छा शिक्षक।

मुख्य वक्ता महेन्द्र कुमार ने कहा कि राधाकृष्णन समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विश्व को जिस चीज की जरूरत है वैसा विद्यार्थी तैयार होनी चाहिए जो देश के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नये-नये तकनीकी एवं स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर हम वैश्विक परिदृश्य में पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं।

संवाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत प्रदेश संयोजक डॉ. ब्रजेश कुमार ने किया तथा विषय प्रवेश डॉ. सुशील अंकन ने कराया।

संवाद कार्यक्रम को डॉ. एस.पी. सिन्हा, एच.आर.डी.सी. के निदेशक डॉ अशोक चौधरी, रांची विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव डॉ. प्रीतम कुमार, डॉ. कंजीव लोचन, डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, डॉ. राजकुमार चौबे, डॉ. विजय प्रकाश, डॉ. नमिता सिंह, डॉ. पूनम सहाय, डॉ. बी.के. मिश्रा, डॉ. शशि कुमार गुप्ता, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. गोकुल नारायण दास सहित कई शिक्षकों ने संबोधित किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. हरमिन्दर बीरबल सिंह ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ज्योति प्रकाश ने दिया।

दूसरे सत्र में संगठनात्मक विषय को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर ने कहा कि झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में प्रभावी संगठन खड़ा करने पर जोर देते हुए कहा कि हमें प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियमित प्रवास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के सभी जिलों मे अपना कार्य दिखे। उन्होंने शीघ्र ही प्रदेश अभ्यास वर्ग आयोजित करने का आह्वान किया।

कृषि व प्रौद्योगिक वि.वि. पंतनगर इकाई में नवीन कार्यकारिणी घोषित

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तराखण्ड श्री गोबिंद बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर इकाई के कार्यकर्ताओं की योजना बैठक कीट विज्ञान विभाग के सभागार में 22 अगस्त 2017 को सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह ने संगठन की रीति नीति एवं भावी कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की चर्चा करते हुए कार्यकर्ता निर्माण में स्वयं के आचरण की महत्ता बताई। महासंघ स्वाध्याय- स्वावलम्बन - सम्मान के संकल्पना के आधार पर ऐसी रचना का निर्माण कर रहा है जिससे राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज खड़ा हो।

इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखण्ड, पंतनगर विश्वविद्यालय इकाई की नई कार्यकारणी की घोषणा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओम पाल सिंह ने किया। इकाई के संरक्षक प्रो. विश्वनाथ, अध्यक्ष प्रो. अजय कुमार पाण्डेय और महामंत्री डॉ सुनील कुमार की घोषणा की गई।

बैठक का सञ्चालन करते हुए इकाई के संरक्षक प्रो. विश्वनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान को लेकर भारतीयता से ओत-प्रोत शिक्षा एवं समाज की संकल्पना वाला संगठन है। नवीन अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार पाण्डेय ने आभार ज्ञापित करते हुए कहा की संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और सदस्यता अभियान चलाकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को महासंघ के विचारों से जोड़ने का अनवरत प्रयास किया जाता रहेगा।

'विद्यालयीन शिक्षा में गुणवत्ता' विषय पर शिमला में संगोष्ठी सम्पन्न

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सम्बद्ध अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला शिमला इकाई द्वारा राज्यस्तरीय एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 27 अगस्त 2017 को जिला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छोटा शिमला में किया गया। संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा : विद्यालय) सुशील पुण्डीर ने बतौर मुख्य अतिथि और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आन्तरिक अंकेक्षक व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त संगठन मंत्री पवन मिश्रा ने विशिष्ठ अतिथि के रूप में संगोष्ठी में भाग लिया। शुभारम्भ दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की वंदना से किया गया। उद्घाटन सत्र में जिला शिमला इकाई के डॉ. यशवंत शर्मा ने संगोष्ठी में आये सभी अतिथियों और अध्यापकों का स्वागत किया। प्रथम सत्र में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य डॉ. चमन लाल बंगा ने 'गुणवत्ता शिक्षण की समझ और कक्षा-कक्ष में प्रभावशाली अधिगम' विषय पर अपने उद्बोधन में कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर अध्यापक कक्षा-कक्ष में जाता है वह पूरा नहीं हो रहा है। सामान्य तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से लगाया जाता है जो रटने से दूर ले जाती हो। यह कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा यानी वह जानकारी आधारित न हो बल्कि अवधारणाओं की समझ पर केन्द्रित हो। हालाँकि इसमें क्षमताओं का विकास करना भी जोड़ा जाता है, किन्तु इन क्षमताओं में क्या शामिल है और किस प्रकार से शामिल है, इसमें कुछ भ्रम दिखते हैं। अक्सर यह पता नहीं चल पाता कि इन क्षमताओं के बारे में सोचने वाले व्यवहार में इनका जुड़ाव, अवधारणा विकास से करते हैं अथवा जानकारी से। इस अवसर पर पवन मिश्रा जी ने संगठन परिचय रखते हुए 'शिक्षा में गुणवत्ता क्या है' विषय पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा-कक्ष में अध्यापक और बच्चों के बीच में पढ़ते समय दूरी, अध्यापक की आवाज, नजरों का मेल और दोनों के बीच तारतम्य गुणवत्ता शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मिश्रा ने जोर देकर कहा, 'जब शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा विषय वस्तु का चित्रण विद्यार्थी के मन में करने में सफल हो जाए वही गुणात्मक शिक्षण है। जैसे 'मामा' शब्द बोलते ही बच्चों के मन में अपने 'मामा' का चित्र बन जाता है।' इसके अलावा शिक्षक समाज की धुरी है। यदि शिक्षक जाग जाए तो फिर से भारत देश को विश्वगुरु बनने को कोई ताकत नहीं रोक सकती है।

तकनीकी सत्र में सर्वप्रथम Career Point University, हमीरपुर की Post Doctoral Fellow डॉ. शशि पूनम ने 'कैसे बढ़े शिक्षा में गुणवत्ता' विषय पर अपनी प्रस्तुति के दौरान हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के विद्यालयों में हो रहे शिक्षण की गुणवत्ता पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि जहाँ मुख्य विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं वहाँ गुणवत्ता शिक्षण की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इन क्षेत्रों में इस विषय पर चिंतन करने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि भारत का भविष्य गाँवों में है और यदि गाँव उन्नति करते हैं तभी देश प्रगति पथ पर अग्रसर होगा।

समापन सत्र में संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सुशील पुण्डीर ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस अभियान की प्रशंसा की और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के इस आयोजन को सफल बताया। आज कोई भी शिक्षक संगठन विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षण के प्रति चिंतित नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में इस संगठन की सोच और ध्येय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज में ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज विश्वास के साथ देखता है। शिक्षक ही बच्चों में जिज्ञासा पैदा करता है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।' बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन कर गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए तो वह अभूतपूर्व प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्त में संगोष्ठी के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रान्त अध्यक्ष रजनीश चौधरी ने अपने उद्बोधन में बताया कि आज इस तरह की संगोष्ठियों की आवश्यकता है तभी जाकर शिक्षक अपने अध्यापन में गुणवत्ता ला सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम सभी मिलकर गुणवत्ता शिक्षण के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय में गुणवत्ता तभी आती है जब विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक भी गुणवान हो।' भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन करता रहेगा। प्रान्त के अतिरिक्त महामंत्री विनोद सूद ने सभी का आभार व्यक्त किया।

केशव विद्यापीठ समिति

जामडोली, जयपुर, राजस्थान, टेलीफोन न : 0141-2680344, 719

Email Id - info@keshavvidyapeeth.com, web site - www.keshavvidyapeeth.com

29 वर्षो से शिक्षा – सेवा के माध्यम से शाश्वत जीवन मूल्यों द्वारा व्यक्ति निर्माण हेतु समर्पित संस्थान केशव विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार की पुण्य स्मृति में उनकी जन्मशती के अवसर पर 18 मार्च 1988 को जयपुर से 10 कि.मी दूर की गई। हमारा लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से शाश्वत मूल्यों की स्थापना कर युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाना एवं समाज, राष्ट्र कार्य हेतु प्रेरित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थानों का संचालन हो रहा है। केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन में विभिन्न संस्थानों की प्रबन्ध समितियाँ अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत हैं।

केशव विद्यापीठ जामडोली, जयपुर, कार्यकारिणी समिति (2012-2015)

संरक्षक	:	श्री रामलक्ष्मण गुप्ता	अध्यक्ष	:	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
सचिव	:	इ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उपाध्यक्ष	:	श्रीमती आशा गोलचा
कोषाध्यक्ष	:	सीए. अशोक ताम्बी			
सदस्य	:	श्री हरिश्वर छीपा, श्री शंकरलाल अग्रवाल श्री नरेश सौखिया			
सहवरित सदस्य	:	श्री राम मोहन गर्ग, श्री अशोक डीडवानिया, श्री प्रदीप सिंह चौहान श्री अजीत मांडन			
पदेन सदस्य	:	श्री शिव प्रसाद, श्री भरतराम कुम्हार, श्री रामेश्वर खण्डेलवाल, श्री सुरेश कुमार वधवा			
स्थाई आमंत्रित	:	श्री दुर्गादास जी, श्री निम्बा राम जी, श्री प्रकाश चन्द्र जी श्री रामप्रसाद जी एवं केशव विद्यापीठ समिति द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर			

शंकरलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर ☎ 2680932

अध्यक्ष : श्री सुरेश उपाध्याय — मंत्री : श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा

कक्षा 6 से 12 तक विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का पूर्ण आवासीय विद्यालय जहाँ गुरुकुल पद्धति पर आधारित आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारयुक्त स्वस्थ वातावरण द्वारा बालक का सम्पूर्ण विकास किया जाता है। ज्ञान कौशल, शारीरिक दक्षता, भाषा, कला, केरियर मार्गदर्शन द्वारा बालक को विश्वस्तरीय स्पर्धा के योग्य बनाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा हेतु तैयारी की व्यवस्था है।

दामोदर दास डालमिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर ☎: 2680439

अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार — आधुनिक शिशुवाटिका से कक्षा 12वीं तक का अनिवासीय विद्यालय — मंत्री : डॉ. दिलीप गोयल

ब्रह्मचारी श्री रामानुजाचार्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ☎: 2680455

अध्यक्ष : श्री सुरेश बंसल — कक्षा 3 से 12 तक कला, वाणिज्य संकाय का श्रेष्ठ कन्या विद्यालय — मंत्री : श्रीमती सीमा जुल्का

KRISHNA GLOBAL SCHOOL

अध्यक्ष : रामनारायण गर्ग — मंत्री : श्री हर सहाय सैनी

Play Group to Class II - An English Medium Co-Education School

देवीदत्त डालमिया शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ☎: 2680076

अध्यक्ष : श्री प्रकाश नारायण पारीक — संस्कार युक्त शारीरिक शिक्षा हेतु देश का श्रेष्ठ संस्थान — मंत्री : श्री हीरानंद कटारिया

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय सी.टी.ई. ☎: 2680466

श्री अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय

अध्यक्ष : बनवारी लाल नाटिया — श्रेष्ठ शिक्षक निर्माण एवं शोध कार्य में देश का प्रमुख संस्थान — मंत्री : डॉ. राजीव सक्सेना

भगवानलाल रामलाल रावत इण्डोस्विस चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल ☎: 2680209

अध्यक्ष : अशोक कुमार धूत — नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से सेवारत — मंत्री : वैद्य रामावतार शर्मा

पंजीयन संख्या -5/चित्तौड़गढ़/ 94-95 ।। ॐ ।। 0145-2603524

विद्या भारती, चित्तौड़ प्रान्त

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एवं विद्या भारती राजस्थान से सम्बद्ध)

माधव स्मृति आदर्श विद्या निकेतन (माध्यमिक) परिसर, पुष्कर मार्ग, अजमेर-305004

रामप्रकाश बंसल **सुरेन्द्र सिंह राव**

अध्यक्ष मंत्री

विद्या भारती चित्तौड़ प्रान्त का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक आध्यात्मिक, चारित्रिक गुणों का विकास कर राष्ट्र समर्पित जीवन का निर्माण करना है। विद्यार्थियों में गुणों के विकास के लिए संस्था द्वारा 2 जिलों में चलाये जा रहे विद्यालयों की स्थिति निम्न प्रकार है -

औपचारिक शिक्षा केन्द्र

विद्यालय	संस्था	छात्र संख्या		
		भैया	बहिन	योग
उच्च माध्यमिक	19	692	366	1058
माध्यमिक	89	6703	3673	10376
उच्च प्राथमिक	85	12175	6626	18801
प्राथमिक शिशुवाटिका सहित	81	29600	18919	49519
योग	274	49170	29584	79754
कुल आचार्य दीदी	3461			

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

	संख्या	छात्र संख्या	आचार्य संख्या
संस्कार केन्द्र	292	9000	292
एकल विद्यालय बांसवाड़ा परियोजना	843	2600	843
एकल विद्यालय सोंधवाड़ क्षेत्र	40	1300	50
योग	1175	12900	1185

प्रांत में तीन अर्द्ध आवासीय विद्यालय कोटा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में तथा एक निःशुल्क अर्द्ध आवासीय विद्यालय कोठार (बांसवाड़ा) में चलता है।

अतः सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने बच्चों को संस्कारित एवं गुणवान बनाने के लिए उन्हें विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेश दिलाएँ।

रामप्रकाश बंसल **सुरेन्द्र सिंह राव**

अध्यक्ष मंत्री